खण्ड-195, अंक-5
शुक्रवार, 3 श्रावण, शक संवत् 1880
(25 जुलाई, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 195 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३३७–३४१
प्रश्नोत्तर	३४१–३६१
२४ मार्च, १९५८ के प्रश्न संख्या ३० से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का संशोधन	३६१
प्रदेश की गम्भीर खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३६१–३६२
बस्ती जिले की बांसी तहसील में 'घेरा डालो' प्रदर्शन के सम्बन्ध में जिलाधीश द्वारा की गयी कार्यवाही के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३६२
बी० एम० बी० एस० के छात्रों द्वारा भूख-हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३६३–३६६
तहसील मोहनलालगंज के सर्सेंदी चकबन्दी क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३६६
प्रदेश की चिन्ताजनक खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३६६
जिला खीरी में वन विभाग के अन्यायों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३६७
श्री राजनारायण तथा श्री बंशीधर शुक्ल द्वारा अपने कार्य-स्थगन प्रस्तावों के बारे में प्रार्थना	३६७–६६८
कार्यक्रम में छापे की त्रुटि का सुधार	३६८
श्री पलकधारी सिंह के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	३६९
गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने के सम्बन्ध में संकल्प (विचार जारी) ..	३६९
आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी	३७०
गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत) ..	३७०–३९१
प्रदेश में अभाव की समस्या के निराकरणार्थ उच्चस्तरीय समिति की स्थापना के सम्बन्ध में संकल्प (विचार जारी)	३९१–४०७
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ (पुरःस्थापित किया गया)	४०८
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ (पुरः स्थापित किया गया)	४०८
नत्थियां	४०९–४२०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २५ जुलाई, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३७९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफ़री, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़त सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाश नारायण गुप्त, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजान सिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगा प्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
ग़रीबदास, श्री

गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलाब सिंह श्री
गेंदा देवी, श्रीमती
गेंदा सिंह, श्री
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्द सिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चान्द्रिका प्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटे लाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायण, श्री
जगदीश नारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जमुना सिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेव सिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
तुम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानबी, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बर राम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रताप बहादुरसिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती

प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकी राम, श्री
बृजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदन मोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसेन खां, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन लाल वर्मा, श्री
मोहन सिंह मेहता, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपाल सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुबीरराम, श्री
रघुबीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमानाथ खेरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी, श्रीमती
राजेन्द्र दत्त, श्री

राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
रामग्रधार तिवारी, श्री
रामग्रभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री

श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खन लाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरत चन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

प्रश्न स्थगित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना

श्री उपाध्यक्ष--आज के एजेंडे में स्वास्थ्य मंत्री जी के बहुत से प्रश्न थे तो, उन्होंने यह निवेदन भेजा है कि उनकी तबियत खराब हो गयी है, वह नहीं आ सकेंगे, इसलिये उनके प्रश्न किसी और दिन के लिये स्थगित किये जायं। उनकी प्रार्थना स्वीकार की गयी है और उनके प्रश्न स्थगित किये गये।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

****१-३--श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)--[स्थगित किये गये।]

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में रबी के बीज का वितरण

***१--श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के अभाव-ग्रस्त जिलों से सरकार के पास रबी की बुवाई के लिये बीज की व्यवस्था के निमित्त कोई प्रार्थना या रिपोर्ट आयी है?

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--जी हां।

***२--श्री मुक्तिनाथ राय**--यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में रबी के बीज के वितरण की क्या व्यवस्था सरकार ने की है?

श्री मोहनलाल गौतम--सन् १९५७-५८ में आजमगढ़ जिले में ५६,९९० मन रबी का बीज वितरित किया गया है।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बीज में बलिया बार्ली भी शामिल है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने बीज की व्यवस्था बनारस जिले के लिये सरकार की ओर से हो रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह १९५७-५८ से संबंध रखता है और उस समय बनारस को ५,८०० मन बीज दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बीज वितरण किया गया है उसमें जो बीज कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा दिया जाता है वह भी शामिल है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, पूरा बीज है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो बीज वितरण किया गया था वह सरकार को कहां से प्राप्त हुआ था ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके प्राप्त करने के कई तरीके हैं। एक तो यह कि जो बीज दिया जाता है वह सवाई पर वापस होता है। यह सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म्स से आता है, रजिस्टर्ड सीड ग्रोवर्स से आता है और मार्केट से भी आता है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़, जौनपुर तथा बनारस आदि जिलों में एक किस्म के जौ का बीज बांटा गया था वह किसानों के खेतों में पैदा नहीं हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में बीज वितरण के लिये कितने नये बीज गोदाम खोले हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह तो दूसरा प्रश्न है, उसके जवाब में मैं बता दूंगा। इस समय तो बीज की व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सरकारी बीज बोने के लिये दिया गया था वह उगा नहीं ? तो, क्या सरकार जांच करके वसूली में किसानों को परेशान करना बन्द करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--इस प्रश्न में कई चीजें मान ली गयी हैं इसलिये इसका जवाब देना सम्भव नहीं है। अगर किसी खास इलाके में यह बताया जाय तो तहकीकात की जायगी।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रबी में जो बीज बटा उगा नहीं वह कहां से खरीदा गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार के पास आजमगढ़ से बलिया बार्ली बीज के सूख जाने की सूचना आयी थी ? यदि हां, तो सरकार किसानों को क्या सुविधा देने जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम––इसके लिये सूचना की आवश्यकता है कि कौन-कौन से बीज नहीं उगे।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)––क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बीज किसानों को दिया गया उतनी भूमि बोयी गयी या नहीं?

श्री मोहनलाल गौतम––मैं आशा करता हूं कि किसान ईमानमार हैं। जो बीज ले जाता है वह इस काम में इस्तेमाल करता है।

श्री शिवप्रसाद नागर––क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो बीज वितरित किया गया है उसमें कितना बीज ऐसा है जो बाजार से खरीदा गया था?

श्री मोहनलाल गौतम––मैंने कहा कि बाजार से बीज बहुत कम खरीदा जाता है। उसमें पहले जो तीन बातें हैं वह ज्यादा महत्व की हैं। इस वक्त मेरे पास उसके आंकड़े नहीं हैं कि इस फसल में कितना बीज बाजार से खरीदा गया।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)––क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन किसानों को बीज दिया गया और उनके खेत में पैदावार नहीं हुई उनको किसी प्रकार का हरजाना देने पर विचार करेगी?

श्री मोहनलाल गौतम––यह प्रश्न कि जो बीज दिया गया था वह नहीं उगा उसके कारण जानने होंगे, क्योंकि बीज की खराबी से बीज नहीं उगा या और भी किन्हीं कारणों से फसल नहीं हुई, यह सब कारण जब तक न मालूम किये जायं उस वक्त तक राय देना मुश्किल है।

गोवध निषेध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित व्यक्ति

*३––**श्री गंगा प्रसाद सिंह**––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश में गोबध निषेध अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम के लागू होने की तिथि से आज तक कितने व्यक्तियों का चालान हुआ है तथा कितनों को सजा मिली है?

श्री मोहनलाल गौतम––३० जून, १९५८ तक २,३१६ व्यक्तियों का चालान हुआ जिनमें से ७५० व्यक्तियों को सजायें मिलीं।

श्री गंगा प्रसाद सिंह––श्रीमन्, २,३१६ आदमियों का चालान हुआ, ७५० आदमियों को सजा मिली तो शेष १,५६६ व्यक्तियों पर अभी तक मुकदमा चल रहा है या उनमें से कुछ छूट गये?

श्री मोहनलाल गौतम––७५० व्यक्तियों को सजायें मिलीं, ५२५ छूट गये, १,०१६ व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, ३ व्यक्तियों की मुकदमे के दौरान में मृत्यु हो गयी और ५ व्यक्ति फरार हैं।

श्री गंगा प्रसाद सिंह––क्या माननीय मंत्री महोदय उन जिलों की सूची कृपया पढ़ेंगे जहां पर यह चालान किये गये और प्रत्येक जिले में कितने कितने हैं?

श्री उपाध्यक्ष––(कृषि मंत्री से) अगर लम्बी सूची न हो तो जिलों का नाम आप बतला दें।

श्री मोहन लाल गौतम––अगर आप की आज्ञा हो तो मैं उन जिलों के नाम पढ़ दूं जहां कोई मुकदमा नहीं चला। वह सूची है।

श्री उपाध्यक्ष––पढ़ दीजिये।

श्री मोहन लाल गौतम---गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, बांदा, अल्मोड़ा। इनमें जीरो है, जहां चालान नहीं हुए । बाकी सब में हुए। अगर किसी खास तादाद के ऊपर कहें तो आप की आज्ञा से मैं दो चार नाम पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष---बाकी जानकारी माननीय सदस्य आपसे स्वयं कर लेंगे।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के बूचड़खाने में चोरी-चोरी गोवध होता है इसकी माननीय मंत्री के पास कोई शिकायत आयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम---लखनऊ जिले में ९ आदमियों का चालान हुआ है। उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा है। उसके अलावा और कुछ है यह कहना अभी मेरे लिये मुश्किल है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले से कितने व्यक्तियों का चालान हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम---देवरिया जिले में १८ आदमियों का चालान हुआ और २ व्यक्तियों को ३० जून, १९५८ तक सजा मिली और ९ आदमी छूट गये । जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, वह ७ हैं ।

श्री गंगा प्रसाद सिंह---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में किस जिले से सबसे ज्यादा चालाने हुए ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह लम्बी लिस्ट है। अगर गलती हो जाय तो मेम्बर साहब माफ करेंगे। इसमें मुरादाबाद ही आगे दिखाई दे रहा है जिसमें २८९ हैं और रामपुर में २८६ हैं।

*४-५---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले में हरिजन कल्याणार्थ व्यय

*६---**श्री उग्रसेन**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५७-५८ में देवरिया में हरिजन सहायता कोष में कितना धन दिया गया ?

हरिजन कल्याण मंत्री के सभासचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---१,४५,५७५ रुपये दिये गये ।

*७---**श्री उग्रसेन**---अछूतोद्धार प्रचार कोष में १९५६-५७, १९५७-५८ में कितनी रकम देवरिया में दी गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---१९५६-५७ में ३५० रुपये तथा १९५७-५८ में १,००० रुपये।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में जो रुपया दिया गया है उसमें कितना रुपया किन-किन मदों में खर्च हुआ है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---गौरी बाजार ब्लाक में १०० हरिजन गृह निर्माण के लिये ७५,००० रुपया। गौरी बाजार ब्लाक में ३३ कूप निर्माण हेतु २४,७५० रुपया । गौरी बाजार ब्लाक में ३३ हरिजन परिवारों के गृह हेतु ९,९०० रुपया। सम्पूर्ण जिले में हरिजन कूप निर्माण तथा जीर्णोद्धार हेतु ६,००० रुपया। सम्पूर्ण जिले में परिगणित जाति के गृह निर्माण हेतु २,००० रुपया। जिले के परिगणित जाति के अग्निकांड से ध्वस्त गृह-निर्माण हेतु १,१२५ रुपया। सम्पूर्ण जिले में पिछड़े वर्ग के लोगों के गृह निर्माण हेतु ६,५०० रुपया। क्षय रोग से पीड़ित अनुसूचित जातियों के लिये ८०० रुपया। गृह उद्योग के लिये तथा अनुसूचित जाति के उत्थान के लिये १०,९०० रुपया। पिछड़ी जाति के लोगों के लिये कृषि उत्थान हेतु ७,६०० रुपया। अस्पृश्यता निवारण हेतु १,००० रुपया।

श्री उग्रसेन---अछूतोद्धार के लिये कितनी सभायें की गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---इस का ब्यौरा इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

गोरखपुर जिले में हरिजन रात्रि पाठशालायें तथा अपराधशील जातियों को बसाने के लिये प्रयास

*८---श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में कुल कितनी हरिजन रात्रि पाठशालायें चल रही हैं और कहां-कहां ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---४ रात्रि पाठशालायें निम्नलिखित स्थानों में चल रही हैं---

१---हरिजन रात्रि पाठशाला, ग्राम तेलुसना, पो० आ० गगहा ।
२---हरिजन रात्रि पाठशाला, नौतनवा ।
३---हरिजन रात्रि पाठशाला, पिपरसंडी, गौरी बाजार ।
४---हरिजन रात्रि पाठशाला, गौरेसेरा ।

*९---श्री रामसूरत प्रसाद---क्या यह सही है कि इन हरिजन रात्रि पाठशालाओं को हरिजन कल्याण विभाग से अनुदान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---जी नहीं, अनुदान दिया गया है ।

*१०---श्री रामसूरत प्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में निवास करने वाली भूतपूर्व अपराधशील जातियों के बसाने की वह क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है ।

श्री रामसूरत प्रसाद---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह भूमि प्राप्त करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है उस प्रयत्न में कहां-कहां पर कौन भूमि देखी गयी है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---गोरखपुर जिले के कलेक्टर ने महावीर शुगर मिल, सिसवा बाजार का फार्म लेने की बात कही थी, क्योंकि उसका दाम बहुत ज्यादा बताया गया है तो अभी इस बात की जांच की जा रही है कि वह फार्म लिया जाय या नहीं ।

श्री अयोध्या प्रसाद आर्य (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि उक्त कार्य के लिये गोरखपुर में ही जमनिया फार्म मिल रहा है किन्तु सरकार नहीं ले रही है ?

हरिजन कल्याण राज्य-मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)---ऐसी बात नहीं है । वाक़या यह है कि वह जितना पैसा मांग रहे हैं वह बहुत ज्यादा है । उसमें अभी बातचीत चल रही है कलेक्टर से, कि उसकी ठीक से जांच करके उसके दाम तय करें । तय होने पर हम उसको ले लेंगे और शायद शीघ्र ही उसमें कार्यवाही हो जायगी ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---जो इन जातियों को जमीन देने और बसाने की योजना के लिये जमीन देखी जा रही है उसमें क्या इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि वहां छोटे-छोटे उद्योग-धंधे पनप सकें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---यह प्रश्न तो आयेगा ही । जमीन ली जायगी और बसाया जायगा तो उद्योग-धंधे भी चलाये जायेंगे ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर की रात्रि पाठशालाओं में छात्रों की एवरेज संख्या क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---सूचना यहां नहीं है, किन्तु २० छात्रों से कम होते हैं तो हम उनको अनुदान नहीं देते । उनकी संख्या २० से ज्यादा ही होगी ।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला फर्रुखाबाद)--जो यह रात्रि पाठशालायें चलाई जा रही हैं, यह सरकार की किसी योजना के अन्तर्गत चलाई जा रही हैं या अन्य संस्थाओं द्वारा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--सरकार अनुदान दिया करती है, संस्थायें चलाती हैं।

सीतापुर जिले का दुर्गापुरवा हरिजन छात्रावास

*११--श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दुर्गा पुरवा, सीतापुर में जो हरिजन छात्रावास बना है उसमें सरकार ने कितनी सहायता की है तथा बाहर से कितनी सहायता प्राप्त हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--८,९०० रुपये सरकारी अनुदान। लगभग १३,१०० रुपये की बाहर से सहायता प्राप्त हुई।

*१२--श्री मूलचन्द--उस छात्रावास में केवल छात्र ही रहते हैं या किसी अन्य आदमी के ठहरने और रहने का स्थान भी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--केवल हरिजन छात्र ही रहते हैं।

*१३--श्री मूलचन्द--क्या यह सही है कि कुछ कमरे किराये पर भी उठाये गये हैं, जिससे छात्रों को कष्ट हो रहा है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--जी नहीं।

श्री मूलचन्द--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ८,९०० रुपया अनुदान मिला है वह हरिजन कल्याण विभाग द्वारा दिया गया है या किसी अन्य विभाग द्वारा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--४,००० रुपये का अनुदान शिक्षा विभाग द्वारा ४८ में स्वीकृत हुआ था। ४,९०० रुपये की स्वीकृति जिला उत्थान समिति--डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा दी गयी।

श्री मूलचन्द--क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो १३,१०० रुपये की सहायता प्राप्त हुई है बाहर से, वह किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हुई है या उसमें अधिक व्यक्ति हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--मेरी सूचना है कि यह बाहर से प्राप्त हुई है। यह नहीं है कि एक ने दी या अनेक ने दी।

गोंडा जिले में सरकारी सहायता से निर्मित हरिजन-कूप

*१४--श्री दीनदयालु करुण (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा के कितने हरिजनों के नलकूप तथा कूप सरकारी सहायता द्वारा सन् १९५२ से ५७ तक बन चुके हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--नलकूप एक भी नहीं बना। १२४ कुएं बन चुके हैं।

श्री उग्रसेन--क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह ५२ से ५७ तक में कुओं की संख्या इतनी कम क्यों है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--अधिक रुपया दिला दें तो अधिक बन जायेंगे।

श्री केशव पांडेय--क्या सरकार हरिजनों को नलकूप के लिये जो रुपया देती है, उनकी वर्तमान हालत देखकर कुछ और सब्सिडी दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--नलकूप तो हम बनाते नहीं।

बदायूं जिलें में खराब गेहूं के बीज के वितरण की शिकायत

*१५--श्री कैलाश कुमार सिंह (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि बदायूं जिलें में सरकारी बीज गोदामों से १९५७ में जो गेहूं का बीज दिया गया उसका germination कम हुआ है तथा उसमें कंडुआ (बाल काली हो जाती है) बीमारी लग गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां ।

*१६--श्री कैलाश कुमार सिंह (अनुपस्थित)--Germination कम होने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके मुख्य कारण यह थे--

(१) बुवाई के समय खेतों में नमी कम थी, और (२) बुवाई के तुरन्त बाद ही वर्षा होने के कारण खेतों में बीज के ऊपर मिट्टी की पपड़ी पड़ गई थी ।

*१७--श्री कैलाश कुमार सिंह (अनुपस्थित)--कंडुआ बीमारी के कारण गेहूं की फसल में कितना नुकसान हुआ है और क्या उसकी रोकथाम का कोई उपचार किया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम--उन खेतों में जिनमें कि सरकारी बीज गोदामों द्वारा प्राप्त गेहूं का बीज बोया गया था, १ प्रतिशत तक ह नि हुई है । उन खेतों में जिनमें कि सरकारी बीज गोदामों के अतिरिक्त अन्य बीज बोया गया था १० प्रतिशत की हानि अनुमान की जाती है ।

स्थानीय अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि वह किसानों को समझा दें कि कंडुआ दिखाई देने पर इस रोग से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल कर नष्ट कर दें, ताकि दूसरे पौधों में बीमारी न फैलने पाये और आगामी फसल के लिये रोगमुक्त तथा तन्दुरुस्त बीज प्राप्त हो सके ।

*१८--श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--[स्थगित किया गया ।]

सोशल वर्कर्स की नियुक्तियों पर आपत्ति

*१९--श्री रामकृष्ण जैसवार--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष १९५७-५८ के लिये प्रदेश के प्रत्येक जिले में क्रमशः कौन-कौन कितने सोशल वर्कर्स की नियुक्तियां हरिजन कल्याण विभाग की ओर से की गयी हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--वांछित सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०९-४११ पर)

*२०--श्री रामकृष्ण जैसवार--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन सोशल वर्कर्स के लिये प्रत्येक जिले से कितने प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुए और उनकी नियुक्ति किस आधार पर किस अधिकारी द्वारा तथा किन तिथियों में की गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--नियुक्ति तिथि तथा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या संबंधी सूचना पूर्व प्रश्न में उल्लिखित तालिका में प्रस्तुत है ।

इनकी नियुक्ति जिलाधिकारियों तथा संचालक, हरिजन कल्याण की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा की गयी ।

*२१--श्री रामकृष्ण जैसवार--क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि इन सोशल वर्कर्स की कार्य अवधि क्या होगी तथा उनसे सरकार क्या काम किस वेतन पर लेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--कथित सोशल वर्कर्स की कार्य अवधि ३१ मार्च, १९५८ तक थी तथा इनका पद अवैतनिक था, पर इन्हें ५० रु० या ६० रु० प्रति मास मानदेय (honorarium) दिया गया। इनका काम मुख्यत: विधिवत् तथा वैधानिक तरीके से (by lawful and constitutional methods) अस्पृश्यता निवारणार्थ कार्य करने तथा साथ ही अनुसूचित जातियों, विमोचित व अन्य पिछड़ी जातियों के सर्वांगिक विकास हेतु सरकार द्वारा संचालित विविध योजनाओं के निष्पादन (execution) में सहायता प्रदान करना।

श्री रामकृष्ण जैसवार--इस चुनाव के तरीके को जो बताया गया है असंतोष-जनक समझ कर क्या मंत्री जी भविष्य में चुनाव की व्यवस्था किसी जिला या प्रदेश के बोर्ड के स्तर पर कराने की कृपा करेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--हम समझते हैं यही तरीका ठीक है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--प्रदेश में कुल कितने सोशल वर्कर्स की नियुक्ति हुई है और सबसे अधिक किस जिले में हुए हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--८१ कुल हैं और पिछले साल हुए थे। मैं समझता हूं कि ३ से ज्यादा कहीं नहीं हैं, वैसे इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा--प्रदेश में जो सोशल वर्कर्स की नियुक्ति हुई है इनमें हरिजन कितने हैं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--सूचना की आवश्यकता है।

श्री उग्रसेन--सोशल वर्कर्स की निम्नतम योग्यता क्या है?

श्री मंगला प्रसाद--ज्यादा से ज्यादा हरिजनों में पुराने काम करने वाले ही रखे जाते हैं। ज्यादातर हरिजन ही रखे जाते हैं जो उनमें बराबर काम करते रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी क्वालीफिकेशन यह है कि वे अपने हल्के में सबसे अच्छे काम करने वाले होते हैं।

श्री रामसूरत प्रसाद--प्रत्येक जिले में शोसल वर्करों की संख्या क्या वहां की आबादी और जनप्रतिनिधियों की संख्या देख कर की जाती है या कोई और मापदंड है?

श्री मंगला प्रसाद--आबादी के लिहाज से ही रखे गये हैं?

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अच्छे वर्कर्स का मापदंड क्या है?

श्री मंगला प्रसाद--डी० एम० और हरिजन वेलफेयर अफसर की सिफारिश पर रखे जाते हैं, यही अच्छा मापदंड हो सकता है।

श्री रामकृष्ण जैसवार--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कार्य-अवधि उनकी इस समय रखी है उसके बाद उनके लिये क्या योजना है?

श्री मंगला प्रसाद--पिछले साल चूंकि बजट बहुत देर से पास हुआ था इसलिये ये लोग देर से रखे गये। मेरा ख्याल है कि आइंदा साल तक ऐसा हो जायगा कि १०-११ महीने तक वे बराबर काम कर सकेंगे और जो अच्छा काम करेंगे वे कन्टीन्यू करेंगे, खराब काम करने वाले अलग कर दिये जावेंगे।

मुसहरा जाति के हरिजनों को सहायता देने की प्रार्थना

*२२—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या हरिजन कल्याण राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के पूर्वी जिलों में जैसे जौनपुर, बनारस, बलिया, गाजीपुर, सुल्तानपुर, इलाहाबाद मुसहरा जाति के हरिजनों के लिये १९५७ व १९५८ जनवरी तक सरकार की तरफ से किसी प्रकार की आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक सुधार के लिये सहायता दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किस जिले में और किस काम के लिये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—सरकार की ओर से किसी जाति विशेष के नाम सहायता दिये जाने की व्यवस्था नहीं है। फिर भी जहां तक ज्ञात हो सका है वांछित सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४१२ पर)

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में मुसहरा जाति के हरिजनों की संख्या काफी है परन्तु उनके पास खाने-पीने के लिये कुएं या रहने के लिये स्थान नहीं हैं, उनके लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री मंगला प्रसाद—यह बात सही है कि जरूरत से कम कुएं हैं, लेकिन रोज इसके पूरा करने का प्रयत्न हो रहा है। जितना अनुदान सदन देता है उसमें अधिक से अधिक कुएं बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके अलावा बहुत से हरिजनों के लिये कुएं प्लानिंग से बनते हैं। दोनों मिलाकर काफी तेजी से काम हो रहा है और आशा है कि आइन्दा भी तेजी से काम किया जायगा।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि प्लानिंग के द्वारा बिना कुछ अंश दिये हरिजनों को भी नलकूप नहीं दिये जाते हैं ?

श्री मंगला प्रसाद—मुझे ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—जिन बस्तियों में मुसहरा जाति के लोग रहते हैं और किसी प्रकार का आबादी में उनका हिस्सा नहीं है और न उनके पास पैसा है कि जिससे वे पानी की व्यवस्था कर सकें, उनके लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री मंगला प्रसाद—उन लोगों के लिये अगर कोई जमीन खरीदने की आवश्यकता हो और यदि कहीं जमीन मिलती हो तो उसे हरिजन विभाग लेकर उन्हें बसाने के लिये तैयार रहता है और कुछ कर भी रहा है। कोशिश यही होगी कि अधिक पैसा इस कार्य में लगाया जाय।

जौनपुर जिले में हरिजन विद्यार्थियों की सहायता

*२३—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या हरिजन कल्याण राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में पृथक-पृथक कितने हरिजन छात्रों को १९५७ में किताब के रूप में और कितनों को नकद रुपया दिया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—माननीय मंत्री जी इसकी सूचना कब तक देने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—शीघ्र से शीघ्र।

कानपुर जिले में हरिजन छात्रावासों के अनुदान के हिसाब की जांच

*२४—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतावेगी कि क्या कानपुर जिले के हरिजन छात्रावासों को जो आवर्त्तक और अनावर्तक अनुदान दिया जाता है उसके हिसाब की अभी तक कोई जांच भी की गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी हां।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले या शहर में कहां पर हरिजन छात्रावास की इमारत बनाने के लिये अनुदान दिया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इसकी सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है लेकिन मेरे खयाल से दिया नहीं गया है ?

हरदोई जिले में हरिजन ग्राण्ट्स देने में कथित अनियमितता

*२५—श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसे कोई ऐसी शिकायत सन् १९५७ में प्राप्त हुई है कि जिला हरदोई में एक-एक व्यक्ति तथा एक-एक परिवार को चार-चार और छः-छः हरिजन ग्रांट्स दे दी गयी थीं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—जी नहीं।

उन्नाव जिले में हरिजनों के मकान व कुंओं के लिये अनुदान

*२६—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के लिये वित्तय वर्ष १९५७-५८ ई० में कितना रुपया हरिजनों को मकान व पीने के पानी के कुएं बनवाने के लिये अनुदान देने के लिये स्वीकार किया गया है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—६,५०० रुपया।

*२७—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त धन की स्वीकृति जिले को कब भेजी गयी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—फरवरी, १९५८ के प्रथम सप्ताह में।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बजट ग्रांट होने के ६-७ महीने बाद स्वीकृति भेजी गयी इसका क्या कारण है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—पहली स्वीकृति ३ फरवरी, १९५८ को भेजी गयी थी और दूसरी ६ फरवरी, १९५८ को।

श्री भीखालाल—श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह था कि बजट की स्वीकृति जुलाई, १९५७ में हो गयी थी लेकिन जिलों को उसकी स्वीकृति फरवरी, १९५८ में भेजी गयी, इस विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री मंगला प्रसाद—बजट जुलाई में नहीं, अगस्त के आखीर में पास हुआ था। यह सही है कि पिछले साल कुछ विलम्ब हो गया था। आयन्दा कोई विलम्ब नहीं होगा।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिले को जिस दिन इसकी स्वीकृति प्रदान की गयी उससे पहले जो आवेदन-पत्र आये थे उनके संबंध में क्या निर्णय किया गया ? सरकार या डिपार्टमेंट की ओर से क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—यह सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन ये दरख्वास्तें मीटिंग में रखी गयी होंगी और उन पर से ग्रांट दी गयी होंगी।

गाजीपुर जिले में परिगणित जातियों के लिये कुंओं का निर्माण

*२८—श्री रघुवीर राम (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में सन् १९४७ से दिसम्बर, १९५७ ई० तक परिगणित जातियों के लिये पानी पीने के वास्ते कितने कुएं सरकारी अनुदान द्वारा बनवाये गये हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—२१७ कुएं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह २१७ कुएं पूर्ण तैयार हो गये हैं या कुछ अधूरे पड़े हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—मेरी सूचना तो यह है कि बनाये गये हैं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो कुएं बनाये गये हैं इनमें जनता से कितना रुपया लिया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इसकी सूचना नहीं है, लेकिन सरकार ने जितना रुपया खर्च किया उसकी सूचना मेरे पास है। ७७,६५७ रुपये खर्च हुए हैं।

*२९-३१—श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—[स्थगित किये गये।]

*३२-३४—श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—[स्थगित किये गये।]

*३५—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[स्थगित किया गया।]

बलिया जिले में बलेजी हरिजन पाठशाला तथा पुस्तकालय को अनुदान देने की प्रार्थना

*३६—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या हरिजन कल्याण राज्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बलिया जिले में बलेजी हरिजन पाठशाला तथा पुस्तकालय को मार्च, १९५६ में कितना अनुदान दिया गया था ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—कोई अनुदान नहीं दिया गया।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि बलेजी हरिजन पाठशाला तथा पुस्तकालय को आज तक कोई अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ?

श्री मंगला प्रसाद—इसके लिये अनुदान पहले मिलता था लेकिन डिप्टी इंसपेक्टर, आदि अधिकारियों की सिफारिश हुई कि इनका काम बहुत खराब है और बहुत सी त्रुटियां हैं, इसलिये अनुदान बन्द कर दिया गया, लेकिन अब काम ठीक हो रहा है तो फिर से अनुदान मिलने लगेगा।

*३७—श्री श्रीनिवास (जिला अलीगढ़)—[स्थगित किया गया।]

*३८—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—[स्थगित किया गया।]

हरिजन छात्रावास, मिर्जापुर के लिये फर्नीचर की खरीद

*३९—श्री शोभनाथ (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन छात्रावास, मिर्जापुर के लिये कब और कितनी धनराशि फर्नीचर के लिये प्रदान की गयी है ?

नोट—तारांकित प्रश्न २८ श्री यमुनासिंह ने पूछा।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—फर्नीचर आवश्यकतानुसार अनावर्तक अनुदान से खरीदा गया था, इसके लिये अलग से नियत धनराशि नहीं बताई जा सकती ।

श्री शोभनाथ—क्या हरिजन कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह अनुदान कब और कितना दिया गया ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—सन् ५४–५५ में ८० रुपया, ५५–५६ में २०० रुपये और ५६–५७ में ३०० रुपये ।

गोंडा जिले में मोमिन अन्सार छात्रवृत्ति देने में अनियमितता

*४०—श्री अब्दुल लतीफ नोमानी (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में १९५६–५७ में किन-किन स्कूलों के किन-किन छात्रों को मोमिन अन्सार छात्रवृत्ति दी गयी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४१३ पर)

*४१—श्री अब्दुल लतीफ नोमानी—क्या सरकार को ज्ञात है कि उपर्युक्त छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों में कई छात्र मोमिन अन्सार नहीं हैं अथवा कई फर्जी हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्य कर रही है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—जी हां, पांच छात्र मोमिन अन्सार नहीं थे । उनकी छात्र-वृत्तियां रद्द कर दी गयी ।

श्री अब्दुल लतीफ नोमानी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन गैर अंसार छात्रों को छात्रवृत्ति मिली है उनको किस बुनियाद पर छात्रवृत्ति दी गयी है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—पहले जो सिफारिश आयी थी उसमें उनको मोमिन करार दिया गया था, फिर बाद में जांच करने से मालूम हुआ कि वे मोमिन नहीं हैं, इसलिये उनको नहीं दिया गया ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो विद्यार्थी बाद में मोमिन प्रमाणित नहीं हुए, उनको जो रकम दी गयी थी, वह उनसे वसूल कर ली गयी ?

श्री मंगला प्रसाद—इसमें ५ ऐसे विद्यार्थी थे जिनको देने की बात थी, उनमें से ४ को दिया नहीं गया, एक को रुपया देना शुरू हुआ, उसे रोक दिया गया । इसकी इन-फार्मेशन आज नहीं है कि उस विद्यार्थी से रुपया वापस लिया गया या नहीं ।

हरिजन सहायक समिति, सीतापुर को दिये गये धन का वितरण

*४२—श्री उग्रसेन—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या हरिजन सहायक समिति, सीतापुर को जो रुपया स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजनों में बांटना था वह बांट दिया गया है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—२,००० रुपया बांट दिया गया है और १,००० रुपया बंटने को शेष है ।

*४३—श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में केवल ८ प्रार्थना-पत्र आये ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--जो हां ।

*४४--श्री उग्रसेन--क्या यह सही है कि ५-२-५८ की बैठक में एक सोशलिस्ट सदस्य ने इस पर आपत्ति की और दुबारा प्रचार कराने की मांग की ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--विधान सभा के एक सदस्य ने आपत्ति की थी ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २,००० रुपया जो बांटा गया है, वह किस प्रार्थना-पत्र पर सबसे अधिक और किस प्रार्थना-पत्र पर सबसे कम दिया गया है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--यह सूचना मेरे पास नहीं है । ४ आदमियों को दिया गया, यह सूचना है ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो शेष १,००० रुपया है, वह अब तक क्यों नहीं बांटा गया है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--इसके लिये पुनः प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं, आने पर बांट दिया जायगा ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दोबारा प्रचार करने पर कितने प्रार्थना-पत्र आये थे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--दोबारा प्रचार करने के बाद भी ८ ही प्रार्थना-पत्र आये थे । ४ परिगणित जातियों के थे और ४ जो नहीं थे, उनके थे ।

श्री देवनारायण भारतीय--जो ८ प्रार्थना-पत्र आये उनमें ४ को सरकार ने सहायता दी तो उन ४ के नाम माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--मैं तो कह चुका कि नाम मेरे पास नहीं हैं ।

श्री उग्रसेन--४ जो बाकी बचे क्या उनके नाम माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--कोई नाम उनके पास नहीं हैं ।

*४५--४७--श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--[स्थगित किये गये ।]

*४८--श्री शोभनाथ--[स्थगित किया गया ।]

हरिजन छात्रावास, पीलीभीत के अनुदान का व्यय

*४९--श्री बिहारी लाल (जिला पीलीभीत)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बापू हरिजन छात्रावास, पीलीभीत को सन् १९५७-५८ में कुल कितनी ग्रान्ट दी गयी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--१,९५० रुपया ।

*५०--श्री बिहारी लाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त छात्रावास का मैनेजर कब चुना गया तथा किस व्यवस्था के अनुसार चुना गया ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--मैनेजर ३०-१२-१९५४ तारीख को चुने गये थे । चुनाव छात्रावास की प्रबन्धक कमेटी द्वारा किया गया था ।

*५१--श्री बिहारी लाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त छात्रावास के कर्मचारियों पर हर महीने में सरकार क्या व्यय करती है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—४५ रुपया प्रतिमाह ।

श्री बिहारी लाल—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि १,९४० रुपया १९५७–५८ में दिया गया वह किन-किन मदों पर खर्च हुआ ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—इसमें ४५ रुपये छात्रावास के कर्मचारियों के वेतन पर, ७० रुपये छात्रावास का किराया प्रतिमाह और ५ रुपये प्रतिमास आकस्मिक व्यय पर खर्च हुए ।

राया, जिला मथुरा में हरिजन छात्रावास न होना

*५२—श्री श्याम लाल (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या राया, जिला मथुरा में हरिजन छात्रों के लिये कोई छात्रावास बनाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा –जी नहीं ।

श्री श्याम लाल—माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राया, जिला मथुरा में जो इंटर कालेज है उसके लिये छात्रावास बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—मथुरा में एक छात्रावास भटियान में है । राया में कोई दूसरा छात्रावास हो इसके लिये न तो किसी ने कहा ही है और न इसकी वहां आवश्यकता ही है ।

हरिजन कल्याण योजनाओं के विवरण की मांग

*५३—श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)—क्या हरिजन कल्याण राज्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरिजन कल्याण के लिये जिलों में कौन-कौन सी योजनाएं हैं और उन्हें किस-किस प्रकार की सहायता दी जाती है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—हरिजन कल्याण की योजनाओं का विवरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विस्तार पूर्वक दिया गया है और इस संबंध में साहित्य व सूचना प्रतिवर्ष सदन में रखी जाती है ।

हरिजन कल्याण समिति, गाजीपुर

*५४—श्री रघुवीर राम (अनुपस्थित)—क्या हरिजन कल्याण-राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ ई० के लिये गाजीपुर हरिजन कल्याण समिति द्वारा कितने हरिजन छात्रों को कितना धन छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया है ?

श्री मंगला प्रसाद—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*५५—श्री रघुवीर राम (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन विशेष योग्यताओं और आधार पर उक्त हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी है ?

श्री मंगला प्रसाद—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है । मगर आमतौर पर योग्यता और गरीबी के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है ।

*५६—श्री रघुवीर राम (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिजन समिति, गाजीपुर का गठन किन आधारों पर किया गया है ?

श्री मंगला प्रसाद—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

मिर्जापुर जिले में हरिजन पाठशालाओं के कर्मचारी

*५७--श्री शोभनाथ--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले के हरिजन स्कलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों, क्लर्कों और चपरासियों की संख्या अलग-अलग कितनी है और उनमें हरिजन और बैकवर्ड जाति के लोग अलग-अलग कितने हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--केवल ८ अध्यापक हैं । क्लर्क और चपरासी नहीं हैं । ८ अध्यापकों में ६ परिगणित जाति के हैं और २ अन्य जाति के ।

श्री शोभनाथ--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि २ हरिजन क्यों नहीं रखे गये ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--मैंने तो कहा कि ६ परिगणित जाति के हैं और २ अन्य जातियों के ।

*५८--श्री शोभनाथ--[हटा दिया गया ।]

हरिजन कल्याण समिति, बलिया द्वारा वितरित छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में शिकायत

*५९--श्री गंगा प्रसाद सिंह--क्या हरिजन कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७-५८ के लिये बलिया हरिजन कल्याण समिति द्वारा कितने हरिजन छात्रों को कितना धन छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--१५९ छात्रवृत्तियां वितरित की गयीं तथा १९,६७२ रुपया व्यय हुआ ।

*६०--श्री गंगा प्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किस कक्षा तक हरिजन छात्रों को किस विशेष आधार पर बलिया हरिजन कल्याण समिति द्वारा छात्रवृत्ति दी गयी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--छात्रों की योग्यता तथा निर्धनता के आधार पर कक्षा ६ से १२ तक ।

श्री गंगा प्रसाद सिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९५७-५८ में इस कार्य के लिये इस मद में कितना रुपया सरकार द्वारा दिया गया था और कितने विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री गंगा प्रसाद सिंह--इसमें जो कहा गया है कि योग्य और गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है । योग्यता का मतलब मैं जहां तक समझता हूं थर्ड डिवीजन से ऊपर ही होता है । क्या यह सही है कि बहुत से विद्यार्थियों ने, जो सेकेन्ड और फर्स्ट डिवीजन के थे, प्रार्थना-पत्र दिये थे लेकिन उनको न देकर थर्ड डिवीजन को दिया गया और बहुत से विद्यार्थी जो हरिजन होते हुए भी धनी हैं उनको भी छात्रवृत्ति दी गयी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--हमारा आदेश यह था कि योग्यता और निर्धनता पर छात्रवृत्ति दी जाय । हर जिले में एक हरिजन कल्याण उप-समिति होती है, उसमें वहां के एम० एल० ए० और कुछ और व्यक्ति होते हैं जो उसके सदस्य होते हैं, वही विचार करते हैं और छात्रवृत्ति दी जाती है । मैं समझता हूं वहां के जितने सदस्य हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा ।

१९५६-५८ में खोले गये नवीन बीज गोदाम

*६१--श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--वित्तीय वर्षों, १९५६-५७ व १९५७-५८ में प्रदेश में कहां-कहां कौन-कौन बीज गोदाम कृषि विभाग की ओर से खोले गये ?

श्री मोहनलाल गौतम--आवश्यक सूचना संलग्न तालिका† में दी है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह किस आधार पर बीज गोदाम बनाये जाते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--इस समय आधार यह है कि ८७६ ब्लाक्स हैं। कुछ तो काम कर रहे हैं, कुछ शैडो ब्लाक्स हैं। योजना यह है कि हर ब्लाक में एक बेसिक सीड स्टोर ऐग्रीकल्चर विभाग का हो और दो कोआपरेटिव विभाग के सीड स्टोर्स हों। इस प्रकार हर एक ब्लाक में तीन स्टोर्स होंगे। यानी ८७६ ब्लाक्स में ८७६ सीड स्टोर्स तो कृषि विभाग के होंगे और दुगुनी संख्या कोआपरेटिव विभाग की होगी।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--मंत्री जी बतायेंगे कि जो बीज गोदाम बनाये गये हैं वह पूर्ण हो गये हैं और सभी काम कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--जितने बीज गोदाम स्थापित हो गये हैं सभी ने काम करना शुरू कर दिया होगा, ऐसा मेरा अन्दाज है। लेकिन अगर कोई शिकायत हो तो बता दी जाय।

श्री वीरेन्द वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या कृषि मंत्री जी बतायेंगे कि १९५६-५७ और १९५७-५८ में अलग-अलग प्रदेश भर में कितने बीज गोदाम खोले गये ?

श्री मोहनलाल गौतम--१९५६-५७ में ४० और १९५७-५८ में २००।

श्री उग्रसेन--मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त वर्ष में जितने बीज गोदाम खोले गये हैं उनमें से कितनों के पास निजी सरकारी भवन हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--जितने बीज गोदाम खुले हुए हैं कृषि विभाग के, वे बीज गोदाम बना कर ही खोले जाते हैं। या कहीं अगर ऐसा हुआ भी हो तो ऐक्सेप्शन ही होगा। नहीं तो भवन बनाकर ही खोले जाते हैं।

गन्ना उत्पादन-व्यय की जांच

*६२--श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश में गन्ना उत्पादन व्यय की जांच कराई जा रही है और गन्ने के किस-किस जोन में ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, गन्ना उत्पादन व्यय की जांच जुलाई, १९५४ ई० से कराई जा रही है। जिन गन्ने के क्षेत्रों में यह योजना लागू है उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४१४-४१५ पर)

*६३--श्री वीरेन्द्र वर्मा--यह जांच प्रदेश की सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा कराई जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह योजना इन्डियन सेन्ट्रल शुगरकेन कमेटी द्वारा चलाई जा रही है।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—कृषि मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि यह जांच तीन साल में पूरी हो जानी चाहिये थी और यदि पूरी होकर उसने कोई रिपोर्ट दी है तो क्या उसकी प्रतिलिपि उनको प्राप्त है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह जांच शुरू में ३ साल के लिये हुई थी और, जैसा कि उत्तर में कहा गया है, सेन्ट्रल शुगरकेन डिपार्टमेंट द्वारा कराई जा रही है। सारा स्टाफ हमारा नहीं है, वह रिपोर्ट उनके पास भेजते हैं, हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि गन्ना उत्पादन व्यय की जांच करने के लिये कम से कम कितने खेतिहरों के खेत लिये जाते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना उत्पादकों की जांच के बारे में साधारण किसानों के खेतों की जांच की जाती है या बड़े-बड़े फार्मों की जांच कराई जाती है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह इंडियन सेन्ट्रल शुगरकेन विभाग करता है और वही खर्च बरदाश्त कर रहा है, उससे हमारा संबंध नहीं है, किस तरह से वह करा रहे हैं यह तो वही जानते होंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय कृषि मंत्री जी इस जांच के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट है और जो उनका जांच का तरीका है उसे मंगाने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—हम सेन्ट्रल शुगर केन डिपार्टमेंट को लिख सकते हैं लेकिन यदि किसी साहब के कोई सजेशन हों तो मैं उनको भी वहां भेज सकता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या यह ठीक है कि इंडियन शुगरकेन डिपार्टमेंट का कोई सीधा स्टाफ इस काम को नहीं कर रहा है बल्कि केन डिपार्टमेंट के ही लोग कर रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसका पेमेंट सेन्ट्रल शुगरकेन डिपार्टमेंट कर रहा है जिस हद तक हमारा स्टाफ काम कर रहा है।

श्री गेंदा सिंह—क्या कृषि मंत्री जी को जानकारी है कि एक रिपोर्ट भेजी जा चुकी है जिसमें कहा गया है कि १ रुपया ४ आना प्रति मन लागत आती है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये सूचना चाहिये।

राजकीय यांत्रिक कृषि फार्म, मझरा, जिला खीरी, में गुड़ बनाया जाना

*६४—**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा-कर के बतायेगी कि सन् १९५५ में राजकीय यांत्रिक कृषि क्षेत्र मंझरा फार्म, खीरी, में गुड़ बनाने की लागत क्या थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—राजकीय यांत्रिक कृषि फार्मों पर गुड़ नहीं बनाया जाता है। सन् १९५५ में केवल राजकीय यांत्रिक कृषि फार्म मंझरा, जिला खीरी, पर ५ मन गन्ना देकर २० सेर गुड़ बनवाया गया था। फार्म को इसमें कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ा।

खीरी जिले में अपराधशील जातीय विद्यार्थियों एवं कालोनी को सहायता

*६५--श्री जगन्नाथ प्रसाद (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सन् १९५७-५८ में कितनी सहायता छात्रवृत्ति के रूप में भूतपूर्व अपराधशील जातीय विद्यार्थियों को दी गई ?

श्री मंगला प्रसाद---२१,३०६ रुपये।

*६६--श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि भूतपूर्व अपराधशील जातियों के लिये जिला खीरी में कालोनीज के ऊपर अब तक कितना रुपया खर्च किया जा चुका है ?

श्री मंगला प्रसाद---३१-३-५८ तक लगभग ४,९०,४२३ रुपया व्यय हुआ है।

जालौन जिले में परिगणित जातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिये समिति का निर्माण

*६७--श्री गरीबदास (जिला जालौन)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जिला जालौन में परिगणित जातीय छात्रों की छात्रवृत्ति वितरण हेतु जिला स्तर पर किसी समिति का निर्माण हुआ है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---जी हां।

*६८--श्री गरीबदास---यदि हां, तो उक्त कमेटी का निर्माण कब और किन नियमों के अन्तर्गत हुआ है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---दिनांक २०-९-१९५७ को। इस समिति का निर्माण किन्हीं निर्धारित नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया वरन् जिला हरिजन सहायक उप-समिति ने अपनी सुविधा हेतु छात्रवृत्ति वितरण में उचित राय देने के लिये कथित समिति का निर्माण किया था।

*६९--श्री गरीबदास---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कमेटी के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---उक्त कमेटी के सदस्यों के नाम निम्न प्रकार हैं---

१---श्री लक्खी राम, एम० पी०	..	..	संयोजक
२---श्री डालचन्द्र	..	..	सदस्य
३---श्री चन्द्रभान विद्यार्थी	..	..	,,
४---श्री रामदयाल पंचाल	..	..	,,
५---श्री अब्दुल रहमान अन्सारी	..	..	,,
६---श्री टीकाराम	..	..	,,
७---जिला विद्यालय निरीक्षक	..	..	,,

श्री गरीबदास---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये छात्रवृत्तियां वितरित करने के लिये जो कमेटी बनाई गई है वह कब तक कायम रहेगी ?

श्री मंगला प्रसाद---वह समिति एक विशेष काम करने के लिये बनाई गई है, वह विशेष काम समाप्त होने पर ही उसका काम खत्म होगा।

पशु-पालन के लिये तकावी देने के सम्बन्ध में जानकारी

*७०—श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उन्नतिशील गायों, भैंसों, कुक्कुट पालन में पृथक्-पृथक् तकावी देने का लक्ष्य क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम—पशु-पालन विभाग के अन्तर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई ऐसी परियोजना नहीं है जिसमें उन्नतिशील गायों भैंसों, कुक्कुट पालन में पृथक् पृथक् तकावी देने का लक्ष्य हो।

श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग में सम्मिलित रूप से तकावी देने का कोई लक्ष्य है? यदि हां, तो वह धनराशि कितनी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—वह भिन्न-भिन्न चीजों के लिये अलग-अलग है।

श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह अलग-अलग निर्धारित करने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल गौतम—क्योंकि योजना अलग-अलग है।

*७१—श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)—[स्थगित किया गया।]

*७२—श्री राजेन्द्र सिंह—[हटा दिया गया।]

गोरखपुर जिला कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन की बकाया रकम

*७३—श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिला कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के कारोबार में ऐसी कितनी रकम है जो वर्षों या अरसे से उधार पड़ी है और वसूल नहीं की गई है ? १ नवम्बर, १९५७ को यह रकम कितनी थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—१ नवम्बर, १९५७ को यह रकम ३,८९,८८९ रुपये २१ नये पैसे थी।

गोरखपुर के कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स की जांच रिपोर्ट

*७४—श्री केशभान राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर के समस्त कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स की जांच कोआपरेटिव ऐक्ट की दफा ३५ के अन्तर्गत रजिस्ट्रार के आदेश से कराई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच की रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, उक्त जांच की रिपोर्ट की एक प्रति † सदन की मेज पर रख दी गई है।

जिला कोआपरेटिव फेडरेशन, सहारनपुर, की आडिट रिपोर्ट

*७५—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार सहारनपुर जिला कोआपरेटिव फेडरेशन की सन् १९५५-५६ की आडिट रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और क्या यह भी बताने की कृपा करेगी कि आडिट के एतराजों की पूर्ति फेडरेशन ने की है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†प्रति छापी नहीं गई।

श्री मोहनलाल गौतम—उक्त † आडिट रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है। आडिट के एतराजों की अभी पूर्ति नहीं हुई है क्योंकि यह आडिट रिपोर्ट फेडरेशन को देर में मिली। दूसरे, कार्यकारिणी अपनी पिछली बैठक में एतराजों की पूर्ति पर विचार नहीं कर सकी। अतएव यह कार्य अगली बैठक के लिये स्थगित कर दिया गया।

ग्राम सुधार आर्गेनाइजरों की कोआपरेटिव विभाग में सुपरवाइजरी की जगहों पर नियुक्ति

*७६—श्री जयदेवसिंह आर्य (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सन् १९४० में जिन लोगों ने ग्राम सुधार की आर्गेनाइजरी से त्याग-पत्र दिये थे उन व्यक्तियों को सरकार ने कोआपरेटिव विभाग में सन् १९४७ व १९४८ में सुपरवाइजर बनाकर १ अप्रैल सन् १९४९ से सेलेक्शन ग्रेड दिया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—सन् १९४९ में ६४० ग्राम सुधार आर्गेनाइजर सुपरवाइजर के पद पर यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन की चाकरी में आये और उनमें से ३५४ को १ अप्रैल सन् १९४९ से सेलेक्शन ग्रेड दिया गया था।

चूंकि ग्राम सुधार आर्गेनाइजरों की नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट रुरल डेवलपमेंट एसोसियेशन के सेक्रेटरी की सलाह से जिलाधीश करते थे, इसलिये यह सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है कि उपरोक्त ६४० आर्गेनाइजरों में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने सन् १९४० में आर्गेनाइजरी से त्याग-पत्र दिया।

डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन, हरदोई, द्वारा चालू भट्ठे

*७७—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन, हरदोई, जिले में कितने स्थानों पर अपने ईंट फूंकने के भट्ठे चला रही है और कितने वर्षों से ?

श्री मोहनलाल गौतम—डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन हरदोई जिले में ५ स्थानों पर (हरदोई, शाहाबाद, बालामऊ, संडीला और शुक्लापुर) भट्ठे चला रही है। इनमें से हरदोई, शाहाबाद और बालामऊ में १९५३-५४ में शुरू हुए। संडीला में भट्ठा १९५४-५५ में शुरू हुआ। शुक्लापुर का भट्ठा १९५६-५७ में शुरू हुआ।

*७८—श्री मोहनलाल वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार डी० सी० डी० एफ०, हरदोई, के कुल भट्ठों की जिस वर्ष वे चालू हुये हैं, उससे जून सन् १९५७ तक की एकाउन्ट की बैलेन्सशीट कि कितनी ईंटें फूंकी गईं, लागत क्या लगी, मुनाफा क्या हुआ, सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—उपर्युक्त भट्ठों की वांछित †बैलेन्स शीट १९५३-५४ से १९५६-५७ तक संलग्न हैं। केवल एक भट्ठे के वर्ष १९५३-५४ की बैलेन्स शीट कोर्ट में दाखिल होने के कारण प्राप्त नहीं हो सकी है।

पंजाब सरकार के लिये गेहूं की कथित खरीद

*७९—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मई व जून, १९५७ के महीने में ३३ हजार मन गेहूं बीज के लिये जिला बुलन्दशहर, मेरठ व सहारनपुर से पंजाब सरकार के लिये खरीदा गया ? अगर हां, तो किसके द्वारा खरीदा गया और किस रेट से खरीदा गया ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री मोहनलाल गौतम—ऐसी कोई खरीदारी नहीं हुई ।

*८०-८१—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—[८ अगस्त, १९५८ के लिए स्थगित किये गये ।]

फैजाबाद जिले में नये बाग लगाने के लिये सहायता की मांग

*८२—श्री सुखराम दास (जिला फैजाबाद)—फैजाबाद जिले में नये बाग लगाने के लिये सन् १९५७ में कितने व्यक्तियों और संस्थाओं को कितनी तथा क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री मोहनलाल गौतम—किसी को कोई सहायता नहीं दी गयी ।

श्री सुखराम दास—माननीय कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस प्रकार की सहायता के लिये जो प्रार्थना-पत्र आये हुए थे वे सब खारिज कर दिये गये ?

श्री मोहनलाल गौतम—१९५६-५७ में फैजाबाद जिले से एक था ।

श्री सुखराम दास—क्या इस कार्य के लिये फैजाबाद जिले में कुछ धन निर्धारित किया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—कुल सूबे से १० व्यक्ति चुने गये थे और अलग-अलग जिलों को कोई धन निर्धारित नहीं किया गया था ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में बाग लगाने के लिये अगर कोई सहायता नहीं दी गयी तो कोई सबिब्सडी दी गयी थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—मैं इस समय "सहायता" सबिब्सडी की तरह उपयोग कर रहा हूं, ऋण के माने में नहीं ।

---

२४ मार्च, १९५८ के प्रश्न संख्या ३० से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का संशोधन

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—२४ मार्च, १९५८ को प्रश्न संख्या ३० से संबंधित श्री जगदीश शरण अग्रवाल के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने यह कहा था कि क्रम-संख्या २ में ६७,००० रुपये और क्रम-संख्या ४ में ९३,००० रुपये की बचत होगी । यह उत्तर सही नहीं था, सही उत्तर इस प्रकार है :—

"क्रम-संख्या २ में कुल बचत २,१९,००० रुपये की होगी जिसमें से १,५२,००० रुपये की बचत राज्य के समस्त कार्यालयों में तथा ६७,००० रुपये की बचत पूरे सचिवालय में होगी और क्रम-संख्या ४ में ९३,००० रुपये की बचत होगी ।" तदनुसार उक्त दिन की कार्यवाही में संशोधन कर दिया जाय ।

प्रदेश की गम्भीर खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना-(क्रमागत†)

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास कई कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं । दो तो खाद्य समस्या के बारे में हैं, जिनके बारे में २१ जुलाई को माननीय अध्यक्ष ने यह कहा था कि ३ दिन के वाद-विवाद के बाद, माननीय राज्यपाल के संभाषण पर जो हुआ, अगर आवश्यकता रह गयी तो इसके लिये कोई दिन या तिथि मुकर्रर करेंगे । तो माननीय अध्यक्ष ने इसमें यह निर्णय किया है कि ३ दिन के भाषण के बाद अब उनको यह आवश्यकता नहीं महसूस होती है कि कोई दिन विशेष

---

†२१ जुलाई, १९५८ की कार्यवाही से ।

[श्री उपाध्यक्ष---]

तौर से इसके लिये रखा जाय । इसलिये उस सम्बन्ध में कामरोको प्रस्ताव जो पहले आये थे वह सब रद्द कर दिये जावेंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मेरी समझ में हम लोगों की भी कुछ राय लेनी चाहिये ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---भुखम रीके सम्बन्ध में वाद-विवाद के लिये तो अभी दिन निश्चित होंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---माननीय अध्यक्ष की राय यह है कि ३ दिन के वाद-विवाद के बाद अब यह आवश्यक नहीं है । अगर आप अब भी समझते हैं तो सरकार से बातचीत करें और उसके बाद अगर कोई दिन सरकार मान ले तो निश्चय कर लिया जायगा ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, निवेदन यह है कि आपने माननीय अध्यक्ष महोदय की इच्छा सदन को बता दी है, इसलिये मैं चाहता हूं कि या तो आप स्वतः या माननीय अध्यक्ष महोदय जब आवें तब वह खाद्य स्थिति जो इस समय है और खास कर बनारस , गोरखपुर और फैजाबाद कमिश्नरी की जो स्थिति है उसको देखते हुये उस पर निश्चित रूप में विवाद के लिये कोई दिन निश्चित करें । आपको स्वतः मालूम होगा कि इन बातों पर कल हमने चर्चा भी नहीं की । ऐसी बहुत सी समस्यायें थीं जिनपर राय जाहिर की ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय अध्यक्ष ने अपनी राय आपको बतला दी । आपकी बात मैंने सुनी और आपको बताया कि सरकार से आप इस बात की मांग करें । अगर आप और सरकार में समझौता हो जाय तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है ? माननीय अध्यक्ष अब इसको आवश्यक नहीं समझते । इसलिये नयी मांग और नई स्वीकृति होनी चाहिये ।

बस्ती जिले की बांसी तहसील में 'घेरा डालो' प्रदर्शन के सम्बन्ध में जिलाधीश द्वारा की गयी कार्यवाही के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव उग्रसेन जी ने भेजा है ।

"बस्ती जिले की बांसी तहसील के हजारों भूखग्रस्तों की मांग तथा तहसील के समक्ष 'घेरा डालो' प्रदर्शन को दबाने के हेतु जिलाधीश बस्ती ने दफा १४४ लगाकर और सोशलिस्ट पार्टी, बस्ती के मंत्री श्री बाबूराम बंशराज, तथा जगदीश सिंह आदि सोशलिस्ट कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर गैरजनतांत्रिक कार्य किया है । इससे बस्ती जिले की साढ़े २२ लाख जनता में घोर असंतोष व्याप्त है और एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है ।

अतः इस विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज की कार्यवाही स्थगित करता है ।"

माननीय उग्रसेन जी ने इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के साथ कोई इस बात का प्रमाण नहीं दिया कि इसका कोई सरकार से भी संबंध है और यह कब दफा १४४ लगायी गयी है और कब उनका "घेरा डालो" प्रदर्शन हुआ । ऐसी हालत में यह प्रस्ताव अनिश्चित है । यह प्रस्ताव स्थानीय कार्य प्रशासन के सिलसिले में है । इससे सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, एक मिनट में अर्ज करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती ।

बी० एम० बी० एस० के छात्रों द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्धमें कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—अब दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव, एक श्री प्रतापसिंह जी का और दूसरा श्री राजनारायण जी का, आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के सम्बन्ध में आये हुये हैं। मैं श्री राजनारायण जी से यह जानना चाहूंगा कि राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव में जो संशोधन दिया गया था, उसमें लिखा है कि "बी० एम० बी० एस० कालेज, लखनऊ के छात्रों की चल रही ५ माह से हड़ताल तथा सरकार की ओर से उनकी उचित मांगों पर ध्यान न दिया जाना", तो इसमें स्पष्ट है कि हड़ताल पिछले ५ महीनों से चल रही है और इस सम्बन्ध में सरकार ने अपनी राय दी है और विरोधी दलों ने समय-समय पर अपनी तरफ से प्रश्नों द्वारा और वक्तव्यों द्वारा सरकार का ध्यान खींचा है। तो अब नयी ऐसी क्या परिस्थिति हो गयी है कि इस किस्म के कार्य-स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता है? आप का वह संशोधन कल सदन के सामने था, तो कल और आज के बीच में क्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, यह जो कामरोको प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है यदि आप इसको पूरा पढ़ देने की कृपा करें या स्वतः पढ़ लें तो उसमें ही लिखा हुआ है, "और एक विद्यार्थी गत २३ जुलाई से भूख हड़ताल पर भी बैठा है। सरकार की उपर्युक्त हठ-वादिता के कारण विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। अतः इस आवश्यक तथा तात्कालिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य-स्थगित करता है"। यह सही है कि यह हड़ताल ५ महीने पूर्व से चल रही है और यह भी सही है कि इस मांग को ले करके हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से एक बार नहीं अनेक बार निवेदन किया और हर निवेदन करने में विभिन्न बातें हुईं। मुझे यह भी जानकारी है, श्रीमन्, और आपको भी जानकारी है और इस सदन के पुराने सदस्यों को भी जानकारी है·····

श्री उपाध्यक्ष—यह तो मैंने कहा ही कि ५ महीने से हड़ताल चल रही है। आप यह बतायें कि क्या नयी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है कल और आज के बीच में?

श्री राजनारायण—मुझे कल मालूम हुआ, श्रीमन्, मैं ऐसा समझ रहा था कि अभी सरकार और विद्यार्थियों के बीच में बातचीत चल रही है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो मुझे आश्वासन दिया था और जब मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था तो उन्होंने कहा था कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात कर लो तो मैंने उनसे बात की। मैं समझता था कि जुलाई में जब पुनः कालेज खुलेगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जायगा क्योंकि उस समय इम्तिहान का समय था और उन्होंने स्कूल बन्द कर दिया था·····

श्री उपाध्यक्ष—जो मेरा प्रश्न है वह आप बतलायें कि नयी परिस्थिति क्या उत्पन्न हो गयी? हड़ताल भी चल रही है, विद्यार्थी पढ़ भी नहीं रहे हैं, तालाबन्दी भी है, यह तो ५ महीने पुरानी बात है।

श्री राजनारायण—नयी परिस्थिति मैं बतला रहा हूं। जो हड़ताल चल रही थी उसके सम्बन्ध में विद्यार्थियों ने सक्रिय कदम उठाया। एक विद्यार्थी ने भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होने से यह प्रश्न सब के सामने आया और तमाम विद्यार्थियों में बेचैनी फैली हुई है।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठें, मैं समझ गया। माननीय प्रताप सिंह जी, आप बतायें कि क्या नयी परिस्थिति पैदा हो गयी है?

*श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मार्च के महीने में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि वहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन से एक प्रिन्सिपल की नियुक्ति हो जायगी। हमने विश्वास किया, लेकिन हमें कल पता लगा कि कोई नियुक्ति नहीं हुई है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि नयी फैकल्टीज माडर्न साइन्स के आधार पर खोल दी जायंगी। लेकिन दोनों आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया। पिछली फरवरी से कालेज बन्द है, ताला पड़ा है, भूख हड़ताल के कारण विद्यार्थियों का जीवन खतरे में है। तो यह महान् विषम परिस्थिति है। मैं चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री की अनुपस्थिति में माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे स्थगन प्रस्ताव का विरोध करते हैं। यदि हां, तो किस कारण से ?

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चय ही इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि इसके लिये मुझे कुछ विशेष कारण देने की जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ अभी कहा वह स्वयं काफी कारण है। यह प्रश्न इस सदन के सामने महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन पर बहस के सिलसिले में आ चुका है। इस पर स्पीच भी हुई और जो संशोधन आया था सदन ने उसको नामंजूर कर दिया और जैसा कि आपने कहा कि कल और आज के बीच में कोई नई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है इसलिये कोई भी कारण नहीं है कि सदन का कार्य स्थगित किया जाय। इसलिये मैं इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप-के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम वह सरकार की नीति को स्पष्ट करने की कृपा करें कि इस समय सरकार की क्या नीति है। चार महीने का अवसर व्यतीत हो चुका है और नया सेशन शुरू हो गया है। यदि यह मालूम हो जायगा तो हम अपनी राय कायम कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री जी यदि कुछ बतला दें तो फैसला करने में आसानी होगी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सूरत यह है कि आज से कुछ दिन पहले यह खयाल हुआ था कि यहां एक आयुर्वेदिक कालेज खोला जाय जिसमें इंटीग्रेटेड मेडिसिन्स की शिक्षा दी जाय। इस शब्द का प्रयोग भारत सरकार की कई कमेटियों द्वारा किया गया और यहां भी हुआ और यह समझा गया कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन्स की शिक्षा एलोपैथी का दूसरा नाम है, इन दोनों को मिलाने से कोई नई पद्धति निकलेगी यदि इसकी शिक्षा दी जायगी। लेकिन इतने दिनों के अनुभव के बाद मालूम हुआ कि यह सम्भव नहीं है कि दोनों को मिलाकर कोई नया सिस्टम निकले। इसमें कोई सफलता नहीं हुई। होता यह था कि कुछ लोग आयुर्वेद पढ़ा करते थे और इसके बाद दूसरे लोग एलोपैथी पढ़ा करते थे। एक दूसरे का खंडन कर जाते थे, लेकिन उन दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं था। इसलिये इंटीग्रेशन की कोई बात नहीं हुई।

दूसरे, इसमें पढ़ने के लिये ऐसे विद्यार्थी आये जो एम० बी० बी० एस० के कम्पेटीशन में फेल हो गये थे यानी उनमें योग्यता नहीं थी; आने के बाद उनको इसमें कोई रस नहीं था इसलिये उन्होंने कोशिश की कि वह सस्ते तरीके से एम० बी० बी० एस० के बराबर आ जायां। बहुत गौर करने के बाद समझ में आया कि हमें शिक्षा का तरीका बदलना होगा। यदि आयुर्वेद कालेज खोलना है तो सिर्फ आयुर्वेद की शिक्षा दी जाय। फिजियोलोजी, एनाटामी और पैथो-लोजी वगैरा पढ़ाई जरूर जायें, लेकिन आयुर्वेद की शिक्षा दी जाय। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि इस समय जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिये क्या किया जाय ? उनके लिये गवर्नमेंट ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निश्चय कर दिया है और गवर्नमेंट की विज्ञप्ति भी निकली है कि जो विद्यार्थी इस समय पढ़ रहे हैं उनके लिये कोर्स निश्चित कर दिया गया है, वह कोर्स उनको पढ़ा दिया जायगा और बी० एम० बी० एस० की उनको उपाधि दी जायगी । इसलिये उनका तो कोई नुकसान नहीं होता है ।

जहां तक उनकी मांगों की बात है, वह समय-समय पर बदलती रही हैं । लेकिन उनकी ३, ४ मुख्य मांगें हैं । एक मांग तो यह है कि पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है । अध्यापकों की कमी है । इसके लिये गवर्नमेंट का आर्डर निकल चुका है कि जो विषय है, फिजियोलोजी वगैरा, उनके लिये अध्यापक रखे जा रहे हैं । अगर पढ़ने वाले हों तो जरूर रखे जायेंगे और जो कमियां हैं उनकी भी व्यवस्था कर दी जायगी । लेकिन उनकी मांग यह भी है कि यह घोषित कर दिया जाय कि वह एम० बी० बी० एस० के बराबर होंगे और उनको वेतन भी वही मिलेगा जो एम० बी० बी० एस० वालों को मिलता है । लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया कि इसको मंजूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि एम० बी० बी० एस० के बराबर उनकी योग्यता नहीं है और वैद्यक में ही वह एम० बी० बी० एस० के बराबर माने जा सकते हैं । चाहे भूख हड़ताल हो या कुछ भी हो, उनकी यह मांग मंजूर नहीं की जा सकती है । उनके लिये अलग ग्रेड कायम कर दिया गया है । आगे चलकर उनमें कोई योग्य आदमी मिला तो उसका प्रमोशन हो सकता है, लेकिन यह मांग मंजूर नहीं की जा सकती है ।

उनकी दूसरी मांग यह है कि उनके लिये पोस्ट ग्रेजुयेट की शिक्षा का प्रबंध किया जाय । इसके लिये गवर्नमेंट ने कह दिया है कि पहले ग्रेजुयेट हो जाओ, इसके आगे इसका प्रबंध किया जायगा । यह थोड़े में उनकी मांगें हैं, ब्योरे की दूसरी बात है और थोड़े में ही गवर्नमेंट का यह निश्चय है ।

श्री राजनारायण--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि काशी विश्वविद्यालय में अब भी इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है माडर्न साइंस के साथ और पुरानी आयुर्वदिक व्यवस्था के साथ, तो क्या वहां का अनुभव लेकर इस पर फिर सरकार कोई विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी गवर्नमेंट ने नैनीताल में एक कमेटी बुलायी थी । उसमें हिन्दू यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदिक कालेज के प्रिंसिपल साहब आये थे । उन्होंने कहा कि हमको बड़ा दुख है कि इतने दिन तक हमने अपना समय नष्ट किया, लड़कों का समय नष्ट किया और इंटीग्रेटेड नाम से आयुर्वेद को बिलकुल चौपट किया । जो निश्चय हुआ है उसमें सोलह आने उनकी सम्मति है । हम ऐसी आशा करते हैं कि भविष्य के लिये जो कोर्स हम निश्चित कर रहे हैं वह हिन्दू यूनिवर्सिटी में भी स्वीकार किया जायगा ।

श्री प्रतापसिंह--श्रीमन्, माननीय राजनारायण जी ने तो संशोधन दिया था, लेकिन मैंने कामरोको प्रस्ताव दिया है जो निश्चित और आवश्यक है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा, मैं आपके द्वारा उनसे जानना चाहूंगा कि क्या कोई आश्वासन इस माननीय सदन में दिया गया था कि वहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन से ऐप्रूव्ड प्रिंसिपल रखा जायगा ?

दूसरे, इसमें क्या आपत्ति कहने में है कि ग्रैजुएशन के बाद पोस्ट ग्रैजुएशन फैसिलिटीज देंगे । सरकार इसको भी कहने के लिये तैयार नहीं है । मैं कहूंगा कि तीन महीने का मसला है । इसको सुलझाने की जिम्मेदारी माननीय मुख्य मंत्री जी और उनकी कैबिनेट की है, मेरा निवेदन है कि मेरे कामरोको प्रस्ताव की इजाजत दी जाय और उस पर विवाद हो ।

श्री उपाध्यक्ष--इसमें कोई शक नहीं कि विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन यह घटना रीसेंट नहीं है । इस पर हर तरह से प्रकाश पड़ गया है । अगर इतने स्पष्टीकरण के बाद भी कोई प्रश्न रह जाता है तो मैं निवेदन करूंगा कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में पूछ लें और मैं सरकार को मजबूर करूंगा कि उसका जवाब दें । लेकिन इतने स्पष्टीकरण के बाद और चूंकि प्रश्न रीसेंट आकरैन्स का नहीं है, मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं स्पष्टीकरण कर दूं ?

श्री उपाध्यक्ष—बिना इजाजत आप खड़े होकर बोलने लगते हैं। मैंने आपको इजाजत नहीं दी। आप कृपा करके बैठिए। मैं वह प्रश्न खत्म कर चुका हूं।

श्री राजनारायण—उन्होंने यह कहा कि मैंने संशोधन पेश किया। तो आपका यह फर्ज होता है कि आप स्पष्ट करें कि मेरा कोई संशोधन नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष—आपका संशोधन था और आपने भारतीय जी को अधिकार दिया था मूव करने के लिए।

श्री राजनारायण—हमारा आज कामरोको प्रस्ताव है, मैं यह कह रहा हूं .....

श्री उपाध्यक्ष—इसमें क्या आपकी क्रेडिट कम हो रही है ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इसमें तो आपका अपमान हो रहा है, क्योंकि वह कह रहे हैं कि हमने कामरोको प्रस्ताव नहीं दिया, और आपने हमारे कामरोको प्रस्ताव को पढ़ा।

श्री उपाध्यक्ष—हां, मैंने पढ़ा।

श्री राजनारायण—मैं आपका अपमान बचाने के लिए कह रहा हूं। हमारा कोई क्रेडिट क्या कम करेगा ?

तहसील मोहनलालगंज के ससेंदी चकबन्दी क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री राजनारायण जी का ससेंदी चकबन्दी क्षेत्र, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ के सम्बन्ध में है।

इसी प्रकार का कार्य-स्थगन प्रस्ताव पिछले दिनों भी आया था। उसको माननीय अध्यक्ष अस्वीकृत कर चुके हैं। उस घटना को लेकर अगर उसमें एक आध घटना रोज जोड़ दी जाय तो वह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहता हूं। कल भी माननीय अध्यक्ष महोदय से जो हमारी बातचीत हुई...

श्री उपाध्यक्ष—बिना बुलाये आप बोल देते हैं। आप बैठिए, मैं दूसरा प्रस्ताव ले रहा हूं।

प्रदेश की चिन्ताजनक खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—श्री मोतीलाल अवस्थी जी का एक नया कार्य-स्थगन प्रस्ताव है—

"बनारस, गोरखपुर कमिश्नरी, बांदा आदि प्रदेश के अन्य जिलों में खाद्य स्थिति चिन्ताजनक हो गयी है और अन्न संकट बढ़ गया है तथा प्रदेश के कई स्थानों पर खाद्य-स्थिति-जन्य भुखमरी से विषम स्थिति पैदा हो गयी है।"

इसके बारे में भी इसी किस्म का एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने भी आ चुका है जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वादविवाद के बाद इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसकी भी इजाजत नहीं दे सकता।

जिला खीरी में वन विभाग के अन्यायों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव जिला खीरी के वन विभाग के अन्यायों के सम्बन्ध में श्री बंशीधर शुक्ल जी का है। इस प्रस्ताव को देखने से मालूम हुआ कि यह भी स्थानीय प्रशासन की कार्यवाही से सम्बन्ध रखता है। सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—सरकार का आदेश है .....

श्री राजनारायण तथा श्री बंशीधर शुक्ल द्वारा अपने कार्य-स्थगन प्रस्तावों के बारे में प्रार्थना

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मुझे यह निवेदन करना है कि कल तक तो हम भी इस द्विविधा में पड़ते थे कि राज्यपाल के सम्बोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत है उस पर हम लोग अपनी अपनी राय का कुछ इजहार कर सकते हैं मगर आज यह कोई बहाना नहीं हो सकता है। कल माननीय अध्यक्ष महोदय ने .....

श्री उपाध्यक्ष—यह शब्द "बहाना" चेयर की तरफ रेफलेक्शन है।

श्री राजनारायण—रेफलेक्शन का कोई मेरा मतलब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—अगर रेफलेक्शन का मतलब नहीं है तो आप कृपया इसे वापस लीजिये।

श्री राजनारायण—मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मैं ६ बजे वहां घटना स्थल पर गया। आज वहां पर विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। आज वहां पर किस तरह से पुलिस तान्डव-नृत्य कर रही है और गैरकानूनी कार्यवाही कर रही है इस पर ध्यान देने की नितान्त आवश्यकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस नियमावली को देखा जाय .....

श्री उपाध्यक्ष—मैं इस बारे में अपनी व्यवस्था दे चुका हूं। दूसरी बात यह है कि यदि यह इतना आवश्यक प्रश्न है कि इस पर तुरन्त कार्यवाही हो तो उसके बारे में आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं गवर्नमेंट को बाध्य करूंगा कि वह आपके प्रश्नों का जवाब दे। लेकिन अब इस सम्बन्ध में इस प्रकार वाद-विवाद नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण—मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है जब कि तीन दिन से इसकी इस सदन में चर्चा हो रही है। इस सम्बन्ध में हमारी कमलापति जी से बातचीत हुई और चरणसिंह जी से बातचीत हुई। अभी तक वहां पर वह दरोगा साहब हैं जो अपने को भूतपूर्व कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन का रिश्तेदार बताते हैं, वह अवैध कार्यवाही नित्यप्रति करते चले जा रहे हैं तो इससे गम्भीर प्रश्न कब आयेगा?

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठें। मैं सम्बन्धित मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है।

श्री बंशीधर शुक्ल—मैंने जो अपना प्रस्ताव भेजा है वह बहुत जरूरी है और वहां पर जनता को.....

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठ जायं ।

श्री बंशीधर शुक्ल—वहां जनता में हाहाकार मचा हुआ है.....

श्री उपाध्यक्ष—जो विषय सामने है यह उससे सम्बन्धित नहीं है; आप उन लोगों से दरख्वास्त दिलाइये ।

मोहनलालगंज के विषय में जो प्रश्न उठाया गया है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है तो यदि कोई सूचना माननीय मंत्री जी के पास हो और वह सदन को देना चाहें तो दे सकते हैं ।

***गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)**—इस सम्बन्ध में जो सूचना मेरे पास है वह मैं आपकी आज्ञा से पेश कर देता हूं । ससेंडी में चकबन्दी का काम हो रहा है । वहां कुछ आदमी, जो अपने को सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, वे असिस्टेंट कंसालिडेशन अफसर के दफ्तर के बाहर कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और जो किसान वहां जाते हैं उनको रोक रहे हैं । कंसालिडेशन अफसर को काम करने में बाधा पहुंचा रहे हैं । जिन किसानों को चक अलाट हुये हैं वह किसान जब कब्जा लेने अपने चकों पर जाते हैं तो उनको भी रोक रहे हैं, जिससे यह खतरा पैदा हो गया है कि उससे शान्ति भंग हो सकती है । १६ तारीख से ही यह किस्सा वहां चल रहा है । इस आन्दोलन में कुछ महिलायें भी वहां सम्मिलित हैं । इस प्रकार गैरकानूनी कार्य करने के कारण उनकी गिरफ्तारी हुई है । १६ तारीख को १० व्यक्ति, २१ तारीख को १० व्यक्ति, २२ तारीख को ३ व्यक्ति, २३ को ५ और २४ को ६ आदमियों को पकड़ा गया है । इसमें कुछ महिलायें भी गिरफ्तार हुई हैं । बस यही वहां की स्थिति है । क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट की धारा ७ और सी० आर० पी० सी० की धारा ११७ के अन्दर ये गिरफ्तार किये गये हैं ।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वह शान्तिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, खेतों पर कोई किसान कब्जा लेने नहीं जाता है और पूरे चक के किसानों ने इन्कार कर दिया है ? उन्होंने कहा है कि उनको अपने पुराने खेतों पर रहने दिया जाय । वे नये चकों को नहीं लेते हैं जो चकबन्दी अधिकारी उनको दे रहे हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो मैंने नहीं कहा कि वहां उन्होंने डंडा चलाया या कोई उपद्रव मचा दिया । आज कल इस प्रकार की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई है कि कचहरियों में घेरा डालकर उन्होंने काम करना असम्भव कर दिया है । सिसेंडी में भी यही हुआ कि कंसीलिडेशन अफसर को काम नहीं करने देते, किसानों को भीतर नहीं जाने देते और बहुत से किसान जो अपने चकों पर कब्जा करना चाहते हैं उन्हें रोका जाता है, इसलिये शान्ति भंग होने की आशंका है । इसीलिये यह कार्यवाही की गई ।

कार्यक्रम में छापे की त्रुटि का सुधार

श्री उपाध्यक्ष—श्री प्रतापसिंह जी ने एजेन्डे के बारे में एक सूचना दी थी कि "२६ जुलाई, १९५८ को प्रश्नोत्तर के उपरान्त श्री प्रतापसिंह, श्री गोविन्द नारायण तिवारी, श्री मोहनलाल वर्मा, श्री शिवप्रसाद नागर तथा श्री होरीलाल यादव का यह प्रस्ताव लिया जावेगा कि विधान सभा उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् अध्यादेश, १९५८ का अननुमोदन करती है" ।

इसमें शब्द 'अनुमोदन' था, उसे शुद्ध करके 'अननुमोदन' कर लिया गया है और अब वैसी ही कार्यवाही होगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री पलकधारी सिंह के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था श्री पलकधारी सिंह के खींचे जाने पर। उस पर अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि संबोधन के सिलसिले में इसका जिक्र हो जावेगा। तो, श्रीमन्, उसमें इसका कोई चर्चा नहीं हुआ। इस विषय पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---आपने उसकी चर्चा नहीं की।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---दूसरे लोग इस पर बोले और मुझे मौका नहीं मिला। इसलिये मैं चाहता हूं कि माल मंत्री जी या गृह मंत्री जी अगर इसके बारे में कोई जानकारी रखते हों तो बता दें।

श्री उपाध्यक्ष---गृह मंत्री जी, आप अगर इसके बारे में तैयार हों तो बतला दें।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मैं समझा नहीं, किसके बारे में सूचना चाहते हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---पडरौना तहसील में श्री पलकधारी सिंह को दरोगा ने पीटा, गिरफ्तार किया और सजा भी करा दी। तो इस विषय में मैंने कल कामरोको प्रस्ताव दिया था जिसको माननीय अध्यक्ष ने पढ़ा भी नहीं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने के संबंध में संकल्प (क्रमागत*)

श्री उपाध्यक्ष---श्री भीखालाल जी का गन्ने के मूल्यों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव है उस पर अब विवाद जारी होगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---इसमें मुझे एक निवेदन करना है और वह यह कि यहां गैरसरकारी प्रस्ताव कई हैं और ऐसा होता है कि एक ही प्रस्ताव पर कई-कई दिन बहस चला करती है। शायद इस प्रस्ताव पर पहले भी काफी बहस हो चुकी है....

श्री उपाध्यक्ष---केवल दो भाषण हुए हैं।

श्री राजनारायण---इसके अतिरिक्त जब सदन पहले चल रहा था तो कई गैर-सरकारी दिन सरकारी कार्यक्रम में मिला लिये गये थे और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वह सब दिये जायंगे।

श्री उपाध्यक्ष---जो सूचना दी गई है उसमें जितने गैर-सरकारी दिन लिये गये थे वह आ गये हैं और उन दिनों का उपयोग होगा।

श्री राजनारायण---तो मैं चाहता था कि यदि इस संकल्प पर समय का बंटन हो जाय तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष---एक रास्ता है कि जब आपकी समझ में आये कि पर्याप्त बहस हो गयी तो आप विवादान्त का प्रस्ताव कर दें।

---

*२८ मार्च, १९५८ की कार्यवाही से।

आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन आज के बाद २९ तारीख को बैठेगा? अगर २९ तारीख का कार्यक्रम हमको बता दिया जाय तो सुविधा होगी।

श्री उपाध्यक्ष---कार्यक्रम की एक लम्बी लिस्ट आपको दे दी गई है। आप नोटिस आफिस से लेकर जान लें।

राजा वीरेन्द्रशाह---कई बार कार्यक्रम बदल दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं कई बार कह चुका हूं कि जब तक सरकार पर्याप्त कारण नहीं बतलायेगी तब तक कार्यक्रम में परिवर्तन नहीं होगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या इसमें आपने अध्यक्ष महोदय की राय भी ले ली है?

श्री उपाध्यक्ष---जब मैं यहां से बोलता हूं तो दोनों की तरफ से बोलता हूं।

गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष---अब भीखालाल जी के प्रस्ताव पर विचार जारी होगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भीखालाल जी के प्रस्ताव, कि गन्ने का मूल्य १ रुपया ७ आना के बजाय १ रुपया १२ आना कर दिया जाय, का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सन् १९५२ की एक याद दिलाना चाहता हूं इस सदन को कि जिस वक्त पर एक रुपया १४ आना मन गन्ने का दाम किसान को दिलवाया जाता था और हमारी सरकार की तरफ से ३० रुपये मन शुगर के दाम का कंट्रोल था, हमारे स्वर्गीय रफी साहब ने भी इस बात का पूर्ण समर्थन किया था और यह कहा था कि जितने रुपये मन बाजार में चीनी हो उतने ही आने मन गन्ने का दाम किसानों को दिया जाय। यहां से लेकर केन्द्रीय सरकार तक बावेला मचाया गया और उस समय ऐसी आशा जाग्रत हुई थी कि किसानों के साथ पूर्ण न्याय होने वाला है। मगर उसके बाद ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये गन्ने के दाम घटते ही गये और शुगर का भाव बढ़ता गया। आज हम इस स्थिति में पहुंच गये हैं कि १ रु० ५ आना मन गन्ने का दाम हो गया है, पहले से वह ७ आने मन घटा दिया गया है, जब कि शुगर का दाम ८-१० रुपया मन बढ़ गया है।

एक बड़ी गहरी चीज इसमें है। मैं सदन में यह बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार हमारे मिलमालिकान से शुगर ५२ रुपये पर हंडरेडवेट खरीदती है और विदेशों में ३५ रुपया पर हंडरेडवेट शकर बेचती है। आज कौन-सी ऐसी समस्या उत्पन्न हो गयी है, मुझे इस गहराई में जाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे किसानों के एक तिहाई धन का नुकसान होता है और वह एक तिहाई धन हमारे किसानों से छीन कर पंजीपतियों को दे दिया जाता है, इसीलिये हमने आज यह प्रस्ताव यहां रखा है कि गन्ने का भाव एक रुपया बारह आना मन कर दिया जाय। श्रीमन्, मैं इस मामले में यह देख रहा हूं कि किसानों से गन्ने का पैसा छीन कर बड़े-बड़े पूंजीपतियों की झोलियां भरी जा रही हैं। आज एक तिहाई रकम के नुकसान पर जो सरकार चीनी दूसरे देशों को बेचती है उसका भार किसानों पर ही नहीं प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ जनता पर पड़ता है।

हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सब से अधिक शकर पैदा होती है। हमारे प्रदेश में ६७ शुगर फैक्ट्रीज हैं जिनमें १०,८०,००० टन शुगर पैदा की जाती है जबकि सारे भारतवर्ष में २०,००,००० टन शुगर पैदा होती है। इसके यह मानी हैं कि सारे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां सब से अधिक शुगर का प्रोडक्शन होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज यह इतना बड़ा भेद शुगर फैक्टरीज और किसानों के बीच में क्यों पैदा किया गया है। एक बहुत गहरी बात इसमें छिपी हुई है, अगर आपकी इजाजत हो तो अर्ज करूं। बड़े-बड़े पूंजीपतियों की शकर का भाव ऊंचा करके और किसानों के गन्ने के भाव को नीचा करके एक बात का सबसे बड़ा प्रलोभन दिया जाता है। जब पांच वर्ष बाद चुनाव आता है तो उसके लिये सरकार को एक लम्बी रकम की जरूरत होती है। जब मंत्री लोग जाते हैं तो शुगर मिलों में ठहरते हैं और उनके दस्तरख्वान पर अच्छे से अच्छा स्वाद लेते हैं और वादा कर आते हैं कि इसका घाटा अगली बार केन प्राइस में मुजरा देंगे। जब वक्त आता है तो बड़ी-बड़ी कमेटियां बैठती हैं और दिल्ली और लखनऊ, सब स्थानों पर केन प्राइसेज डाउन कर दी जाती हैं। शुगर का भाव ऊंचा कर दिया जाता है और उसको नीचे से नीचा गिरा कर और फारेन एक्सचेंज की बात कह कर, नीचे दामों में दूसरे मुल्कों में सरकार उसको बेचती है।

इस चीज से मेरा सख्त विरोध है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि जिस भाव पर सरकार फारेन कंट्रीज को शुगर भेजती है क्यों नहीं उसी भाव में मिलों से खरीदती। सरकार मिलों को डयोढ़ी कीमत क्यों ज्यादा दे रही है ? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त खेतों पर २० आना मन गन्ने का भाव था और ३० रुपया मन शुगर का भाव था तब भी तो लाखों और करोड़ों रुपया शुगर फैक्टरीज को लाभ हुआ करता था और आज जबकि १ रु० ५ आ० मन गन्ने का भाव है, और ३८ रु० मन शक्कर का भाव है, तब मिल मालिक चिल्लाते हैं कि हमें बड़ा घाटा होता है। अभी आल इंडिया शुगर फैक्टरीज की तरफ से श्री बल्लभदास शाह ने एक रिपोर्ट निकाली है और प्रेसीडेंट्स ऐड्रेस में रिपोर्ट देते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर सरकार की ओर से जो १३ रु० ३ आने मन का टैक्स आज लगाया गया है, इसलिये हमको बड़ा घाटा होता है। हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने आज तक इस बात को जानने का प्रयत्न क्यों नहीं किया कि गन्ने के उत्पादन में किसानों को कितना घाटा होता है। शुगर फैक्टरियों में कितना घाटा होता है, शुगर फैक्टरियों पर कितना टैक्स पड़ता है, शुगर फैक्टरियों को कितना मुनाफा होता है, उसके आंकड़े तो सरकारी किताबों में छप जाते हैं मगर किसान को एक एकड़ गन्ने के उत्पादन में कितनी लागत आती है, इसका कोई आंकड़ा आज तक सरकार ने इस सदन के सामने पेश नहीं किया है। हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि न तो बड़ी सरकार ने किया है, न छोटी सरकार ने किया है। कभी-कभी हमारी सरकार यह बतलाने की मेहरबानी करती, कभी-कभी हमारी सरकार इस बात को सोचने की कृपा करती कि हमारे किसान को एक एकड़ गन्ने के उत्पादन में कितनी लागत पड़ती है, उसका उत्पादन कितना होता है तो बड़ा अच्छा होता। मेरा अपना अनुमान है, क्योंकि मैं भी किसान हूं, मेरे पास भी ४० एकड़ खेत है और हरसाल मैं ५, १० एकड़ गन्ना बोता हूं। मैंने अन्दाज लगाया है और कागजों पर भी हिसाब लगा कर देखा है कि जो गन्ना हम बोते हैं, उसमें काटने के दिन तक १ रु० ४ आने मन लागत बैठती है। उसके बाद सेंटर तक ले जाने के लिये गाड़ी भाड़ा आदि अलग से लगता है। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि आज गन्ना किसान के लिये सिर्फ मन बहलाव के लिये ही रह गया है कि इससे काफी पैसा आता है। क्योंकि एक इकट्ठी रकम उससे आती है, इसलिये उसे कैश क्राप लोग कहते हैं, लेकिन असल में वह कैश क्राप नहीं है। आज कैश क्राप की हालत यह है कि बाद में जब किसान साल भर का परता लगाता है तो उसमें घाटा ही घाटा नजर आता है।

[श्री शिव प्रसाद नागर—]

इसलिये, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह बात कहना चाहता हूं और यह दरख्वास्त करता हूं कि गन्ने का दाम १ रु० १२ आने मन किया जाय और अगर आप गन्ने का दाम १ रु० १२ आने मन नहीं करते हैं तो उसी अनुपात से शक्कर का भाव कम कीजिये ताकि हमारे प्रदेश के किसानों का सारा रुपया जो पूंजीपतियों के पास इकट्ठा होता जा रहा है उसका सही वितरण हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय भीखालाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और १ रु० १२ आने मन कीमत बढ़ाने के प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री मदन पांडेय जी, क्या आप अपना संशोधन रखना चाहते हैं?

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—अपने संशोधन के सिलसिले में ही सब कुछ कह जाऊंगा जो कि मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है।

श्री मदन पांडेय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करता हूं :

"संकल्प की पंक्ति ५ में शब्द 'पर' तथा अंक और शब्द '१ रु० १२ आना' के बीच में शब्द 'कम से कम' रख दिये जायं।"

इस शब्द 'कम से कम' की आवश्यकता मैं क्यों महसूस करता हूं इसके निवेदन करने में जितना भी वक्त लग जाय, इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन अपने हृदय से करना चाहूंगा। गन्ना हमारे प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से की एक ऐसी कैश क्राप है, नकदी वाली फसल है जिसके बल-बूते पर उन हिस्सों के काश्तकार अपनी सारी योजनायें बनाया करते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे प्रदेश का ऐसा है, जहां पर गन्ने की फसल यदि फेल हो जाय या गन्ने के दाम में घटती या बढ़ोत्तरी हो तो उनकी योजनाओं पर उनकी असेट और लायबिलिटीज पर उसका बहुत असर पड़ता है। इसलिये गन्ने की फसल से उत्तर प्रदेश का बहुत गहरा सम्बन्ध है। हम इस सदन से और इस सदन की मार्फत सरकार से यह निवेदन करना चाहते हैं कि जब भी गन्ने का दाम तय करने का प्रश्न सामने आवे चाहे वह केन्द्रीय सरकार से बातें करने का प्रश्न हो या कुछ और हो, किन्तु इस बुनियादी तथ्य की तरफ उनका ध्यान जाना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि अंग्रेजी सरकार के जमाने का जो टैरिफ बोर्ड बना था शुगर इंडस्ट्री पर रिपोर्ट देने के लिये उसने तमाम जगह घूम कर जो खोजें कीं और जो फाइंडिंग्स दीं उन पर भी इस सरकार का ध्यान जाना चाहिये जब इसकी तरफ से कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास गन्ने का दाम निर्धारण करने हेतु जाय।

सन् १९३३ में टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट छपी है। शाहजहांपुर में जो सरकारी फार्म था उस फार्म के पूरे आंकड़े लेकर—उस वर्ष का कास्ट आफ केन प्रोडक्शन पर उन्होंने स्पष्ट राय जाहिर की है कि गन्ने का दाम उस समय के हिसाब से लगभग ८ आने मन होना चाहिये। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन पंक्तियों का उद्धरण देना चाहूंगा जो कि रिपोर्ट के पृष्ठ ६० पर दी हुई हैं—

"A fair price for cane would thus be about 8 annas per maund delivered at factory."

इससे पहले बहुत बड़ा पैरा है जिसमें रीजन्स दिये हैं और शाहजहांपुर के गवर्नमेंट फार्म के आंकड़ों के बल पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि यह जो दाम हैं उचित ही हैं। इस सम्बन्ध में थोड़ा ही गौर करने से यह स्पष्ट हो जायगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। सन् ३३ में डेढ़ सेर १ रुपये का घी बिकता था, आज ३ छटांक का बिकता है। मोटे तौर पर मैं यह कहूंगा कि साढ़े ७ गुना महंगाई बढ़ी। प्री वार प्राइस

इंडेक्स हमारे सूबे में मेन्टेन किया जाता है कानपुर को लक्ष्य कर के। वह भी आज चार प्वाइंट कुछ है। अगर इन दोनों की तुलना की जाय तो, जैसा कि मैंने कहा, घी के दाम को मद्देनजर रखते हुए या सन् ३३ के गल्ले के दाम को मद्देनजर रखते हुए महंगाई के दाम जोड़े जायं तो ८ आने के सात गुने दाम हुए ३ रु० ८ आने और यह दाम आज एक मन गन्ने के होने चाहिये। लेकिन अगर इसे न भी मानें तो सरकार का जो कानपुर का प्राइस इंडेक्स है उस पर ही गन्ने के दाम बेस करें तो उसकी बुनियाद पर भी प्रति मन २ रुपये से ऊपर गन्ने के दाम मोटे तौर पर माने जाने चाहिये। लेकिन इस प्रस्ताव में १ रु० १२ आ० की मांग की गयी है। हमने उसमें कम से कम शब्द इसीलिये जोड़ देना आवश्यक समझा कि अगर इससे कम प्राइस गन्ने की किसी के दिमाग में आये तो आज काश्तकार जितना पिसता जा रहा है, जिस तरह से उसकी माली हालत आज गिरती जा रही है, और जिन क्षेत्रों की आर्थिक हालत गन्ने के दाम के ऊपर मुनहसर करती है उन क्षेत्रों की हालत और भी बुरी हो जायगी। इसीलिये मैंने अपना यह संशोधन रखा कि १ रु० १२ आ० कम से कम गन्ने के दाम रखे जायं। जिस सीजन ५७ का जिक्र किया गया है उसमें तो ये दाम दिये ही जायं, बल्कि हम तो यह चाहेंगे कि आइंदा जो आने वाला सीजन है उसमें भी जिस प्रकार हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए इससे भी अधिक दाम सरकार तय करने की कोशिश करेगी और उससे कम की बात तो दिमाग में आनी ही नहीं चाहिये।

मैं एक समस्या की ओर और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गन्ने की ऐसी फसल है जिसके ऊपर सेस के रूप में इस सरकार को बहुत बड़ी रकम मिलती है, लेकिन सरकार से हमारी यह शिकायत है कि केन के डेवलपमेंट में वह इस सेस की रकम को खर्च नहीं करती है। अभी कल परसों ही फीगर्स मालूम हुए कि ३,५४,००,००० रुपये सेस की सरकारी रकम गन्ने के दाम में से काट कर मिल वालों के पास है। अगर सरकार उसे अपने पास रख कर अन्य कामों में खर्च करती है तो यह उचित नहीं होगा। गन्ने के दाम में से जो कुछ कटौती हो या तो वह काश्तकारों को मिले और नहीं तो उसको गन्ने के डेवलपमेंट पर खर्च किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का और अपने संशोधन का समर्थन करता हूं।

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—मैं एक प्वाइंट आफ ऐक्सप्लेनेशन पेश करना चाहता हूं। यह जो माननीय पांडेय जी का संशोधन है .....

श्री उपाध्यक्ष—जी हां, ठीक है, मैं समझ गया जो आप कहना चाहते हैं। यह नियमित नहीं है।

श्री मोहनलाल गौतम—क्योंकि "न्यूनतम मूल्य" के बाद "कम से कम" की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—जी हां "न्यूनतम" शब्द इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद "कम से कम" की क्या आवश्यकता रह जाती है, इसको माननीय पांडेय जी जरा देख लें।

***श्री कालीचरण अग्रवाल** (जिला एटा)—उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प जो सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है मैं उसका विरोध करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। मेरी सम्मति में यह संकल्प जो १४,००,००० गन्ना उत्पादकों के हित में बताया गया है वह उनको तबाह कर देगा। प्रान्त के अन्दर अन्न का संकट पैदा हो जायगा और बड़ी भारी तबाही खुद काश्तकारों पर आ जायगी। मैं काश्तकारों की समस्याओं को समझता हूं, जानता हूं। आज प्रदेश में अन्न का संकट है, लेकिन जो गन्ने का उत्पादन हुआ है वह गत वर्षों से कम नहीं है। १९५४–५५ में प्रान्त में १०,००००० टन चीनी बनी। १९५५–५६ में उससे भी ज्यादा बनी। १९५६–५७ में १८,००,००० टन बनी। उसके बाद साढ़े २०,००,००० टन बनी और इस साल भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काली चरण अग्रवाल—]

करीब-करीब उतनी ही बनी है । केवल ४० ० ०० टन चीनी की कमी है । लेकिन जितनी चीनी की कमी है वह भी जो आपने ओपिन पैन वैकुअम खंडसारी फैक्टरीज खोली हैं उनसे पूरी हो गई है । इसलिये उतना ही गन्ना उत्पन्न हुआ है जितना पिछले साल हुआ था । द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के बाद भी यह टार्गेट था कि २०,००,००० टन चीनी तैयार कर सकें और उतना ही गन्ना यहां पर उत्पन्न होने लगा। अब अगर हम कैशक्राप को ही ज्यादा प्रोत्साहन देते रहे, जैसे—तम्बाकू, आलू और गन्ना, तो इसका नतीजा यह होगा कि किसान वही चीज ज्यादा पैदा करेगा जिसमें उसको फायदा होगा । नतीजा यह होगा कि जो प्रान्त के अन्दर अन्न की कमी हो रही है, जिस पर विरोधी दल के भाई टीका-टिप्पणी कर रहे हैं तो क्या उन्होंने कभी यह भी सोचा है कि इस प्रकार अगर गन्ने की कीमत १ रु० १२ आना हो गई तो अन्न की कमी हो जायगी ? मैं तो समझता हूं कि हमारे साथियों को इस बात का पता नहीं कि ग्रामीणों की समस्यायें क्या हैं । उनके सामने तो राजनीतिक ध्येय ही प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है । वह चाहते हैं कि काश्तकारों के अन्दर यह कह कर कि गन्ने का मूल्य १ रु० १२ आना मन दिलवा देंगे उन में ऐजीटेशन पैदा करें । बस यही मंशा है । मैं अपने जिले की, एटा जिले की, जहां पर गन्ना उत्पादन का क्षेत्र काफी है, दशा अच्छी तरह से जानता हूं । मैंने देहातों में देखा है । मैं क्या कहूं, क्या समस्यायें पैदा होती हैं। गन्ना इतना ज्यादा पैदा होता है कि काश्तकार बड़े परेशान रहते हैं। पिछले तीन वर्ष में हमने देखा कि कोआपरेटिव के द्वारा खरीदारी हुई। गन्ने की पर्चियां किसानों को नहीं मिलती थीं और मिल वाले गन्ना लेने से इन्कार कर देते थे। होता क्या है कि मिल वाले १२ आना मन में गन्ना खरीद लेते हैं किसान से क्योंकि किसान के पास गन्ना पड़ा रहता है इसलिये वह मजबूरन उसको बेचता है। दूसरे ओपिन पैन वैकुअम खंडसारी फैक्टरीज जहां खुली हैं, जो मिल से ७-८ मील के फासले पर ही होती हैं, उनको १ रुपया या १४ आना मन या १२ आना मन गन्ना मिल जाता है। काश्तकार परेशान है कि अपने गन्ने को किस तरह खपाये । जहां अन्न की कमी है वहां गन्ने की कमी नहीं है । बल्कि उसकी तो खपत होना मुश्किल हो जाती है । अगर १ रु० १२ आना मन गन्ने का दाम कर दिया तो नतीजा यह होगा कि गन्ना ही गन्ना होगा । फिर आप जरा आंकड़ों को भी देखें तो मालूम होगा कि सन् ५५–५६ में यहां पर चीनी का आउटटर्न साढ़े इस लाख टन था और जो गत वर्ष बढ़ कर साढ़े १८,००,००० टन हो गया और इस साल वह साढ़े २०,००,००० टन हो गया। इसी तरह से चीनी का निर्यात बाहर के लिये पारसाल २,००,००० टन हुआ था और इस साल भी सरकार ने ५०,००० टन निर्यात की इजाजत दी है और आशा है कि अभी कुछ और चीनी भेजने की भी इजाजत दी जायगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसी तरह से हम अपना गन्ने का उत्पादन लगातार बढ़ाते गये तो किसान की क्या हालत होगी । जो किसान आज भी गन्ने को बेचने के लिये परेशान होता है वह उस दशा में और भी परेशान हो जायगा ।

यह हमारी खुशकिस्मती है कि चीनी मिलों के साथ-साथ हमारे गुड़ बनाने के कारखाने और खंडसारी की फैक्टरियां भी काम कर रही हैं वर्ना मिल वाले तो गन्ना उत्पादकों को और भी अधिक परेशान कर देते । इन गुड़ और खंडसारी बनाने के कारखानों में चाहे उनको पैसा कुछ कम भी मिलता है लेकिन कम से कम उनका गन्ना तो वक्त से खप जाता है । आज मिल वालों ने बड़ी भारी आवाज उनके खिलाफ उठा रखी है कि जिस तरह से हमारे ऊपर एक आना रुपया का सेस लगाया हुआ है उसी तरह से सेस खंडसारी शुगर पर भी लगाया जाय । लेकिन यह चीज बिलकुल गलत है। गुड़ और खंडसारी का तो हमारे यहां का एक कुटीर उद्योग है जिसमें हमारे सैकड़ों मजदूर काम करते हैं, उसको तो हमें और प्रोत्साहन देना चाहिये और मिल वालों के अत्याचार को रोकने के लिये भी यह जरूरी है कि हम खंडसारी उद्योग को प्रोटेक्शन दें। टेरिफ बोर्ड की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि खंडसारी के व्यवसाय को प्रोटेक्शन और संरक्षण दिया जाय, बजाय इसके कि हम उस पर कोई सेस या एक्साइज ड्यूटी लगावें, इसलिये अगर हम गन्ने के रेट को बढ़ाते हैं तो उससे किसान को

हानि ही होगी और वह और परेशान हो जायगा। हमको इस बात पर नियंत्रण रखना है कि परचेजिंग सेन्टर्स पर जो गड़बड़ी होती है वह न हो, किसान वहां पर परेशान न हो, जो परचेजिन्ग एजेंट्स हैं वह तौल वगैरह में तरह-तरह की बातें करते हैं और कम वजन दिखाते हैं।

नियौली शुगर फैक्टरी का मेरा तजुर्बा है, मैंने वहां आवाज भी उठाई है, किसान को बड़ी भारी परेशानी गन्ने को बेचने में होती है। आउटसाइड स्टेशन्स पर जो परचेज होती है, फैक्टरी के अलावा वहां पर तो और भी अधिक नियंत्रण की जरूरत है। वहां के बजाय अगर फैक्टरी पर ही गन्ना लिया जाय तो अच्छा है। इसलिये इन बातों के अधिक नियंत्रण की जरूरत है बजाय इसके कि गन्ने के दाम १ रुपया १२ आना कराये जायं, अच्छा यही होगा कि जो काश्तकारों की परेशानियां हैं उन्हीं को दूर करने की कोशिश की जाय और उनको इसी तरह से लाभ पहुंचाया जाय।

दूसरी बात जो मैं सदन के सम्मुख आपके द्वारा रखना चाहता हूं वह यह है कि जो सेस काटा जाता है उसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। मैंने देखा है कि नियोली शुगर मिल में सेस का ४,००,००० रुपया इकट्ठा है और उसका कोई उपयोग आज तक नहीं हुआ। आज तक एक भी सी० सी० ट्रेक नहीं बना। गन्ने के ट्रान्सपोर्ट की सुविधा आज तक नहीं हो सकी है। जब तक गन्ना फैक्टरी तक लाने के अच्छे साधन नहीं होते किसान की परेशानी कम नहीं होती। अगर उसको फैक्टरी तक गन्ना लाने में १२ आना मन देने पड़े तो उसे तो वही १ रुपया २ आना मन या १ रुपया मन के दाम उपलब्ध होंगे। जरूरत इस बात की है कि पूरी सख्ती के साथ आप मिलों को मजबूर करें कि वह अपने यहां सी० सी० ट्रेक बनवायें और हर प्रकार की उचित सुविधा गन्ना उत्पादकों को दें। यदि यह सब सुविधायें हो जायं तो किसान को १ रुपया ५ आने के रेट में भी काफी पैसा प्राप्त हो सकेगा। अगर १ रुपया १२ आने के रेट से और परेशानी पैदा हो और गल्ले की पैदावार भी कम होती जाय तो उससे आगे चलकर किसान को ही कष्ट होगा और देश की एकनामी पर उसका असर पड़ेगा।

एक बात सदन के सामने और कहूंगा और वह यह है कि हमें एक छोटे दायरे से या तंग दृष्टिकोण से किसी समस्या को नहीं देखना चाहिये। आज इस देश में बहुत बड़ा निर्माण कार्य हो रहा है, केवल विरोध का यह समय नहीं है। हमारे सामने बड़ा भारी सवाल फारेन एक्सचेंज का है। हम रिहन्ड डेम तक के काम को कम करने जा रहे थे लेकिन हमारी सरकार का सौभाग्य है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि किसी प्रकार से हम रिहेंड डैम के प्रोग्राम को कम नहीं होने देंगे। इस तरह की ये बातें चलीं। लेकिन फिर भी हमारे सामने जो प्रश्न है वह यह है कि हम फारेन एक्सचेंज को किस तरह से प्राप्त कर सकें। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि ३५ रुपये में तो चीनी को सरकार लेती है और देती है ५४ के भाव में तो यह काश्तकारों के साथ में एक बड़ी बेईमानी है। मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करूं कि आप इतिहास को उठा कर के देखें। जापान में क्यों इतना ज्यादा औद्यो.गीकरण हो रहा है? जापान क्यों मशहूर हो गया और दूसरे देशों में और आपके देश में वहां की चीजें क्यों आयीं? हुआ यह कि उन्होंने अपने यहां चीजों को तेज बेचा और दूसरे देशों के मार्केट को फ्लड कर दिया और इस प्रकार से अपने उद्योगों को बढ़ाया।

मैं समझता हूं कि सेंटीमेंटल बातों में पड़ कर, भावनाओं में बह कर अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिये हम इन बातों में न जायं और हम एक वृहत्तर दृष्टिकोण से देखें कि देश का निर्माण करने के लिये किस चीज की आवश्यकता है। इसके लिये चीनी के निर्यात की बड़ी भारी जरूरत है। चीनी का खाना इतना जरूरी नहीं है जितना कि अपने उदर का पालन-पोषण करना है अन्न के द्वारा। मैं तो यह भी कहूंगा कि अगर चीनी का ५० फीसदी भी निर्यात कर दिया जाय और अपने देश में गुड़ और खंडसारी से काम चलाया जाय, जिसमें विटैमिन अधिक होता है, तो फारेन एक्सचेंज अधिक मिल सकेगा। लेकिन एक

[श्री कालीचरण अग्रवाल---]

बात है कि अगर गन्ने की १ रुपया १२ आने कीमत हुई और अब १ रुपया ५ आने है तो चूंकि १ आने पर ८ आने दाम बढ़ जाते हैं जो उन ७ आनों से चीनी के दाम ८ रुपया और बढ़ जाते हैं। इस प्रकार आज जो चीनी ३७ रुपया और साढ़े ३७ रुपया मन मिल रही है वह ४३ और साढ़े ४३ रुपया मन हो जाती है और ५० रुपये में बिकने लगेगी। उसमें १३ रुपये ड्यूटी के काट दीजिये तो भी ३३ से कम में चीनी देश में प्राप्त नहीं हो सकेगी। उसमें भी अगर गवर्नमेंट उसे ३० रुपये में बेचे तो भी संसार का जो शुगर बोर्ड है उसको भी प्रायोर्टी देनी है। वहां उसके रेट १८-१९ रुपया हैं। पिछली बार जब कि माननीय रफी अहमद किदवई केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री थे और यहां पर ३ ही वर्ष हुए हमको विदेशी चीनी मंगानी पड़ी तो वह २२ रुपये के भाव से आयी और दूसरे देशों से १८ रुपये के भाव में खरीदी गयी।

श्री शिवप्रसाद नागर---सरकार ५२ रुपये के दाम में देती है और ३५ रुपये में खरीदती है।

श्री कालीचरण अग्रवाल---यह तो आर्थिक बात है और एक इकानामिक फैक्टर की चीज है। दूसरे देशों में भी यह होता है कि दूसरे को सस्ता माल दें और अपने देश में तेज करें। फारेन एक्सचेंज के लिये हमें यह करना पड़ेगा कि चीनी के दाम यहां पर तेज रखते हुए बाहर मद्दा करना होगा।

श्री शिवप्रसाद नागर---आप सही आंकड़े प्रस्तुत करें। आपके पास तो चीनी की मिल है।

श्री कालीचरण अग्रवाल---मिल तो नहीं है, केवल १०-५ एकड़ जमीन है। ४० एकड़ गन्ने वालों को ज्यादा फिक्र होगी।

मैं यह निवेदन करूंगा कि यह संकल्प अगर हमने केन्द्रीय सरकार को लिखा और वहां जाकर यह पारित हो गया तो यह अच्छा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि हमको केन्द्रीय सरकार से कोई सफाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रान्त और देश के हित में, निर्माण के हित में सब तरह से आवश्यक है कि १ रु० ५ आना गन्ने के दाम रखे जायं और जो लेटेस्ट टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट है उसमें १ रु० ४ आने उसकी कीमत रखी गयी है। १ रु० १४ आना उन्होंने नहीं माना, जिसका जिक्र किया गया था। अगर गन्ने का दाम बढ़ा दिया गया तो हमारा अन्न संकट और उग्र रूप में पैदा हो जायगा। यह कोई नयी बात नहीं है। हमारे विरोधी भाई और खास तौर से पूर्व और पश्चिम की दुहाई देने वाले जो कहा करते हैं कि पूर्वी जिलों में खतरा है, आज यह मामूली बात नहीं है।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)---श्रीमन्, यह प्रस्ताव जो गन्ना संबंधी सदन में आया है उसमें मैं इतना ही संशोधन करना चाहता हूं कि कम से कम प्रति मन २ रुपये के हिसाब से रखी जाय।

श्री उपाध्यक्ष---यह मदन पांडेय जी के संशोधन में आपका संशोधन है?

श्री राजदेव उपाध्याय---जी हां।

श्री उपाध्यक्ष---मुसीबत यह है कि माननीय मदन पांडेय जी का जो संशोधन था वह अनियमित हो गया। इसलिये अब आप इस पर भाषण दें, यह संशोधन नहीं माना जा सकता।

श्री राजदेव उपाध्याय---जैसा कि अभी अभी मेरे एक मित्र ने कहा गन्ने, की समस्या हमारे प्रदेश के लिये बड़ी ही महत्वपूर्ण समस्या है और हमारे प्रदेश का पूर्वांचल जो है, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, उसमें इतना ज्यादा गन्ना होता है कि जितना

सारे हिन्दुस्तान में नहीं होता, और गोरखपुर और देवरिया इन दो जिलों में तो मेरे खयाल से बीसों मिलें हैं और इनमें बहुत बड़ी तादाद में मजदूर काम करते हैं। इसके साथ-साथ मेरे खयाल से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा किसान नहीं है जो २, ४, १० एकड़ गन्ना न बोता हो और लगातार ५–७ सालों से सूखे की वजह से या अतिवृष्टि की वजह से जब बार-बार खरीफ की फसल मारी जाती है, रबी की फसल मारी जाती है, किसान अन्न के दाने के लिये हाहाकार मचाता है, (व्यवधान) खामोश रहें आप, घबराइये नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—आप मुझसे निवेदन करें। आप कृपया खुद उनसे खामोश रहने के लिये न कहें।

श्री राजदेव उपाध्याय—उस हालत में जो कुछ पैसा किसानों को मिलता है वह गन्ने से ही मिलता है और मिलों से मिलता है। किसान की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये, उसके जीवन की जरूरियात को पूरा करने के लिये पैसा कितनी जरूरी चीज है, इसको सदन का हर एक माननीय सदस्य जानता है। क्वार के महीने में जो वह अन्न बेचने जाता है तो जखीरेवाले सस्ते दामों पर ले लेते हैं और जब वैशाख में वह गेहूं बेचने जाता है तब भी उसको पैसा नहीं मिलता है। ऐसी हालत में गन्ना ही एक ऐसा साधन है उनके पास जिससे उन्हें पैसा मिलता है। उससे वे अपना लगान देते हैं, अपनी शादी ब्याह करते हैं, अपना कपड़ा खरीदते हैं और साल भर की जितनी जरूरियात की चीजें होती हैं उन्हें गन्ना सप्लाई करके ही किसान इकट्ठा करता है। आज जो गन्ने की कीमत १ रुपया ७ आने मन रखी गयी है मेरे खयाल से वह कम है। जब २६ रुपये प्रति मन के हिसाब से चीनी बेची जाती थी उस समय गन्ने की कीमत १ रुपया ७ आने रखी गयी थी, लेकिन आज चीनी का भाव ३२ रुपये मन है और अगर मिलों के वाउचरों को देखा जाय तो ३५ और ३६ रुपये मन के हिसाब से मिलें बाजार को चीनी सप्लाई करती हैं। इस हिसाब से गन्ने की कीमत जरूर बढ़नी चाहिये। इसके अलावा पहले जो मजदूरी २ आने थी वह ८ आने, १२ आने और १ रुपया हो गयी है, गुड़ आज ३–४ सेर का बिकने लगा है, कपड़ा जो पहले ३ आने गज मिलता था वह १ रुपये गज हो गया है, तो जीवन की जितनी आवश्यक चीजें हैं वे जब चौगुनी और अठगुनी बढ़ गयी हैं उनको देखते हुये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि गन्ने की कीमत जो १ रुपया ७ आने मन रखी गयी है वह बहुत कम है।

एक सदस्य—गेहूं की क्या कीमत है ?

श्री राजदेव उपाध्याय—गेहूं की कीमत कोई ज्यादा मेरे खयाल से नहीं है। इस समय मेरे पास रेट्स नहीं हैं, मैं मंगा कर बाद में बता दूंगा।

इसलिये गन्ने का रेट जरूर बढ़ना चाहिये। कोई जमाना था जब उस रेट के मुताबिक गन्ने का रेट फिक्स किया गया था और आज पूर्वी अंचल में जैसी अकाल की परिस्थिति हो रही है, इसके निवारण के लिये, इसको दूर करने के लिये और किसानों की समस्या को हल करने के लिये तथा उनकी दशा को सुधारने के लिये बड़ी मेहरबानी होगी यदि गन्ने की कीमत बढ़ा दी जाय। वैसे मैं जानता हूं कि प्रांतीय सरकार गन्ने का रेट फिक्स नहीं करती है, लेकिन वह अपनी राय केन्द्रीय सरकार को भेज सकती है और मैं समझता हूं कि यदि प्रांतीय सरकार केन्द्रीय सरकार को राय देगी तो, मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार जरूर कुछ न कुछ बढ़ायेगी और किसानों की समस्या भी हल हो जायगी।

श्रीमन्, गन्ने की कीमत हर हालत में बढ़नी चाहिये। यह एक सहारा है और इसी से उनके आंसू पोछे जा सकते हैं। मैं सदन के सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह पूर्वी या पश्चिमी जिलों की समस्या हमारे सामने नहीं है। पूर्वी जिलों से ज्यादा अच्छा गन्ना पश्चिमी जिलों में होता है। अगर गन्ने का भाव बढ़ेगा तो जितना नफा पूर्व के किसानों को होगा उतना ही नफा पश्चिम के किसानों को भी होगा। इसलिये हमारे सामने न पूर्व का सवाल है और न पश्चिम का सवाल है, बल्कि हमारे सामने पूरे प्रदेश के किसानों

[श्री राजदेव उपाध्याय --]

का सवाल है। इसलिये यदि गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया गया तो किसानों की आर्थिक समस्या ठीक हो जायगी। जब किसान के पास पैसा होगा तो वह संकट का सामना करने में भी समर्थ होगा और मजदूरों की दशा भी सुधर जायगी। इसलिये गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाय।

इस साल गन्ने की उपज भी बहुत कम दिखाई देती है। अभी-अभी दो ढाई महीनों का सूखा पड़ा था और ऐसा सूखा पड़ा था कि जैसा कभी पूर्वी अंचल में और पश्चिमी अंचल में दिखाई नहीं दिया और आकाश का पानी पाताल को चला गया था। हमीरपुर, बांदा वगैरह में कुयें तालाब सूख गये थे और लोग पानी के लिये हाय-हाय कर रहे थे। ऐसी स्थिति में किसान को गन्ना उत्पन्न करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा इसका अंदाजा लगाया जाय। मैं उस पूर्वी जिले का रहने वाला हू जहां न नहर की कोई स्कीम है और न ट्यूबवेल की ही। इसलिये किसान ऐसी धूप में अपने शरीर को जलाता है और कुयें से सिचाई करता है और गन्ना पैदा करता है। इस साल सूखे के कारण गन्ना बहुत सा बरबाद हो गया है। इसलिये इस हिसाब से भी गन्ने की कीमत बढ़नी चाहिये। यदि गन्ने की कीमत बढ़ गई तो प्रांत के किसानों को फायदा होगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करे और केन्द्रीय सरकार को सही राय दे। इससे किसानों को राहत मिलेगी।

मैंने देखा है कि आज किसानों के पास पैसा नहीं है। उनकी क्रय-शक्ति बहुत गिर गई है। यदि गन्ने के दाम बढ़ गये तो उनके बच्चों के जीवन का सहारा, उनके कपड़ों का सहारा उनकी दवा दारू का सहारा हो जायगा। ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--जो यह प्रस्ताव प्रस्तुत है इसके उद्देश्य से मैं सहमत हूं। यद्यपि नियमों की बारीकियों के कारण मेरा प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता वरना मैं भी इस राय का हूं कि एक रुपया बारह आने के स्थान पर दो रुपया कर दिया जाय और चीनी की कीमत के लिये भी, ३२ रुपये से अधिक चीनी किसी भी हालत में न बेची जाय। यह मैं संशोधन पेश करता, लेकिन जिस तरह से यहां की परम्परा है, वह और सदन की नियमावली आज इस संशोधन को प्रस्तुत करने में बाधा उपस्थित कर रही हैं।

जब मैं यह कहता हूं कि इस समय प्रदेश के गन्ने की कीमत दो रुपये मन हो और चीनी की कीमत ३२ रुपये मन से अधिक न हो तो इसके कई कारण हैं।

पहला कारण तो मैं न्याय का सम्मानित सदस्यों की सेवा में रखना चाहूंगा। जब इस गम्भीर परिस्थिति में सदन में विचार हो तो माननीय मंत्री जी, जो उससे संबंधित हों वह सुनने का कष्ट करें। जरा, श्रीमन् उधर देखेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--मेरे सुनने के अलावा दूसरा भी साधन है, मेरे तक पहुंचने के लिये।

श्री राजनारायण--न्याय की दृष्टि से अगर देखा जाय तो आपके सामने आ जायगा। जितनी कमेटियां बनी हैं उनकी रपट को पढ़ा जाय। हमारे पास इस समय १९३८, १९४८, १९४९ की रपट हैं उसको भी देखा जाय। किसी भी मानी में इसका औचित्य नहीं है कि गन्ने की कीमत एक रुपया पांच आने मन हो और चीनी की कीमत ३० से ४० रुपये तक हो। इस सदन के कांग्रेस पार्टी के सम्मानित सदस्य जब-जब उठते हैं तो कुछ न कुछ सरकार की नीति का समर्थन करने के लिये तैयार होते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जरा वह अपने विवेक को खोलें। कहीं से इसका औचित्य लाकर बता दें कि इन कारणों से गन्ने की कीमत तो एक रुपया पांच आने मन हो और चीनी ३० से ४० रुपये तक बिके।

प्राचीन काल से चीनी का रोजगार होता है। सिवार से चीनी बनती थी। बनारस में बड़ी सफेद चीनी बनती थी। सौ-सौ वर्ष के किसानों का कहना है कि जितने आने मन गन्ना उतने रुपये मन चीनी। अगर एक आना मन गन्ना तो एक रुपया मन चीनी। अगर बीस आने मन गन्ना तो बीस रुपये मन चीनी। अगर २१ आने मन गन्ना तो २१ रुपये मन चीनी। इससे ज्यादा कभी परता नहीं पड़ता था हाथ से चीनी बनाने पर इस नियम से वह चीनी का दाम निर्धारित करते थे। तो मशीन के जरिये से जो काम होने लगा उसमें तो और सस्ती पड़नी चाहिए, लेकिन आज उस प्राचीन मान्यता को भी कोई सामने रखने के लिये तैयार नहीं है। टैरिफ बोर्ड ने जो रपट पेश की थी उसके मुताबिक उन्होंने कई दाम रखे थे, एक रुपया पांच आने, एक रुपया सात आने, एक रुपया दस आने।

श्री उपाध्यक्ष--बाकी आठ मिनट आप बाद में बोलेंगे।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री गेंदासिंह के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण--श्रीमन्, तो मैं कह रहा था कि अगर न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो कोई भी कारण नहीं है कि गन्ने की कीमत १ रुपया ५ आना या १ रुपया ७ आना मन हो और चीनी अपने प्रदेश में ४० रुपये मन तक बिके। अगर सरकार आजादी के पहले के इस गन्ने के इतिहास को देखे तो उस समय भी मालूम होगा कि जब १ रुपया ४ आने मन गन्ने की कीमत थी तो २० रुपये १४ आने मन चीनी की कीमत थी सन् १९४६ के पहले तक। उसके बाद २ रुपये मन गन्ने का दाम हुआ तो चीनी का भाव ३० रुपये मन हुआ। उसके बाद जब फिर गन्ने का दाम १ रुपया १२ आना हुआ तो २८ रुपये ८ आने मन चीनी की गई। इसके बाद जब यह सरकार आई तो गन्ने का दाम घटता चला गया और चीनी के दाम बढ़ते गये। मैं पूंछना चाहता हूं कि यह जो सरकार आज बनी हुई है यह किसके हित का प्रतिनिधित्व करती है? यह सरकार किसानों के हित का प्रतिनिधित्व करती है या मिल मालिकों के हित का प्रतिनिधित्व कर रही है या बड़े-बड़े करोड़पतियों के हित का प्रतिनिधित्व कर रही है? मैं कांग्रेस के पक्ष का समर्थन करने वाले भाइयों से निवेदन करूंगा कि वह अपनी सरकार की गतिविधि को देखें कि आज कांग्रेस सरकार विशेषरूप से करोड़पतियों के हित का और मिलमालिकों के हित का प्रतिनिधित्व कर रही है। अगर यह किसानों का प्रतिनिधित्व करती तो कोई औचित्य नहीं है कि गन्ने की कीमत घटती चली जाय और चीनी की कीमत बढ़ती चली जाय।

श्रीमन्, जहां पहले १६ मन गन्ने पर एक मन चीनी मिलती थी वहां पर आज २७ मन गन्ने पर एक मन चीनी का हिसाब लेते हैं। आज चीनी मिलों के मालिक जो गन्ने के बाई प्रोडेक्ट्स हैं उनसे भी बहुत लाभ उठा रहे हैं। उसको देखा जाय तो उससे भी करोड़ों रुपये वे प्राप्त करते हैं। आज किसानों के हक पर और उपभोक्ताओं के हक़ पर मिलमालिक सरकार से मिलकर कुठाराघात कर रहे हैं। यदि देखा जाय तो जैसे खुइया के दाम हैं उनको कहीं पर जोड़ा नहीं जाता है। यह भी कई कामों में आती है। आजकल इस खोइया से कागज बनता है और कार्डबोर्ड बनता है। अगर गन्ने से २० प्रतिशत यह खोइया निकलती है और इसका दाम अगर ८ आना मन भी जोड़ा जाय तो इसकी आमदनी ३ करोड़ रुपये हो जाती है। गन्ने का ढाई प्रतिशत मैल निकलता है अगर उसका भी दाम ८ आने मन जोड़ा जाय तो उससे भी ५० लाख की आमदनी हो सकती है। इस मैल से रंग और मोम बनता है उसको भी मिलमालिक जोड़ते नहीं हैं।

इसी तरह से शीरा निकलता है। इस प्रदेश में इस शीरे के उद्योग को भी कई आदमी करते थे। उसकी कीमत अगर साढ़े ३ आने मन भी लगाई जाय तो उससे बहुत आमदनी होती है। यह हिसाब लगाकर देखा गया है कि एक मन शीरे में २ गैलन स्पिरिट तैयार होती है। इस तरह से अगर ३० करोड़ मन गन्ना बिका और उसका १ करोड़

[श्री राजनारायण---]

मन शीरा हुआ तो उसके साढ़े ३ आने मन के हिसाब से आप दाम काटते हैं । आप उस २ करोड़ गैलन स्पिरिट जो उससे निकली उसके भाव को देखें कि कितना होता है । स्पिरिट पेट्रोल के भाव पर बिकती है उसके हिसाब को देखा जाय तो दो गैलन स्पिरिट का दाम ६ रुपये हुआ यानी एक मन शीरे पर दो गैलन का भाव ६ रुपये हुआ । इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने शीरे से कितना दाम आता होगा । इस तरीके से करीब १८ लाख के बजाय ६ करोड़ रुपये यह मिल मालिक ले रहे हैं । अगर आप इस सारे हिसाब को लगायें तो एक मन गन्ने के पीछे ११ आने फी मन यह मिलमालिक किसानों से लूट रहे हैं । इस बाइ-प्रोडेक्ट के हिसाब को सामने रखकर आप देखें कि किस प्रकार से जनता आज लूटी जा रही है । अगर आप गन्ने का हिसाब लगायें जितना पैदा होता है और मिलों में जाता है और उस पर ११ आने फी मन का हिसाब लगाकर देखें तो यह पूरी लूट हो गई, करीब बीस करोड़ रुपये की ।

एक एकड़ का औसत दिया जाय तो ५०० मन गन्ना एक एकड़ में पैदा होता है । तो एक एकड़ वाले किसान का ११ आने मन के हिसाब से साढ़े तीन सौ रुपये का नुकसान होता है । और आज यह सरकार मिलमालिकों से मिल कर उस गरीब किसान को लूट रही है । आज यह सरकार गन्ना उत्पादकों की पाकेट पर दांत लगाये है, उन पर डाका डाल रही है । अगर इस शब्द का प्रयोग किया जाय तो अनुचित न होगा । अगर हम इस सरकार को डाका डालने वाली सरकार कहें तो उसमें कोई हर्ज न होगा । मैं निहायत अदब के साथ माननीय मोहनलाल जी गौतम से पूछना चाहूंगा कि यह सरकार किस प्रकार की प्रतिनिधि है मिल मालिकों की या किसानों की ? क्या किसानों की सरकार जो हो वह ऐसे कानून बना सकती है, ऐसी कार्य-विधि अपना सकती है जो किसानों के लिये अहितकर हो, जो उनका गला काटे और उनके घर में डाका डाल कर उनके धन का अपव्यय करे ।

श्रीमन्, इसके साथ-साथ देखा जाय कि एक तरफ तो किसानों के धन को लूटा जा रहा है और दूसरी तरफ किसानों पर तरह-तरह की ज्यादतियां हो रही हैं । मिल मालिकों को गैर-कानूनी कार्यवाही करने की छूट देकर यह सरकार उनका प्रतिनिधित्व कर रही है । नियम के मुताबिक किसान को गन्ने का दाम १५ दिन के अंदर मिल जाना चाहिये । अगर नहीं मिलता है तो उस कीमत पर साढ़े सात आने सूद मिलने की व्यवस्था है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिन गन्ना उत्पादकों का बकाया रुपया मिल मालिक पर पड़ा है, बकाया रुपये के मिलने पर क्या किसी को सूद मिला है ? साल-साल दो-दो साल तक मिल मालिकों पर रुपया बाकी रह जाता है, ५०,५० लाख तक रुपये पड़े रह जाते हैं लेकिन क्या सरकार ने मिल मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है कि वह किसानों को समय से कीमत अदा करें ? १० मई को मैं देवरिया गया था । उस समय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पूरा मामला प्रस्तुत हुआ । डेढ़ करोड़ रुपये उस समय बतलाये गये थे कि मिलमालिकों पर बाकी पड़े हैं । देवरिया भूखा जिला है । माननीय उग्रसेन जी ने बतलाया था कि अब तक वहां ३०० मृत्युएं हुई हैं इधर कई महीनों में भूख से । हो सकता है कि डाक्टर संपूर्णानन्द के लिये मृत्युएं न हुई हों, माननीय गौतम जी के लिये मृत्युएं न हुई हों, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि लोग अन्न संकट से वहां मर रहे हैं । किसानों का डेढ़ करोड़ रुपया बकाया रह जाय और सरकार कोई कार्यवाही न करे, ऐसी सरकार क्या गरीबों और किसानों का प्रतिनिधित्व करती है ? निश्चित रूप से यह सरकार करोड़पतियों और मिलमालिकों का प्रतिनिधित्व करती है । इस में कोई शक नहीं है । फिर अगर अन्य दृष्टि से देखा जाय, सामाजिक आवश्यकता को दृष्टि के सामने रखा जाय तो हर पहलू से हमें यह समझ में आयेगा कि गन्ने की कीमत बढ़नी चाहिये, लेकिन जब गन्ने की कीमत बढ़ती है तो सामाजिक न्याय की एक यह बात भी

हमारे सामने आयेगी कि चीनी की कीमत नहीं बढ़नी चाहिये । हो सकता है कि सरकार कहे कि एक रुपये ५ आने मन में ३२ रुपये मन चीनी पड़ती है तो दो रुपये मन के दाम में चीनी का भाव बढ़ जायगा । इसके लिये हमारा उत्तर है कि १९४८–४९ और १९४९–५० में गन्ने की कीमत दो रुपये मन रही है और चीनी ३० रुपये मन बिकी । उसका दाम ३२ रुपये मन से ज्यादा नहीं हुआ । आज भी वही व्यवस्था होनी चाहिये और २ रुपये और ३२ रुपये के अनुपात में यह दाम रहने चाहिये ।

हमारी सोशलिस्ट पार्टी ने बहुत ही सफाई के साथ इस पैरिटी के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया है, न्याय संतुलन के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया है । गौतम जी पहले के समाजवादी रहे हैं और आज भी वे अपने को समाजवादी मानते होंगे और यह अवश्य कहते होंगे कि वह भी समाजवादी हैं । खैर, आज तो सभी अपने को समाजवादी कह रहे हैं, संपूर्णानन्द जी, जवाहरलाल जी, सभी समाजवादी हैं, लेकिन समाजवादी के माने क्या हैं ?

"समम् जन्ति जनाः अस्मिन् स समाजः"

जहां समाज में विषमता हो उसे कोई समाजवादी ठीक कह नहीं सकता । जहां समता के साथ समाज चले, तभी वहां समाज में समाजवादी व्यवस्था है ऐसा कहा जा सकता है । कोई व्यक्ति समाज में विषमता बढ़ाता चला जाय और अपने को समाजवादी माने, मैं समझता हूं कि यह समाजवादी शब्द के साथ अनधिकार चेष्टा है उसके प्रयोग में । यह सरकार पैरिटी यानी सन्तुलन के सिद्धांत को मानती है या नहीं ? खेती और कारखानों की पैदा हुई चीजों की कीमतों में पैरिटी होनी चाहिये, सन्तुलन होना चाहिये । आज खेती के सामान की कीमत घटती जाती है और कारखाने से बने सामान की कीमत बढ़ती जाती है । १२ वर्ष तक शासन चलाने के बावजूद भी इस सरकार की समझ में नहीं आता कि चीनी से गन्ना पैदा होता है या गन्ने से चीनी पैदा होती है । किसान अपनी श्रम-शक्ति और धन लगाकर गन्ना पैदा करता है । वही गन्ना कारखाने में जाकर चीनी की शकल लेता है । वहां जाकर मिल मालिक के फायदे की बात होती है । जब तक यह व्यवस्था नहीं टूटती है इस सरकार को जो अपने को समाजवादी कहती है, शर्म आनी चाहिये । सरकार २ रुपये मन गन्ना और ३२ रुपये मन चीनी की व्यवस्था माने । नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से, हर दृष्टि से अगर देखा जाय तो २ रुपये मन गन्ना और ३२ रुपये मन की चीनी पुकार है । इसे मानकर भी यह सरकार अपने को आधा समाजवादी कहने का अधिकार रख सकती है, वरना नहीं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब वादविवाद समाप्त किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—मेरी राय है कि एकाध भाषण और हो जाने दें ।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं भी प्रस्तुत संकल्प पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं । अभी अभी मेरे पूर्व वक्ता ने जो विचार रखे उनमें से मैं कुछ को तो उपयुक्त समझती हूं और कुछ के लिये मैं अपने विचारों का उनके विचारों से सहयोग नहीं कर पाती । मैं उसी श्रेणी से ताल्लुक रखती हूं कि जिसका सम्बन्ध इस संकल्प से है । यह सही है कि गन्ने की कीमत बहुत ही कम है और किसान की मेहनत और धन, जो उसे उगाने में वह लगाता है, बहुत ज्यादा है । इस में दो रायें नहीं हैं कि गन्ने की कीमत और मेहनत में बहुत अन्तर है । साल भर तक जमीन गन्ने से घिरी रहती है और उस पर जितनी मेहनत और धन किसान को लगाना पड़ता है, उसे गन्ने की कीमत के रूप में उसका दसवां भाग भी नहीं मिल पाता है ।

आज प्रदेश में कोई भी इससे इन्कार नहीं कर सकता कि खाद्यान्न की समस्या भी हमारे सामने बड़ी भारी है । इसके लिये भी हमें ठोस कदम उठाने चाहिये । आये दिन विरोधी पार्टी भी इस बात को कहती है और हम लोग भी महसूस करते हैं कि खाद्यान्न की स्थिति

[श्रीमती चन्द्रावती---]

सुधारने के लिये इतना ही काफी नहीं है कि हम यहां आकर वादविवाद कर लें और यह कार्य पूरा हो जाय । इससे अधिक हमें यह करना चाहिये कि कुछ ठोस सुझाव दें, ताकि ऐसे कदम उठाये जावें जिनसे सरकार एक अच्छे ढंग से कार्य कर सके ।

मैं अपनी एक स्मृति सरकार के सामने रखूं । पिछले २ वर्षों में सरकारी कर्मचारी बाहर देशों में मिल बनाने के सिलसिले में भेजे गये उनसे भी मैंने जानकारी हासिल की । गन्ने के उत्पादन की हमारे प्रदेश में मांग बहुत बढ़ती जा रही है । बाहर के देशों में गन्ना भी बोया जाता है और उनके खाद्यान्न की स्थिति बराबर काबू में रहती है । हमारे प्रदेश में खाद्यान्न बोने के लिये एक किसान मजबूर हो जाता है और उसके पास इतना नहीं बच पाता कि वह अपने घर का गुजारा करके कुछ बेच सके । इसी से उसे गन्ना बोना पड़ता है । सरकार देखभाल कर उचित मात्रा में किसानों को बतलावे कि इतनी ज़मीन में उन्हें गन्ना बोना चाहिये और इतनी में खाद्यान्न । मिलों से गन्ने का पैसा किसान को समय से भी नहीं मिलता है, उसे लेने के लिये दरबदर उसको भागना पड़ता है । सरकार को देखना चाहिये कि गन्ना और अन्न दोनों की समस्याएं उचित रूप से सुलझाई जावें । आज गन्ने की कीमत १ रुपया ७ आने मन है और लगभग साढ़े नौ या दस मन गन्ना एक मन चीनी बनाने में लगता है । इसकी कीमत लगभग १४ रुपये होती है या इससे कुछ ज़रा अधिक । एक मन चीनी की कीमत आज बढ़कर लगभग ४० रुपये हो गई है । यह देखने की बात है कि इस प्रकार का अन्तर कम हो । इस समय किसान को अपनी मेहनत का मुआवज़ा पूरा नहीं मिलता है । जैसा राजनारायण जी ने कहा कि हमारे देश में चीनी की कीमत मुकर्रर हो जानी चाहिये, इससे मैं सहमत हूं । आप चीनी की कीमत ३२ रुपये से चाहे ३५ रुपये रख दें, लेकिन यह एक निश्चित रूप से हो । वर्तमान अनफ्रैटरनिटी एक खतरे की चीज़ है । और भी इस प्रकार के बहुत से भाइयों ने सुझाव दिये । आज अगर किसानों की दशा को देखा जाय तो उनके लिये कोई ऐसा मार्ग दिखायी नहीं देता जहां से वे उन्नति का काम कर सकें । आज भी उनके बाल-बच्चों के पढ़ाने, लिखाने की समस्या है, क्योंकि जीवन स्तर आज काफी ज्यादा बढ़ गया है । अगर देखा जाय तो मिल में जो मजदूर काम करता है और उसको मजदूरी का जो पैसा मिलता है, और किसान को जो अपनी मेहनत का पैसा मिलता है, उससे मजदूर को कहीं ज्यादा मिलता है । आज उसके मार्ग में बहुत-सी बाधाएं हैं और उसको अपना काम रोकना पड़ता है । मैं देखती हूं कि सरकार के द्वारा किसानों के लिये जो व्यवस्था है वह भी खंडित सी है और उचित मात्रा में नहीं है । तकावी दी जाती है, बीज दिया जाता है, लेकिन वक्त पर नहीं दिया जाता । माननीय कृषि मंत्री जी का इस विभाग से सम्बन्ध है । मैं आज उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि आप अपने बीज गोदामों को जाकर स्वयं देखें कि उन पर किसानों के साथ क्या बेईमानी हो रही है । दुर्भाग्य-वश मेरे अपने ही घर में आपका बीज भंडार है । मैं आये दिन किसानों से सम्पर्क रखती हूं । जिस वक्त किसानों को बीज दिया जाता है तो कम तौला जाता है, लेकिन जिस वक्त किसान के देने का वक्त आता है तो ज्यादा लिया जाता है । पहले मैंने इस बात का अनुभव नहीं किया था केवल उसको सुना था, लेकिन इस बार मैंने जो बीज लिया उसमें भी यही चीज थी । गरीब किसान का अगर ४० सेर में १० सेर घट जाय तो भला फिर उसको भूखों मरने की नौबत क्यों न आयेगी ? आपको देखना है कि जब तक सही समय से और सही तौल से उनको बीज नहीं दिया जायगा तब तक आप न तो खेती में ही उन्नति करा सकते हैं और न वह अपना पेट ही भर सकता है । वह अन्न न तो आपके यहां जाता है और न उनके पास ही रहता है, उसे तो बीच के बिचौलिया ही खा जाते हैं । मैं आशा करती हूं कि आप स्वयं इन बीज भंडारों को देखेंगे और यह जो चोरी होती है उसको समाप्त करायेंगे ।

हमारे खाद्य की समस्या बड़ा उग्र रूप धारण कर रही है । अगर इसका पूर्ण विवेचन करके कोई ठोस कदम न उठाया गया तो अवश्य ही हम मुसीबत में पड़ जायेंगे । वादविवाद करने

से किसी समस्या का हल नहीं हो सकता । अगर राजनीतिक क्षेत्रों में हम वाद-विवाद में ही लगे रहेंगे तो उससे हमारा कोई भला न हो सकेगा । हमें एक चीज अवश्य करनी है कि कोई भी आदमी हो, अगर वह सच्ची और सही बात करता है तो उसको सच मानना चाहिये, लेकिन अगर उस बात को न देखकर केवल आदमी को देखा जायगा तो हम भ्रम में पड़ जायेंगे । अगर हमारा दुश्मन भी सच्ची बात करता है तो हमें उसको मान लेना चाहिये ।

यह सही है कि किसानों को गन्ने का मूल्य कम दिया जा रहा है और यह भी सही है कि किसानों को अन्न पैदा करने के लिये आप मजबूर करें । किसानों से आप कहेंगे और इस प्रकार की समस्या उनके सामने रखेंगे, आप बीज से, तकावी से, आप गन्ने की कीमत से उनका मुआवजा पूरा कर देंगे तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं रहती कि जिससे किसान अन्न न बोये । वह अन्न बड़ी खुशी से बोयेगा । गन्ना तो वह मजबूरी की हालत में ही बोता है । गन्ने के सीजन में ही उसके पास कुछ पैसा देखा जाय तो दिखाई देता है, वरना अनाज के वक्त तो कभी ओला पड़ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है । तीन चार साल से हमारे पश्चिमी जिले में भी यही चीज चली आ रही है, इसलिये आप इन चीजों का उचित हल सोच कर निकालें, नहीं तो उससे प्रदेश की खाद्य समस्या कभी हल होने वाली नहीं है । इसी तरह से हम यहां पर चलते रहेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन एक हानि जरूर होगी और हानि होगी आपके विचारों में, आपके दिमागों में और आप की शक्तियों में । उस शक्ति को दूसरे रास्ते में लगा कर एक उचित मार्ग पर चलना होगा तभी इसका हल निकल सकेगा ।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय भीखालाल और माननीय मुल्ला प्रसाद द्वारा प्रस्तुत जो संकल्प है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । एक साथी जो इस संकल्प का विरोध करने के लिये इस सदन में खड़े हुए थे, उन्होंने एक अनोखा तर्क प्रस्तुत किया । उनका यह कहना था कि फारेन एक्सचेन्ज की समस्या को देखते हुए अपने गन्ने के मूल्य को नहीं बढ़ाना चाहिये । मैं आपके द्वारा उनकी सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक गन्ने का सवाल है, गन्ना फारेन एक्सचेंज की दिशा में एक बहुत ही कीमती उपज है । पिछले वर्ष विदेशों में अपनी चीनी भेज कर हमने १२ करोड़ रुपया फारेन एक्सचेंज का कमाया । इसके साथ ही साथ उन्होंने एक आशंका यह प्रकट की कि अगर गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया जायगा तो उसका परिणाम यह होगा कि खाद्यान्न की उपज और भी कम हो जायगी । मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्पादन को बढ़ाने के लिये केवल एकरेज बढ़ाना ही आवश्यक नहीं होता है, बल्कि इंटेंसिव खेती की बात भी उनको सोचनी चाहिये । गन्ने द्वारा हमारा फारेन एक्सचेंज बढ़ा है । तो गन्ने के एकरेज बढ़ाने का कोई सवाल नहीं है, हमको तो गन्ने के इंटेंसिव एग्रीकल्चर की बात सोचनी चाहिये । इसी तरह से उन्होंने यह आशंका प्रकट की कि इससे अन्न का उत्पादन कम हो जायगा । उनकी यह आशंका बिलकुल निर्मूल है ।

मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि केवल ये ४ काम किये जायें, यातायात के साधन ठीक किये जायं, मीन्स आफ इर्रीगेशन दुरुस्त किये जायं, गन्ने के मूल्य में वृद्धि की जाय और साथ ही साथ आज हमारे लिये खुशी की बात है कि केन डेवलपमेन्ट जो है इत्तिफाक़ से हमारे कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री के ही नियंत्रण में है । आप अपने दुलारे केन डेवलपमेंट को ठीक कीजिये ताकि वह अपना फर्ज ठीक से अदा करे । तभी हम इस दिशा में काफी कामयाब हो सकते हैं । मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, सन् १९५२ की बात है कि केन्द्रीय सरकार और मिल मालिकों के बीच में एक समझौता हुआ था कि २७ रुपये मन से अधिक मंहगी चीनी हम नहीं बेचेंगे और तब गन्ने का भाव १ रुपया ७ आने मन था । आज चीनी का भाव ३७ रुपये मन हो चुका है, फिर भी गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया जा रहा है, इसका क्या कारण है ? सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारी सरकार ने दो वर्षों से केन्द्रीय सरकार के पास अपनी सिफारिशें इस सम्बन्ध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामायणराय---]

में नहीं भेजी । हमारी सरकार और बिहार सरकार की एक ज्वाइंट कमेटी है, वह कमेटी प्रति-वर्ष गन्ने के दाम के बारे में रिपोर्ट भेजती है । माननीय मुख्य मन्त्री जी उसके चेयरमैन हैं । लेकिन अफसोस है कि आज तक इन पिछले दो वर्षों में कोई सिफारिश गन्ने के दाम के बारे में नहीं भेजी गयी है । इंडियन शुगर केन कमेटी इसकी जांच कर रही है । कई लोगों ने भी यही बताया है कि जहां तक गन्ने की लागत मूल्य का सवाल है १ रुपया ४ आने प्रति मन गन्ने की लागत मूल्य है और जैसा कि आप जानते हैं १० मन गन्ने से १ मन चीनी बनती है । आप अगर कास्ट प्राइस को अपने सामने रखें तो किसानों के साथ आप कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं, यह आप स्वयं सोच सकते हैं । १३ रुपये ३ आने मन आप को केवल टैक्स के रूप में उस गन्ने से हासिल हो रहे हैं और गन्ना आपको फारेन एक्सचेंज में किस प्रकार सुविधा दे रहा है, लेकिन काश्तकार को लकड़ी से भी सस्ता गन्ना बेचने के लिये मजबूर किया जाता है । अगर सारे देश में गन्ना मूल्य के नक्शे को देखें तो मालूम होगा कि बम्बई में इस वर्ष २ रुपये प्रति मन गन्ना खरीदा गया । औरों को जाने दीजिये खांडसारी बनाने वाले अपने राज्य में १ रुपया ८ आने तक गन्ने का भाव कभी-कभी देते हैं । आप देते हैं गन्ने का भाव १ रुपया ७ आने, चाहे खांडसारी वाले उसे १ रुपया ८ आने के भाव पर भी खरीदें ।

श्री अधिष्ठाता---मेरी तरफ से गन्ने का दाम नहीं दिया जाता है ।

श्री रामायणराय---मैं आपके द्वारा ही सरकार से निवेदन कर रहा हूं। उसको बार-बार दोहराना उचित नहीं समझा, इसीलिये आप शब्द का प्रयोग कर दिया ।

श्री अधिष्ठाता---इस मामले में आप बार-बार सरकार को कहिये तो अच्छा होगा ।

श्री रामायणराय---और जगहों पर, विशेषकर बम्बई में गन्ने का मूल्य २ रुपये प्रतिमन है । बिहार की पूरी असेम्बली ने १ रुपया १२ आने का प्रस्ताव पास किया और हमारी सरकार डरती है । यदि बिहार के लोगों को बुलाकर हम कान्फ्रेन्स करेंगे तो हमको मजबूर होकर १ रुपया १२ आने का भाव मानना पड़ेगा । इसी भय से सरकार उस मीटिंग को नहीं बुला रही है और २ वर्ष से सारे मामले को खटाई में डाले हुए है ।

आज अन्न और भुखमरी की समस्याएं हमारे सर पर हैं । हमारे बहुत से साथियों ने बताया कि जिस इलाके में इंसान मर रहे हैं उस इलाके में गन्ना ही एक मात्र सहारा है । उसका जीवन एक मात्र उसकी फसल है । उसका मूल्य बढ़ाने में आपको संकोच हो रहा है और उसके लिये आप तरह तरह के तर्क दे रहे हैं । दो तर्क महत्व के थे जैसे अन्न उत्पादन और फारेन एक्सचेंज में उससे खतरा । इन सारे तर्कों का उत्तर मैंने आपके समक्ष रखा ।

मेरे इस कथन के बाद जो आखिरी बात है वह यह कि खांडसारी उद्योग में जो लोग लगे हुए हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं । मैंने देखा एक सदस्य जिनका सम्बन्ध इस राज्य में खांडसारी तथा उद्योग से है उन्होंने अनोखे ढंग से इस प्रस्ताव का विरोध किया । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन लोगों को सुविधाएं, रियायतें दी गयी हैं । उन्हें इस बात की छूट दी गयी है कि उनके ऊपर गन्ने के न्यूनतम मूल्य का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा । जो टैक्स मिल मालिकों को १३ रुपये ३ आने सरकार को देना पड़ता है वह उनको उदारता के साथ सरकार ने छोड़ दिया है । ये सारी सुविधाएं वे ले रहे हैं । उन्हें हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिये, लेकिन बजाय प्रस्ताव का समर्थन करने के अनोखे तरीके से उन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया । इसलिये जो प्रस्तुत संकल्प है उसका जोरदार शब्दों में मैं समर्थन करता हूं और आप के द्वारा मांग करता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले दो सालों में जो गन्ने के काश्तकारों का पैसा कटवाया है, जो अहित किया है उसकी जल्दी से जल्दी किसी प्रकार पूर्ति करने की वह कृपा करे । अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो यह सरकार कहां जायगी यह सरकार स्वयं नहीं सोच सकती ।

श्री प्रतापसिंह---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि अब दूसरी मर्तबा क्लोजर मूव हुआ है और कुछ रोशनी भी इस विषय पर पड़ चुकी है । तो मैं अब हाउस की राय इस पर लिये लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---अब मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी भी कुछ कहना चाहेंगे ।

*श्री मोहनलाल गौतम---अगर आज्ञा हो तो बैठकर ही बोलूं ?

श्री अधिष्ठाता---हां, आप अवश्य ऐसा कर सकते हैं ।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रश्न आज सदन के सामने है वह बहुत महत्व का है और उस पर विचार करने के लिये हमें कई बहुत से पहलुओं पर विचार करना है जो आज इस प्रश्न से सम्बन्धित हैं । इस समय जो प्रश्न हमारे सामने है वह यह कि गन्ने के दाम १ रुपया ७ आने मन के बजाय १ रुपया १२ आने कर दिये जायं । कुछ संशोधन है या नहीं, लेकिन सुझाव है कि २ रुपये कर दिया जाय और यह सिफारिश केन्द्रीय सरकार को भेज दी जाय । जहां तक केन्द्रीय सरकार को सिफारिश भेजने का सम्बन्ध है यह सदन जो चाहे अपनी राय रखे, मैं उसमें किसी पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहता और हर एक साथी को अधिकार है कि जिस तरह से वह राय देना चाहे, दें, लेकिन उसके साथ-साथ मैं कुछ ऐसी बातें जो इस प्रश्न से सम्बन्धित हैं इस सदन के सामने आपके द्वारा रखना चाहता हूं ।

आज हमारा सबसे बड़ा प्रश्न जो पिछले तीन दिन तक जेरे बहस रहा और अब भी एक और दिन बहस करने की आज्ञा मांगी जा रही है, वह अन्न संकट है । आज हमारे देश में, प्रदेश में अन्न का संकट है और उसकी वजह से हमको बहुत सी परेशानियां हैं । यह बात मैं भी कहता हूं और भी लोग कह सकते हैं कि अब हमको अन्न की परिभाषा कुछ विस्तृत करनी होगी । देश को केवल गेहूं, चना और जौ पर ही निर्भर करना ठीक नहीं होगा, बल्कि अन्न की समस्या हल करने के लिये पोल्ट्री, फिशरी, पिगरी या तमाम चीजें जो अन्न की शक्ति को बढ़ाती हैं, उस तरफ भी ध्यान देना होगा । इस-लिये उस तरफ जितना ध्यान दिया जाय उतना सहायक होगा । फिर भी आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे देश में अन्न की कमी है । प्रदेश में अन्न की कमी है और आज हमको लाखों टन, करीब १ लाख टन से ज्यादा अगर केन्द्रीय सरकार अन्न न दे तो हमारे प्रदेश के नागरिक अपनी भूख नहीं बुझा सकते और भूखे मर जायेंगे । यह समस्या हमारी सबसे बड़ी है । अब सवाल यह है कि अन्न की समस्या हल कैसे हो ? अगर आपकी आज्ञा हो तो यह निवेदन करूं कि बावजूद इस बात के कि पिछले ३, ४ सालों में गन्ने की कीमत नहीं बढ़ायी गई फिर भी गन्ने की पैदावार बढ़ती चली जा रही है । उसका रकबा बढ़ता चला जा रहा है और हो सकता है कि कुछ इलाकों में जहां बाढ़ आती हो वहां गन्ना ऐसी फसल हो जो और फसलों के मुकाबले में बाढ़ के खिलाफ अधिक सुरक्षित हो, लेकिन यह मैं केवल बाढ़ के इलाकों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं सारी स्टेट की बात कह रहा हूं और वह यह है कि सन् १९५३-५४ में इस सूबे में जो रिजर्व क्षेत्र मिलों का था उसमें ११.४८ लाख एकड़ पर गन्ना बोया जाता था । सन् १९५४-५५ में वह १२.६१ लाख एकड़ हो गया और सन् १९५५-५६ में १६.९४ लाख एकड़ हो गया और सन् १९५६-५७ में वह १९.०७ लाख एकड़ हो गया । रिजर्व क्षेत्र वह है जो फैक्टरियों के आस पास होता है, तो उसमें इजाफा हुआ है, रकबे के हिसाब से गन्ने का रिजर्व क्षेत्र ६६ प्रतिशत बढ़ा है । आप कहेंगे कि यह इसलिये बढ़ा होगा, क्योंकि गन्ने के दाम १ रुपया ७ आना मन के मिल रहे हैं । यह बात नहीं है । चूंकि इतना पैसा नहीं मिलता, जो गुड़, खंडसारी वगैरह बनते हैं उस गन्ने का १ रुपया ७ आने नहीं मिलता । इसलिये सारी स्टेट में जो गन्ने के रकबे की हालत है उस पर भी यह सदन विचार करे और वह यह है कि १९५३-५४ में इस सूबे में गन्ने की काश्त १९.७३ लाख

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहनलाल गौतम---]
एकड़ पर होती थी, सन् १९५४-५५ में यह काश्त २२.९१ लाख एकड़ पर हुई, सन् १९५५-५६ में वह २७.१९ एकड़ पर हुई और सन् १९५६-५७ में वह ३०.४९ एकड़ पर हुई । जो सूबे भर का रकबा है और जो कि फैक्टरी क्षेत्र के बाहर है वह भी इसमें शामिल है जिस की कीमत १ रुपया ७ आने नहीं मिलती और वह ५५ प्रतिशत एकरेज में है ।

इस सदन ने यह भी देखा होगा कि कमी किसी साल में नहीं हुई । रिजर्व क्षेत्र ११.४८, १२.६१, १६.९४, और १९.०७ लाख एकड़ हो गया, बढ़ता ही गया । इसी तरह से सारी स्टेट का गन्ना क्षेत्र बढ़ता गया १९.७३, २२.९१, २७.१९, ३०.४९ लाख एकड़ हो गया, हर साल बढ़ा और ६६ प्रतिशत क्षेत्र बढ़ा है कुल रिजर्व क्षेत्र में और ५५ प्रतिशत बढ़ा है सारे सूबे में । अब बरखिलाफ इसके जो असल समस्या आप के सामने है जिस पर यह सदन हमेशा बहस करता रहा है कि इस प्रदेश का एक भी प्राणी अन्न की कमी की वजह से मरने नहीं दिया जायगा । आबादी बढ़ रही है, रोकथाम है नहीं, तो यह अन्न कहां से आयेगा ? फूड ग्रेन्स का रकबा कितना बढ़ा है इस पर भी गौर किया जाय । १९५३-५४ में ४१९.७० लाख एकड़ रकबा फूड ग्रेन्स में था वह काफी नहीं हुआ, पिछले ४ साल में किसी साल में काफी नहीं हुआ, १९५४-५५ में वह ४२१.०० लाख एकड़ हो गया, यानी १.३ लाख एकड़ बढ़ा । १९५५-५६ में ४२४.०३ लाख एकड़ और १९५६-५७ में ४२७.०७ लाख एकड़ हुआ । यानी ७.३७ लाख एकड़ एरिया बढ़ा, जिसका परसेंट आता है १.८ । तो १.८ परसेंट फूड ग्रेन्स में इस सूबे में एरिया बढ़ा है । तो हमारे प्रदेश की अन्न की कमी जो पूरी नहीं हुई उस तरफ हमारा किसान नहीं जा रहा है, इसलिये कि उसको गन्ने से कीमत ज्यादा मिल जाती है दूसरी फसलों के मुकाबले में । अगर दूसरी फसलें ज्यादा पेइंग होंगी तो उस तरफ किसान जायगा, घाटे की चीज को छोड़ेगा । इस समय अन्न की कमी है, इस सदन की मांग है कि एक भी आदमी इस सूबे में भूखों न मरने पाये और साथ ही जब तक ३०-४० लाख मन बाहर से गवर्नमेंट आफ इंडिया हमको अन्न नहीं देती तब तक हम अपने नागरिकों का पेट पालन नहीं कर सकते । अन्न तो खैर सब जगह पहुंच जायगा, उसकी परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी इस बात से हुई कि अन्न की कीमत बहुत थी और २०-२० रुपये तक जब गेहूं का दाम बढ़ा तो हाहाकार मच गया । कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यह कह सके कि क्यों साहब, गेहूं की कीमत बढ़ गई है तो क्या एतराज है, आखिर किसान को ही तो मिलना चाहिये ।

श्री रामायणराय---जिस वक्त गेहूं उसके पास था उस वक्त सस्ता था, जब बनियों को बेच दिया गया तो २१ रुपये दाम हो गये ।

श्री मोहनलाल गौतम---मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं वह यह है कि गेहूं के कितने दाम आप किसानों को देंगे जिससे १ रुपये १२ आने या दो रुपये मन गन्ने के दाम जब उसको मिलें तो फी एकड़ किसान को उतना ही मुनाफा गेहूं पर हो जाय ताकि वह गेहूं की तरफ ज्यादा ध्यान दें ।

(व्यवधान)

शोर मचाने से कोई फायदा नहीं । मैं बाद में उत्तर दे दूंगा अगर कोई बात आपके समझ में न आई हो ।

अधिष्ठाता महोदय, हमारे प्रदेश में ही नहीं, यह तो सारे देश में कमी है । जब हमको बाहर से अन्न मिलता है तब हम अपना पेट पालन कर सकते हैं । क्या वह मुल्क अकलमन्द होगा जो हमेशा बाहर से अन्न मंगाने की बात सोचता रहे और उसी के आधार पर अपना प्लान बनाये । जब इंटरनैशनल सिचुएशन इतनी फ्लुइड हो, इतनी तेजी से बदल सकती हो और जब बाहर से अन्न आने में दिक्कतें पड़ सकती हों तो क्या हमारा यह फर्ज नहीं है कि हम यह देखें कि अन्न हमारे देश में अपने नागरिकों को काफी हो जाय ? वह कब होगा ? या तो गवर्नमेंट इस तरह का आयोजन करे कि हर एक एकड़ पर वह फैसला कर दे कि कितने आदमी गन्ना बोयेंगे, कितने गेहू बोयेंगे और कितने जौ बोयेंगे और हिसाब लगाकर कि इतने आदमी हैं इसलिये इतने गेहूं की जरूरत है, इतने एकड़ गेहूं बोना चाहिये । यह अगर हो जाय तो एक रास्ता निकल सकता है, लेकिन आज वह रास्ता तो अपनाया नहीं है, इसलिये वह हो नहीं रहा है । वह

क्यों नहीं हो रहा है। उस लम्बी बहस में मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा । इसको पूरा करने का ऐजस्टमेंट प्राइसेज से हो रहा है । अगर गन्ने की कीमत ज्यादा है तो लोग गन्ना बोयेंगे, गेहूं की कीमत ज्यादा मिलेगी तो गेहूं बोयेंगे । इसमें कोई दो रायें नहीं हैं । इसलिये मैं आपसे यह कहूंगा कि अगर आपने १ रुपया १२ आने मन गन्ने के दाम किये तो गेहूं के क्या दाम आपको करने होंगे इसका जरा फैसला कर लीजिये । अगर यह सदन तैयार हो कि २ रुपये मन गन्ने के दाम हों और ४० या ५० रुपये मन गेहूं के दाम हों तो ठीक है, हो सकता है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---यह तो कोई लाजिक नहीं है ।

श्री मोहनलाल गौतम---लाजिक समझ में आ जायगी ।

श्री राजनारायण---कपड़े का क्या होगा, लोहे का क्या होगा, सीमेंट का क्या होगा ? खेतिहर प्रोड्यूस और इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस दोनों में पैरिटी की मांग हमने की है ।

श्री मोहनलाल गौतम---राजनारायण जी ने मेरे बहुत ही समर्थन में एक दलील पेश की है ।

श्री अधिष्ठाता---धन्यवाद दीजिये ।

श्री मोहनलाल गौतम---धन्यवाद तो मैं हमेशा उनको देता हूं, वह मेरे पुराने साथी हैं। राजनारायण जी कह रहेहैं कि अगर २ रुपये गन्ने की कीमत हो जाय और ४० रुपये मन गेहूं की कीमत हो जाय तो जो कारखानों में माल पैदा होगा उसकी कीमत क्या होगी । अगर आपका लिविंग इण्डेक्स बढ़ गया तो डियरनेस एलाउन्स बढ़ाना पड़ेगा ।

श्री राजनारायण---यह आप कह रहे हैं हम नहीं ।

श्री मोहनलाल गौतम---और उसके बाद हर चीज की कीमत बढ़ जायगी ।

श्री राजनारायण---पैरिटी ।

श्री मोहनलाल गौतम---पैरिटी की बात मैं मानता हूं, लेकिन राजनारायण जी को इतना सब्र नहीं है कि जब मैं सिर्फ ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की पैरिटी का जिक्र करूं तो उसको सुन सकें, वह उनके लिये कटु है । आज मैं चाहता हूं कि यह सदन विचार करे कि एक एकड़ जमीन पर कितना गन्ना पैदा होता है, कितनी उसमें लागत लगती है और कितना मुनाफा उस पर होता है । उसके बाद उतना ही मुनाफा गेहूं, जौ और चना पर अगर वह देने के लिये तैयार हों और उसकी वजह से जो कीमतें बढ़ें उसके सब नतीजे बर्दाश्त करने के लिये तैयार हों और अनाज की कीमतें बढ़ें तो सब सरकारी मुलाजिमों का महंगाई भत्ता बढ़ायें, कारखाने के मजदूरों का मंहगाई भत्ता बढ़ायें, जितनी चीजें कारखानों में पैदा होती हैं उनकी कीमतें बढ़ायें, ४,८०० करोड़ रुपये में जो अपनी प्लान चाक आउट की गई है जब कीमतें बढ़ जायेंगी तो प्लान को भी कम करना पड़ेगा, जिसके माने यह होंगे कि हम अपनी गरीबी और बेकारी को लम्बा कर दें. . . . .

श्री अधिष्ठाता---आपका समय भी थोड़ा है इसका भी ध्यान रखें ।

श्री मोहनलाल गौतम---कितना है ?

श्री अधिष्ठाता---२५ मिनट वैसे आपको चाहिये जिनमें से २० मिनट हो चुके हैं ।

श्री मोहनलाल गौतम---मैं १० मिनट में खत्म कर दूंगा ।

श्री उग्रसेन---तब तो गन्ने का भाव कम करना पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता---मेरी राय यह है कि जितनी बातें माननीय सदस्यों ने पहले रख दी हैं उन्हीं का उत्तर सुन लें तब नये सवाल रखें ।

श्री मोहनलाल गौतम---इसलिये मैं इस चीज को अपने देश की इकानामी को पूरा करने के लिये और प्लान को पूरा करने के लिये सही नहीं समझता और इसमें, दोनों अप सेट हो जायंगे और दिक्कतें इतनी बढ़ जायंगी कि वह पूरा नहीं कर पायंगे। मैं नहीं जानता कि ४०-४२ रुपये चीनी का दाम बाजार में है। उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो इस समय समस्या है उसको मैं लेता हूं। चीनी की एक्स फैक्टरी प्राइस ३३.९० पैसे है यानी ३४ रुपये के करीब है। इसके बाद क्या होता है वह दूसरा प्रश्न है और उस पर अलग से गौर हो सकता है। अगर गन्ने की कीमत दो रुपये मन हो जाय यानी ९ आने मन और बढ़ जायगी तो ६ रुपये मन और चीनी के दाम बढ़ जायेंगे। इसको कहां से निकाला जायगा इस संबंध में माननीय राजनारायण जी ने कोई सुझाव नहीं दिया है।

आज जो चीनी के एक मन की कीमत है उसका कितना हिस्सा किसके पास जाता है, वह मेरे सामने है। इसमें या तो आप यह कहें कि एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी जाय, इसके माने हैं कि प्लान खत्म कर दिया जाय, गरीबी रहने दी जाय और बेकारी मिटाई न जाय, इसलिये कि एक्साइज का पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। बाकी आगे दाम कैसे बढ़ जाते हैं, वह सवाल दूसरा है और उसका गन्ने के दाम से कोई संबंध नहीं है।

अधिष्ठाता महोदय, चूंकि समय कम है इसलिये जो असल सवाल है उसी की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। असल सवाल यह है कि गन्ने के काश्तकार की हालत कैसे सुधरे। जो लोग यह कहते हैं कि गन्ने की कीमत दो रुपये मन हो जाय और वह पैसा ले लें तो दूसरा क्या ऐसा बेवकूफ है कि जो घटिया किस्म की फसल पैदा करके जो गन्ना पैदा करते हैं उनको खिला देगा, यह चीज चलने वाली नहीं है। इसलिये हर एक को अन्न पैदा करने की जरूरत है। पंजाब में रोक दिया है। वहां १४, १५ रुपये मन गेहूं बिक रहा था और हमारे यहां २०, २२ और २४ रुपये मन बिक रहा था, लेकिन हम गेहूं ला नहीं सकते थे। इसलिये हमें इतना गेहूं पैदा करना चाहिये जिससे हम अपना गुजारा कर सकें। इसलिये आप गन्ने का एकरेज मुकर्रर कर दें कि इससे ज्यादा नहीं बोया जायगा या फिर फूड ग्रेन की कीमत उतनी दी जाय जितनी की गन्ने की किसान को मिले।

माननीय राजनारायण जी ने एक बात कही थी और वह थी सब्सीडियरी इंडस्ट्रीज की, लेकिन वह चीज नहीं है। अगर यह हो जाय तो अच्छा है। मेरा खयाल है कि छिलके से काफी रस निकल सकता है, लेकिन सब्सीडियरी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की जरूरत है जिनमें कम दाम में चीज पैदा हो सके और उसके ज्यादा दाम मिल सकें। यदि यह हो जाय तो इसम किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन आज वह डेवलप तो है नहीं और इस आधार पर कि इससे इतनी आमदनी होगी, गन्ने की कीमत नहीं दिलायी जा सकती। (व्यवधान) मैं यह निवेदन करूंगा कि तरीका जो इस सदन का होना चाहिये वह ऐसा हो कि मुझे सुन लें उसके बाद अगर मुझे पांच मिनट का समय मिल जाय तो उसमें वे प्रश्न कर लें और मैं उत्तर दे दूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---मेरी राय में इस तरह से बात कही जाय कि वह किसी मंत्री तक पहुंच सके। अगर एक ही साथ कई आदमी बात करते हैं तो बात का पहुंचना कठिन है।

श्री मोहनलाल गौतम---मैं आपसे निवेदन करूं कि गन्ने के काश्तकारों से अगर हमारी हमदर्दी है तो हमको सबसे ज्यादा दो बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। उसमें आप सभी साहबान से मैं निवेदन करूंगा कि जितनी आप मदद कर सकें, करें। वह यह है कि गन्ने की पैदावार फी एकड़ हमारे सूबे में बहुत कम है। हमारे सूबे की गन्ने की पैदावार दस टन से कम है जब कि दूसरे सूबों में ५०-५० टन और उससे भी ज्यादा फी एकड़ पैदावार है। मैं सब साहबान को निमंत्रण देता हूं कि हम इस पर लग जायें कि गन्ने की पैदावार फी एकड़ ज्यादा हो तो

जो कीमत आज बढ़ाने की बात है वह मुनाफा किसान को हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है एक रुपया १२ आने की कीमत करने से अगर आज दस टन के बजाय बीस टन, या तीस टन फी एकड़ पैदावार हो जाय।

दूसरे यह कि हमारे यहां गन्ना जो होता है उसकी रिकवरी बहुत कम है। हमारा औसत शायद १९५७-५८ में ९.७ प्रतिशत है दूसरे सूबों में १२, १३ प्रतिशत भी हो जाता है। तो जहां ड्योढ़ी रिकवरी चीनी की हो सौ मन गन्ने में दस मन भी चीनी पैदा न हो और दूसरी जगह १३ मन हो, तो कुदरती तौर पर जहां ड्योढ़ी रिकवरी होगी वहां जरूर दो रुपये मन गन्ने के दाम देंगे। इसलिये हम कोशिश करें कि फी एकड़ पैदावार ज्यादा हो और रिकवरी ज्यादा हो। इस तरफ अगर ध्यान देंगे तो किसान का ज्यादा फायदा करेंगे। (व्यवधान) अगर आप मुझसे इस इंडस्ट्री में जितनी फैक्टरीज हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे तो उसके लिये समय नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर कह दूंगा कि सारे देश में यह आवाज है, पार्लियामेंट की लाबीज में यह आवाज है कि यू० पी० शुगर फैक्टरीज के लिए ठीक जगह नहीं है, क्योंकि यहां एक एकड़ में कम गन्ना पैदा होता है, १०० मन में कम चीनी पैदा होती है। यहां शुगर फैक्टरीज ज्यादा से ज्यादा १२० दिन चलती हैं और कुछ ९० दिन में ही बन्द हो जाती हैं। इसलिए सारे देश की मांग है कि शुगर इंडस्ट्री यू० पी० से हटा कर साउथ और बम्बई को भेज दी जाय। आप यह भी देखेंगे कि पिछले चार सालों में जो फैक्टरीज बनी हैं उनमें हमारी १८·२ फीसदी की आबादी है उसके अनुपात से शुगर फैक्टरीज की तादाद नहीं मिली है। दूसरे सूबों को ज्यादा मिली हैं। दूसरे सूबों में शुगर इंडस्ट्री जा रही है। शुगर फैक्टरीज के मालिकान भी दूसरे सूबों को जाना चाहते हैं। इसलिए यह भी आप सोच लीजिये कि अगर यहां की शुगर इंडस्ट्री दूसरे सूबों की शुगर इंडस्ट्री से मुकाबला नहीं कर सकी तो कितने किसानों और मजदूरों का नुकसान होगा और इस सूबे की इकानामी पर कितना असर पड़ेगा। अगर हमने कोई ऐसा कदम उठाया जिससे शुगर इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, जो इस सूबे की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो हमारे सूबे की आर्थिक व्यवस्था ठीक रह नहीं सकती। इसलिए मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि यह मामला इतना आसान नहीं है। सिर्फ यह कह देना कि गन्ने वालों की कीमत बढ़ायी जाय, हम तुम्हारे बड़े हमदर्द हैं, यह कहने से काम नहीं चलेगा। मुमकिन है कि यह हमदर्दी उनको तबाह कर दे और शुगर इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचे। इसलिये मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं किसी पर बन्धन नहीं डालता और हर एक व्यक्ति जिस तरह से चाहे उस तरह से वोट दे, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि इसके बहुत से पहलू हैं उन पर विचार न करके अगर सदन कोई फैसला करेगा तो सम्भव है कि वह फैसला कच्चा हो, उससे नुकसान हो और सदन को बहुत ज्यादा अक्लमन्दी का श्रेय न मिले। मैं जाती तौर पर इसकी बहुत सी दिक्कतें देख रहा हूं। मैं यह चाहता हूं कि इस मामले पर और ज्यादा विचार करके विचार हो तो अच्छा है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं और सदन के बहुत सदस्य जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का जो रिकवरी का परसेन्टेज है उसकी सारी जिम्मेदारी किसानों पर ही है या एफिशियेन्ट मैनेजमेंट पर या मिलमालिकों पर है यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल गौतम—मेरे लिये इसकी राय इस वक्त देना मुश्किल है, लेकिन चाहे मिल मालिकों के ऊपर हो चाहे हमारे गन्ने की खराबी पर हो, लेकिन प्रश्न तो यह है कि यह नतीजा है और उसके ही आधार पर आपको अपने सूबे की शुगर इंडस्ट्री की रक्षा करनी है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में एक बात कही कि यहां से शुगर इंडस्ट्री वाले भागना चाहते हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसी सूचना है कि शायद इसके विपरीत ही कुछ है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। जैसा कि हमारे किछा में शुगर

[श्री गोविंद सिंह बिष्ट]

मिल है जिसको सरकार ने ४० लाख रुपया कर्जा दिया है, लेकिन फारेन एक्सचेन्ज की वजह से वह अभी तक रुका पड़ा है। लोग यहां पर लगाना चाहते हैं, लेकिन उनको फारेन एक्सचेन्ज नहीं मिलता है। इनमें से कौन सी बात ठीक है ?

श्री मोहन लाल गौतम---मेरे मित्र जिस इलाके से आते हैं उनको यह मालूम है कि उनके पास के ही एक इलाके से एक भाग गये हैं और जो दूसरी शुगर फैक्टरी है वह उसमें आ गई। किस तरह से वह फैक्टरी लगे यह इकानामिक्स वर्क आउट करने की चीज है जिसकी वजह से वह रुकी है। इसमें फारेन एक्सचेंज की बात कब आती है। मैंने तो यह कहा था कि एलाटमेंट हमारे सूबे में कम हुआ है।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि बहुत से मिल मालिक भाग रहे हैं। हमारे लखीमपुर में कोआपरेटिव मिल बनाने के लिये किसानों का २० लाख रुपया इकट्ठा किया गया था इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया है जब कि सरकार ने कहा था कि यह मिल लगेगी ? वहां पर किसानों का लाखों मन गन्ना खड़ा रह जाता है, उसके लिये सरकार ने क्या उपाय किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---हमारे यहां जब १ रुपया ७ आने पर इतना गन्ना पैदा होता है जिसका हम प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं तो अगर इसका दाम और बढ़ा देंगे तो किसानों को और ज्यादा परेशानी होगी।

*श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---पेश्तर इसके कि मैं कुछ जवाब दूं मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस संकल्प का समर्थन किया है। विशेषरूप से माननीय उपाध्याय और चन्द्रावती जी का आभारी हूं कि जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ इस संकल्प का समर्थन किया है। माननीय कृषि मंत्री ने प्रस्तुत संकल्प का विरोध करते हुये जोरदार तरीके से एक ही तर्क उपस्थित किया कि अगर गन्ने की कीमत बढ़ा देंगे तो खाद्य स्थिति और खराब होगी। यह भी कहा कि अगर गन्ने का दाम १ रुपया १२ आने करते हैं तो गेहूं का भाव कहां पर रखें जिससे उतनी पैदावार गेहूं की एक एकड़ में हो सके जितनी कि एक एकड़ में गन्ने की पैदावार होती है.....

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने को इस तर्क से सहमत नहीं पाता हूं। गन्ने की कीमत १ रुपया ७ आने मन है। अगर इससे भी घटा दी जाय तो उसका रकबा घट नहीं सकता है, बढ़ेगा ही, क्योंकि शक्कर की कीमत इतनी बढ़ी हुई है। पिछले सालों से जब से शक्कर की कीमत बढ़ी है गुड़ के भाव बढ़ते जा रहे हैं और आज वह बाजार में २० रुपये मन तक बिक रहा है। जब काश्तकार गुड़ का भाव महंगा पाता है और मिल में गन्ने का दाम कम मिलता है तो वह उसका गुड़ बना लेता है और इसका नतीजा यह होता है कि मिल में शक्कर का उत्पादन घट जाता है। पिछले सालों के आंकड़े अगर आप देखें तो मालूम होगा कि १९५६-५७ में शक्कर की पैदावार २९४ लाख मन थी जो अगले साल घट कर २५६ लाख मन रह गई है। इसका कारण यही है कि जब से शक्कर की कीमत बढ़ी और मिल में गन्ने की उचित कीमत किसान को नहीं मिली, वह अपने गन्ने को बजाय मिल में ले जाने के कोल्हू पर ले जाना पसन्द करता है और गुड़ बना कर उसको पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं और अगर यही तरीका रहा कि गन्ने का दाम बढ़ाया नहीं गया और शक्कर की कीमत घटाई नहीं गई तो शक्कर का उत्पादन घटता जायगा। १९४८ में शक्कर की कीमत ३५ रुपये मन थी, उस समय गन्ना १ रुपया १२ आने मन था, लेकिन जब आज कल शक्कर की कीमत ४० रुपये मन है तो गन्ने का दाम १ रुपया ७ आने मन दिया जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। क्या कारण है इसका, यह सरकार की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरफ से नहीं बतलाया गया, बल्कि यह तर्क दिया गया कि गन्ने की कीमत बढ़ाने से गल्ले की पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं तो यह कहने के लिये मजबूर हूं कि सरकार महज चन्द मिल मालिकों को खुश करने के लिये उनको नाराज न करने के लिये गन्ने की कीमत बढ़ाना नहीं चाहती है और उससे शक्कर की कीमत बढ़ती जाती है। मैं अपने संकल्प को वापस लेने के लिये तैयार हूं अगर शक्कर की कीमत ८ आने सेर कर दी जाय। अगर शक्कर की कीमत घटाई जाती है तो उसका असर गन्ने के रकबे पर भी पड़ेगा। इस वजह से मैं ज्यादा समय न लेकर सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संकल्प पर विचार करके इसको पारित करें और अधिष्ठाता महोदय, आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इस संकल्प को सदन के सामने प्रस्तुत करें।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि "सदन की राय में गल्ले तथा अन्य वस्तुओं के मौजूदा मूल्यों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया गन्ने का न्यूनतम मूल्य गेट पर १ रुपया ७ आना तथा सेन्टरों पर १ रुपया ५ आना प्रतिमन बहुत कम है तथा उत्तर प्रदेश के १४ लाख गन्ना उत्पादकों के हितों के सर्वथा प्रतिकूल है।

इसलिये सदन की राय है कि केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की जाय कि अविलम्ब गन्ने का न्यूनतम मूल्य गेट तथा सेन्टर दोनों पर १ रुपया १२ आना निश्चित किया जाय तथा १ अक्तूबर १९५७ से सप्लाई किये हुए समस्त गन्ने का यही मूल्य उत्पादकों को देने का आदेश मिल मालिकों को दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश में अभाव की समस्या के निराकरणार्थ उच्चस्तरीय समिति की स्थापना के सम्बन्ध में संकल्प

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संकल्प सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना चाहता हूं :—

"यह सदन संस्तुति करता है कि प्रदेश के पूर्वी, पर्वतीय तथा बुन्देलखंड अंचलों में निरन्तर अभाव की स्थिति बनी रहने से उत्पन्न महान् संकट का समुचित एवं स्थायी हल निकाले जाने हेतु गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिये राज्य सरकार एक उच्चस्तरीय समिति अथवा आयोग की स्थापना करे, जो तीन मास के भीतर अपनी रिपोर्ट दे।"

श्रीमन्, इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इस सदन की एक सर्वसम्मत भावना को व्यक्त कर रहा हूं। आज हम सभी की दृष्टि निरंतर वृद्धिमान गति से अपने प्रदेश के उन कोटि-कोटि मानवों की ओर लगी हुई है जो निरन्तर कई वर्षों से बाढ़ और सूखा के कोपभाजन हो रहे हैं। जिनको राहत पहुंचाने के लिये इस प्रदेश के आय-व्ययक का एक बहुत बड़ा अंश हमें प्रति वर्ष खर्च करना पड़ता है।

इसके पहिले कि मैं, श्रीमन्, आपका ध्यान तथ्यों की ओर आकर्षित करूं मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि मेरे विचार से वर्तमान सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी, कम से कम प्रत्यक्ष में नहीं तो अप्रत्यक्ष से, इस समिति की नियुक्ति की बात को मान चुके हैं। श्रीमन्, आपको याद होगा कि जब आपने स्वयं कुछ मास पूर्व अनशन व्रत धारण किया था तो माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने आपके अनशन की समाप्ति से पूर्व एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा था।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन् मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह अनशन चेअर ने किया था?

श्री अधिष्ठाता—माननीय नारायणदत्त तिवारी इसका जवाब स्वयं दे देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अधिष्ठाता महोदय, 'आप' शब्द का प्रयोग मैंने आप ही के लिये किया था। चूंकि आप अधिष्ठाता हैं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि उस समय माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा था उसमें यह निवेदन किया था कि इस प्रश्न को अशोक मेहता समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने, श्री अजीत प्रसाद जैन, जो केन्द्र के खाद्य मंत्री हैं, उनको लिखा और उनसे बात चीत भी की थी। उस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी का जो पत्र है उसका उद्धरण पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है—

"You have referred to Ashok-Mehta Committee. If the Committee is able to make some suggestions for making these areas self-sufficient in foodgrains, it will be most welcome. You know that I have expressed to the Union Food Minister, Sri Ajit Prasad Jain, my concurrence in this matter."

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने उस पत्र में माननीय त्रिलोकी सिंह जी की मांग से Concurrence स्पष्टरूप से व्यक्त की। जब यह प्रश्न अशोक मेहता कमेटी के सामने श्री अजित प्रसाद जैन ने रखा तो अशोक मेहता साहब ने जैन साहब को लिखा कि यह प्रश्न एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है जो यह कमेटी इतने थोड़े समय में पूरा नहीं कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें केवल बाढ़ का ही मसला नहीं है, इसमें केवल फूड ग्रेन्स का ही मसला नहीं है, इसमें सारे क्षेत्र की विशेष परिस्थिति से निराकरण का भी मसला है, इसलिये यह फूड एण्ड ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के स्कोप के भी बाहर है। अजित प्रसाद जी जैन ने लिखा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया इससे सहमत है कि यह अकेले फूड ऐण्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ही मामला नहीं है इसलिये आप इस पर पार्सिंग रिफरेंस ही कर दें क्योंकि विस्तृत जांच आपके द्वारा नहीं हो सकती। नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार के इस राय के होते हुए भी, और यहां सदन में भी यह मत व्यक्त होते हुए भी कि अशोक मेहता समिति इस मंशा को पूरा नहीं कर सकती, उन्होंने एक चैप्टर इस बारे में रखा है। उन्होंने लिखा है कि हम यह एक पार्सिंग रिफरेंस दे रहे हैं, विस्तृत अध्ययन हम नहीं कर पाये हैं।

(इस समय ३ बज कर ३७ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लेकिन उस समिति ने जो सिफारिश की है, इस संबंध में और विशेष जांच होनी चाहिये। श्रीमन्, फूड ग्रेन इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के पेज १२२ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह रिपोर्ट अंग्रेजी में है इसलिये उसे अंग्रेजी में पढ़ने की ही मैं इजाजत चाहता हूं :—

"Such studies are all the more important inasmuch as these areas are not only problem areas *per se*, but as we have explained carlier they also tend to upset the balance of the overall food situation. Within the short time at our disposal, we have not been able to attempt such intensive studies. Besides, the terms of our reference required us to make a study of the overall food position in the country and to make recommendations in an all-India perspective. We hope, however, that detailed and intensive studies would be undertaken in these areas before long."

तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यह फूड ग्रेन इनक्वायरी कमेटी है उसका यह सर्वसम्मत सुझाव है कि इस प्रकार के जो स्केयरसिटी एरियाज हैं, वहां की स्थिति का व्यापक पैमाने पर सही मूल्यांकन होना चाहिये। मुझे आशा है कि अपनी उदार और प्रजातांत्रिक भावनाओं का परिचय देते हुए जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय गेंदासिंह और माननीय त्रिलोकीसिंह जी को अपने पत्र के आखिरी वाक्य में आश्वासन दिया था, उसमें लिखा है, "आई शैल डू व्हाट एवर इज विदिन माई पावर" यानी मैं अपनी शक्ति भर जो कुछ हो सकेगा करूंगा। मेरा पूर्ण विश्वास है

कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार के पावर में है कि वह एक हाई पावर कमेटी बैठावे जो इस समस्या का एक स्थायी हल निकाले । इसमें कोई खर्चे की बात नहीं है, इसमें कोई फाइनेंशल इम्पर्ल केशंस की बात नहीं है, यह तो केवल सही मूल्यांकन का प्रश्न है । यह कोई एक साल का प्रश्न नहीं है बल्कि यह मसला तो प्रतिवर्ष हमारे सामने आता रहता है। आपने पिछली बार विधायकों की एक समिति स्थापित की थी जो वहां जाकर रिलीफ के बारे में सलाह दे सके, जो इस बारे में सलाह दे सके कि लगान की माफी कितनी हो, कितने लोगों को तत्काल सहायता पहुंचायी जाय, वगैरह वगैरह । आज इसके लिये जरूरत है कि हम रीजनल प्लानिंग के द्वारा ही इसका स्थायी हल निकाल सकते हैं । यह पंचवर्षीय योजना भी चल रही हैं इसमें रीजनल प्लानिंग का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है । चाहे पूर्वी जिलों की बात हो, पर्वतीय जिलों की बात हो, या बुन्देलखंड के अंचल की बात हो, एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से वहां की समस्याओं के ऊपर विचार करना चाहिये । उनकी अवहेलना करके कोई काम नहीं किया जा सकता है । आखिर जोनल कौंसिल्स जो बनायी गयी हैं, वे इसीलिए तो बनायी गयी है कि ऐसे प्रदेश जिनकी समस्याएं एक सी हों, उनके संबंध में वहां एक साथ बैठ कर कोई स्थायी हल निकाला जाय । उसी की पृष्ठभूमि में हमें रीजनल कौंसिल के ऊपर भी सोचना है । हमारे प्रदेश में जो ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनके बारे में राज्यपाल महोदय ने भी अपने संबोधन में कहा कि ब्रिटिश सरकार का व्यवहार भी इन क्षेत्रों के साथ सौतेली मां के समान था । जब राज्यपाल महोदय ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है तो ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्रों की प्रगति की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

जहां तक इंडस्ट्री वगैरह की बात है इसमें भी वे क्षेत्र पिछड़े हुए ही हैं । यू० पी०. सरकार ने आज से दो वर्ष पहले एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की स्थापना की थी, उसकी रिपोर्ट के अनुसार बलिया जिले में केवल एक फैक्ट्री है जिसमें १३ आदमियों को रोजगार मिला हुआ है, गाजीपुर में एक फैक्ट्री है जिसमें ५८८ आदमी लगे हुए हैं, जौनपुर में केवल ६ फैक्ट्रीज हैं जिनमें ५०१ आदमी काम करते हैं । आजमगढ़ में केवल ५ रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं जिनमें ५४ आदमी काम करते हैं । बस्ती में ४ फैक्ट्रीज हैं और चीनी मिल की वजह से १,१०० आदमी काम करते हैं । बुन्देलखंड एरिया में बांदा में ४ फैक्ट्रीज हैं और उनमें ३७ आदमी रोजगार में लगे हुए हैं । हमीरपुर में १ फैक्टरी है जो बन्द है । जालौन में २ रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज है जिनमें ९ आदमी लगे हुए हैं । मिर्जापुर में १८ फैक्ट्रीज हैं जिनमें १,२७७ आदमी लगे हुए है । पहाड़ी इलाके में २ रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं जिनमें ३२ आदमी हैं । गढ़वाल में २ रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं और ४२ आदमी रोजगार में लगे हुए हैं । नैनीताल की तराई में १४ फैक्ट्रीज है जिनमें ७१९ आदमी लगे हुए हैं । टेहरी गढ़वाल में कोई रजिस्टर्ड फैक्ट्री है ही नहीं । इस प्रकार औद्योगीकरण की हालत का पता चलता है कि प्रदेश के जिस हिस्से में रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज नाम मात्र को हों और हम इंडस्ट्रलाइजेशन की बात करें तो हमको अवश्य सोचना पड़ेगा कि वहां क्या होने वाला है । सबसीडियरी एम्पलायमेंट, अण्डर एम्पलायमेंट कैसे दूर होने वाला है यह सब प्रश्न हमको सोचने होंगे ।

डेंसिटी जो पापुलेशन की है वह बढ़ती जा रही है । १९२१ की तुलना से १९५१ में डेंसिटी आफ पापुलेशन पर स्क्वायर माइल क्या है इसके आंकड़े मैं दिये देता हूं । गोरखपुर में १९२१ में जहां ६६२ थीं वहां १९५१ में बढ़ कर ९१९ हो गई । इसी प्रकार देवरिया, बस्ती, गोंड़ा, बहराइच , बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ में जहां डेंसिटी आफ पापुलेशन पर स्क्वायर माइल १९२१ में क्रमशः ७९३, ६८२, ५२१, ४०१, ६६९, ७४३, ५९८, ७०२, ६९० थी वहां वह १९५१ में बढ़ कर १,००७,८४६, ६६४,५०७, १,००७, ९७६,८७४ १,०१० और ९४८ हो गयी । इसी प्रकार बुन्देलखंड एरिया में झांसी , जालौन, हमीरपुर, बांदा और मिर्जापुर में १९२१ में क्रमशः १६७, २४५, १९४, २०३, और १६६ थी वह १९५१ में बढ़कर २२५, ३१५, २४३, २६७, और २३३ हो गयी । इसी प्रकार और भी आंकड़े

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन क्षेत्रों में डेंसिटी पर स्वायर माइल प्रदेश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में और भारतवर्ष के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में बहुत बढ़ी है। सेंसस रिपोर्ट मेरे पास है। सेंसस रिपोर्ट में लिखा है कि १९५१ में १९२१ के मुकाबले में यहां डेंसिटी आफ पापुलेशन पर स्वायर माइल जितनी बढ़ी है उतनी साउथ अमेरिका में एक स्टेट है उसको छोड़ कर वह सारे संसार में सब से ज्यादा बढ़ी है। लेकिन साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हैं, उद्योग धन्धे नाम मात्र को हैं तो क्या यह विचारणीय वस्तु नहीं है ? क्या इस पर ठंडे दिल से भी विचार नहीं किया जा सकता ?

इसी प्रकार लैंड एरिया पर कैपिटा और कल्टीवेटेड एरिया पर कैपिटा को देखिये। पूर्वी जिलों की इसमें सबसे दयनीय अवस्था है। वहां जहां एक व्यक्ति पीछे जमीन ७६·४ एकड़ है वहां कृषि के लिये केवल ५२·९ एकड़ जमीन है। इसी प्रकार पर्वतीय प्रदेश में नैनीताल में, २२ एकड़ लैंड पर कैपिटा पड़ती है, अल्मोड़ा में ·४४५ एकड़ लैंड पर कैपिटा पड़ती है और खाद्यान्न यहां बाहर से ६० प्रतिशत मंगाये जाते हैं। यही हालत बुन्देलखंड एरिया की है। वहां जमीन बहुत ज्यादा होने पर भी पानी की कमी की वजह से प्रोडक्टिविटी इतनी कम है कि स्वयं सरकार को मानना पड़ा कि मिर्जापुर, बांदा इलाहाबाद, मेजा और करछना अभाव-ग्रस्त क्षेत्र हैं जिनकी भौगोलिक स्थिति केवल बुन्देलखंड की तरह है वैसी ही मेजा और करछना तहसीलों में हैं। मैं बुन्देलखंड में ही शामिल करता हूं मिर्जापुर और इलाहाबाद की इन दो तहसीलों को। तो जहां पीने के पानी की कमी हो उसका मूल्यांकन अवश्य करना चाहिये और इससे सभी सहमत भी होंगे।

साथ ही साथ एक दूसरे दृष्टिकोण से हम यहां का मूल्यांकन कर सकते हैं। वह यह है कि बाहर से आने वालों की संख्या क्या है। माननीय माल मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि तभी हम मान सकते हैं कि अभाव की स्थिति बढ़ रही है जब बाहर से आने वालों की संख्या कम होती हो, माइग्रेशन कम होता हो। विभिन्न उद्योगों और खाद्यान्नों के दाम बढ़ जाते हों। अगर किसी क्षेत्र की आर्थिक उन्नति हो रही है तो प्रमाण यह होता है कि वहां लोग बाहर से आने लगते हैं। पंजाब के रिफ्यूजी सटलर्स पूर्वी जिलों में और बुंदेलखंड में सबसे कम स्थापित हुये हैं। सेंसस रिपोर्ट के अनुसार सारे भारतवर्ष में बाहर से आने वाले माइग्रेंट्स की संख्या पूर्वी जिलों में सबसे कम रही। १०,००० प्रति व्यक्ति पीछे १२० व्यक्ति का औसत रहा। तो इससे साबित होता है कि माइग्रेशन न होने का मुख्य कारण यह है कि वहां आ कर खाते क्या ? और सेंसस रिपोर्ट में यह लिखा है कि जो १२० आदमी आये वह शादी विवाह के कारण आये। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वहां की स्थिति बुनियादी रूप से क्या है ?

इसी प्रकार से दूसरे दृष्टिकोण से यहां की स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। वह है ऐग्रीकल्चरल और नानऐग्रीकल्चरल क्लासेज का प्रोपोर्शन क्या है। जब कि हम देखते हैं कि इस प्रदेश के दूसरे भागों में खेतिहर लोगों का प्रतिशत ६६ प्रतिशत और ४४ प्रतिशत दूसरे कार्यों में लगा हुआ है, पूर्वी इलाके में और दूसरे पिछड़े इलाकों में ८२.७९ प्रतिशत व्यक्ति खेती में लगे हुये हैं और १८ प्रतिशत दूसरे कामों में लगे हैं। इसका क्या कारण है कि यहां ८२ प्रतिशत व्यक्ति खेती में लगे हैं जब कि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में कुल मिला कर ६६ प्रतिशत लगे हैं। इससे यह प्रकट होता है कि यहां की खेती पर जो भार है इसको हल्का करना है। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा, गजेटियर्स की रिपोर्ट को देखें और जो प्लानिंग विभाग ने अपनी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी का नोट भी है। प्रत्येक नियोजन विभाग की रिपोर्ट में और प्रत्येक गजेटियर में यह लिखा है कि स्थिति केवल आज की नहीं है बल्कि लगातार शताब्दियों से प्रदेश के यह हिस्से इसी प्रकार रहे हैं, अकाल पीड़ित रहे हैं, अभाव की स्थिति वहां होती रही है। लाखों रुपये की लगान की माफी एक, एक जिले में अंग्रेजों तक ने

दी है। मैं गोरखपुर, बांदा, आजमगढ़, बलिया और बनारस का गजेटियर पढ़ रहा था तो श्रीमन्, आपको जानकर आश्चर्य होगा शायद कि २४,२४ लाख रुपया अंग्रेजों ने एक-एक साल में लगान में माफी दी है, एक एक फसल में। खरीफ की फसल में २४ लाख तो रबी की फसल में ३४ लाख। जब कि रुपये का मूल्य श्रीमन्, आप जानते हैं क्या था? जब कि खाद्यान्न के मूल्य कितने कम थे। सन् १९३९ का जो वेज रेट था और आज का जो वेज रेट है उसमें कितना फर्क है। तो अंग्रेजों के जमाने में जब इतनी माफी हुई एक एक फसल में तो इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि यह समस्या अस्थायी नहीं है। यह समस्या केवल अभी की नहीं है। पिछले वर्ष कोई माननीय सदस्य सदन में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जलवायु का चक्कर है, साइकिल आफ क्लाइमेट है कि इस साल कुछ, तो अगले साल कुछ, लेकिन दुर्भाग्य से या कोई ऐसी ऐतिहासिक परिस्थिति पैदा हो गई है जिससे ये क्षेत्र शताब्दियों से इस प्रकार पीड़ित रहे हैं।

आज जब कि हम समाजवाद की ओर अग्रसर होने की बात करते हैं और कहते हैं कि हम उस ओर अग्रसर हो रहे हैं, आज जब कि हम टोटल प्लानिंग की बात करते हैं, जब कि हम एक सार्वभौम नियोजन की बात करते हैं तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये इस तरह की एक स्थायी समिति हम बैठायें? मैंने इस प्रस्ताव में ३ मास की अवधि रिपोर्ट देने के लिये रखी है, मैं इस ३ मास के समय पर जोर नहीं देता वह समय ४ या ५ मास का भी हो सकता है, लेकिन एक बार हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं चाहे वह बाढ़ समस्या के इंजीनियर्स हों, चाहे एजूकेशन के एक्सपर्ट्स हों, लेजिस्लेचर्स हों या उद्योग-शास्त्र के विशारद हों, प्लानिंग कमीशन के प्रतिनिधि हों या उद्योगपति हों या कोई भी हों हम सबको आमंत्रित करें और विस्तृत रूप से हम इस बात की चेष्टा करें कि इस समस्या का कोई स्थायी हल निकल आये। मैं अब अधिक नहीं कहना चाहता इसलिये कि मैं जिस चीज को सही मानता हूं जो सेंसस रिपोर्ट में है, जो सरकारी रिपोर्टों में है, जो हर बुलेटिन और स्टेटिसटिक्स से सिद्ध है, वह अपनी जगह पर सिद्ध हुई बात है और जिसको सरकार भी मानती है। आज कोई वातावरण भी ऐसा नहीं है कि जिससे कोई विशेष दिक्कत सरकार को इसके मानने में हों। मुझे आशा है, माननीय मुख्य मंत्री जी से, सरकार से और इस सदन से कि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सब इसका समर्थन करेंगे। अभी कल ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक राजनीतिक ट्रूस की बात कही थी। मैं समझता हूं यह मसला राजनीति से ऊपर है, यह मसला पिछड़े क्षेत्र को नवजीवन प्रदान करने की योजना का है, यह तो एक मानवीय प्रश्न है, इसको हमें एक दूसरे ही दृष्टिकोण से देखना है। यह हयूमेनिटी के प्रति न्याय का मसला है, यह परिपीड़ित इंसानियत के प्रति कर्तव्य का तकाजा है जिसका हमें पालन ही करना नहीं है, बल्कि हमें एक ओर तो उनको तात्कालिक सहायता करना है और दूसरी ओर एक बड़ी प्लान बनाकर हमें इस बात की चेष्टा करनी है कि जिससे प्रदेश के और देश के दूसरे प्रगतिशील क्षेत्रों के साथ यह इलाके भी उन्नति कर सकें। ऐसा न हो कि आम की गुठली खाकर हमारे प्रदेश के कोने में लोग मरें, ऐसा न हो कि फिर कभी हवाई जहाज से अनाज डालने की उन क्षेत्रों में नौबत आये, ऐसा न हो कि प्रत्येक वर्ष रबी और खरीफ के मौके पर विरोधी दल के सदस्यों को बार-बार कामरोको प्रस्ताव लाकर विवाद की आज्ञा मांगनी पड़े और हम कोई स्थायी हल इस मसले का न निकाल सकें। मैं चाहता हूं कि एक सर्वसम्मत मनोभावना के साथ एक सुन्दर इरादे से यह प्रस्ताव पेश किया गया है इसलिये मुझे आशा है यह सदन इसको अवश्य स्वीकार करेगा। इसके बारे में यही समय है "अब नहीं तो कभी नहीं"। अब अगर यह चीज नहीं मानी जाती तो साल भर के बाद हो सकता है कि इस पर विचार करना पड़े, दो साल बाद करना पड़े छः महीने के बाद ही करना पड़े। यह हो नहीं सकता कि बुन्देलखंड के यह भाग, पर्वतीय भाग और पूर्वी भागों की समस्या अब अविचारणीय रह सके। मुझे विश्वास है कि सदन सर्वसम्मति से इसे पारित करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---मोतीलाल जी, जरा मैं आप के संशोधन के बारे में विचार कर रहा हूं कि वह नियमानुकूल है या नहीं, इतने में श्री चन्द्रजीत यादव जी को बुलाता हूं।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से माननीय नारायणदत्त जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं

संकल्प की पंक्ति ३ में शब्द "एक" तथा शब्द "उच्चस्तरीय" के बीच में शब्द "सर्वदलीय एवं विशेषज्ञों की" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, यह संशोधन इसलिये प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई कि मेरी समझ में यदि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जायगा तो जिस हाईपावर कमेटी, जिस कमीशन की हम मांग कर रहे हैं उसका स्वरूप ज्यादा अच्छा हो सकेगा और उसकी रिपोर्ट जनता के अधिक नजदीक की रिपोर्ट होगी, क्योंकि यह देखा जाता है कि जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें अपने विषय की जानकारी होती है, लेकिन जनता से दूर होने के नाते क्या जनभावना है उसमें उनकी पहुंच उतनी जनवादी नहीं हो पाती जितनी उन जन प्रतिनिधियों की जो २४ घंटे जनता के बीच में, रहते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। इसी बात को दिमाग में रखकर मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्रीमन्, पिछले ७--८ वर्षों से, जब से हमारे प्रदेश की खाद्य स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है और अनवरत बिगड़ती जा रही है, तबसे हमारे प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों ने एक सम्मति से इस बात की मांग की कि जनता की जिन्दगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे रोकना है और खाद्य स्थिति को सुधारना है। इसके लिए हमारे प्रदेश के जन नेताओं को बार-बार अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़ी, प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों ने जन आन्दोलन खड़े किये और सरकार के सामने भिन्न भिन्न रूप में हमने मांगों को प्रस्तुत किया। पिछले वर्ष जब भारत सरकार ने माननीय अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी थी जिसने सारे मुल्क का दौरा करके खाद्य समस्या को सुलझाने के लिये भारत सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस समय हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस बात को आवश्यक समझते हुये कि वह कमेटी हमारे पूर्वी अंचल का विशेषरूप से अध्ययन करे इस बात को स्वीकार किया कि अगर वह कमेटी अध्ययन कर सके तो विशेषरूप से रिपोर्ट दे। लेकिन कमेटी के सामने इतना समय नहीं था। उसने सुझाव दिया कि भारत सरकार इस बात के महत्व को समझते हुये कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल, में, पहाड़ी क्षेत्रों में और दूसरे क्षेत्रों में जो खाद्य की समस्या एक स्थायी समस्या बन गयी है और जो करोड़ों जनता की जिन्दगी के साथ हम रोज देखते हैं कि किस प्रकार खिलवाड़ हो रहा है, रोज भुखमरियों की रिपोर्ट आती हैं, उन्हें सरकार माने या न माने, लेकिन इसमें वास्तविकता है कि आज हमारे प्रदेश में मौतें भूख से हो रही हैं। आज हमारे प्रदेश का किसान भूखा रह करके, आधा पेट खा करके किसी तरह से जीवन निर्वाह कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुये उन्होंने सिफारिश की थी कि एक विशेष कमीशन बैठाया जाय जो विशेष रूप से इस क्षेत्र की जांच करके रिपोर्ट दे।

आज क्यों आवश्यकता है ऐसा कमीशन बनाने की? हमारे प्रदेश के जिन अंचलों की चर्चा यहां की गयी है वह ऐसे अंचल हैं जो अभावग्रस्त हैं, जिनकी समस्या एक स्थायी अभावग्रस्त समस्या का रूप धारण कर चुकी है। इस क्षेत्र के अन्दर भूमि परिवार अधिक है और जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, उसको सरकार भी मानती है। श्रीमन्, यदि आंकड़े देखे तो पूर्वांचल के जिलों के अन्दर गोरखपुर और बनारस डिवीजन में प्रति वर्ग मील ८३३ व्यक्ति रहते हैं जबकि हमारे प्रदेश में दूसरे क्षेत्रों में एक वर्ग मील में ५५७ व्यक्ति रहते हैं। कुछ ऐसी तहसीलें भी हैं इन डिवीजनों की जिनमें जन-संख्या १,०००

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रति वर्ग मील से भी अधिक है। यह जनसंख्या बंगाल के कुछ हिस्सों को छोड़कर और कुछ केरल के हिस्से को छोड़कर सारे मुल्क में सबसे अधिक है और सबसे अधिक भार यहां पर है। तो एक बड़ी भारी समस्या जनसंख्या को नियंत्रित करने की है। इसके दो उपाय हो सकते हैं या तो इस प्रदेश की जनसंख्या को ऐसे भागों में स्थानांतरित किया जाय जहां कम आबादी की भूमि उपलब्ध हो, जैसा कि तराई-भाबर का एरिया या दूसरे एरिया हैं। दूसरा उपाय यह है कि भारत सरकार की सहायता से प्रदेशीय सरकार परिवार नियोजन की योजना को निश्चित रूप से इस प्रदेश के इस अंचल में लागू करे।

तीसरी समस्या जो सब से महत्वपूर्ण है वह है हमारे प्रदेश में सिंचाई की समस्या। आज इसको सभी मानते हैं कि हमारे प्रदेश में सिंचाई की समुचित जो भी व्यवस्था हुई है उसमें कुछ ट्यूबवेल्स खुले हैं, कुछ छोटी-मोटी नहरें बनायी गयी हैं, लेकिन ट्यूबवेल्स की दर इतनी अधिक पड़ती है कि किसान उसको ले नहीं पाता है और नहरों का पानी पूरे खेत के लिये भी उपलब्ध नहीं हो पाता है और मुझे बहुत आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि इंजीनियर आज करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद इस राय के हो रहे हैं कि पूर्वी जिलों के अन्दर ट्यूबवेल्स सफल नहीं हुये हैं और सरकार अब वहां ट्यूबवेल नहीं बनवा रही है और यह सोच रही है कि सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाओं को हम वहां कैसे लागू करें ताकि जो बड़ी योजनायें हैं, जिनके पूरा होने में काफी समय लगने वाला है, उस समय तक खेती असिंचित न रह जाय।

इसके अलावा बाढ़ और सूखे की भी समस्या है। प्रतिवर्ष वहां किसी साल बाढ़ आती है तो किसी साल सूखा पड़ता है। करोड़ों की सम्पत्ति बरबाद होती है, लाखों आदमियों के मकान गिरते हैं, लोग बेघरबार होते हैं। आज वहां के लिये उद्योग सब से बड़ी समस्या है। सरकार यदि इस बात को मानती है कि भूमि पर भार सबसे अधिक है तो उसको कम करने के लिये सरकार को उन क्षेत्रों में उद्योग खोलने पड़ेंगे। लेकिन यदि हम देखें तो आज स्थिति यह है कि पूर्वी जिलों के अन्दर पिछले ५० सालों में भूमि के ऊपर भार बराबर बढ़ता गया है। श्रीमन्, सन् १९०१ के आंकड़े अगर आप देखें तो गोरखपुर में ६२ फीसदी जनता कृषि के ऊपर निर्भर थी, देवरिया में ७१ फीसदी, बस्ती में ६४ फीसदी और आजमगढ़ में ५९ फीसदी, लेकिन आज क्रमशः इन्हीं जिलों में ८६ फीसदी, ९४ फीसदी, ९० फीसदी और ८३ फीसदी जनता कृषि के ऊपर निर्भर रह रही है। आज १९०१ के बाद लगभग ४०, ४५ फीसदी भार पूर्वी जिलों में भूमि पर अधिक हो गया है। इसका एक कारण है कि दूसरा कोई साधन किसानों को उपलब्ध नहीं हुआ। कोई उद्योग इस क्षेत्र में नहीं खोले गये जिससे कि जनता भूमि से हट कर उद्योगों में लगे। श्रीमन्, सबसे दुख की बात तो यह है कि जहां सरकार उद्योगों को बढ़ाने की बात कहती है, नये नये उद्योगों को खोलने की योजना बनाती है वहीं इस पूर्वी अंचल के अन्दर जो उद्योग पहले से चले आ रहे हैं, जिन्हें हम कुटीर उद्योग के नाम से जानते हैं उनमें ह्रास होता चला आ रहा है। आप किसी भी जिले में देख लीजिये, चाहे मिर्जापुर के अन्दर कालीन बनाने का उद्योग हो, बनारस जिले के अन्दर पीतल के बर्तन, रेशमी कपड़ा या भदोही के कालीन का उद्योग हो, आजमगढ़ जिले में बुनकरों का उद्योग हो, गाजीपुर जिले के अन्दर अफीम या इत्र और दूसरे तेलों का उद्योग हो, सब के अन्दर प्रायः ह्रास होता चला आ रहा है और सरकारी आंकड़े इस बात को साबित करते हैं। सरकार नयी योजना बनाने को सोच रही है, लेकिन इस तरफ से वह बिल्कुल मुंह मोड़े बैठी है कि जो सैकड़ों वर्षों से उद्योग वहां चले आ रहे हैं, जिनको वहां की जनता ने अपने प्राणपण से पाला है, आज जबकि उनको संरक्षण की आवश्यकता है तो उनका ह्रास हो रहा है। प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में आज इस मशीन के युग में ऐसे उद्योग स्थापित हो गये हैं जिनका मुकाबला ये उद्योग नहीं कर पा रहे हैं और सरकार की ओर से कोई संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। यही वजहें हैं जिनके कारण इनका बराबर ह्रास होता चला जा रहा है। मैं उस दिन बड़ा खुश

[श्री चन्द्रजीत यादव]

हुआ जब मुख्य मंत्री जी ने सदन में यह घोषणा की कि वे छोटे उद्योगों के लिये एक अलग विभाग खोलने जा रहे हैं ताकि विशेष रूप से इनका संरक्षण हो सके और नयी योजनायें बनायी जा सकें। मैं आशा करता हूं कि यहां हमारे माननीय मुख्य मंत्री बड़े उद्योगों की तरफ ध्यान दें और ध्यान देना चाहिये वहां इस अंचल में जो ये उद्योग अनवरत गिरते जा रहे हैं इसकी ओर विशेष ध्यान दें। श्रीमन्, हम इस कमीशन की मांग इसलिये करते हैं कि इस प्रदेश के इन अंचलों की समस्या ने सारे प्रदेश का ध्यान आकर्षित किया है और अब ऐसी स्थिति पहुंच चुकी है कि इसके ऊपर सरकार को तथा दूसरे पक्ष के लोगों को गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिये। आजकल होता यह है कि सरकार योजनायें बनाती है और उसको यह शिकायत होती है कि विरोधी दल सहयोग नहीं करते हैं। हमारी शिकायत यह होती है कि जैसी योजना बननी चाहिये वैसी सरकार नहीं बनाती है और हमसे कहा जाता है कि सहयोग दिया जाय। इसलिये हम अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। इसी चीज को दूर करने के लिये हमने मांग की है कि एक सर्वदलीय समिति बने और वह बाहर इलाकों में जाय; बुन्देलखंड की जनता के पास जाय, पूर्वी जिलों की जनता के पास जाय तथा पर्वतीय जिलों की जनता के पास जाय जो उसकी समस्यायें हों, चाहे वह किसानों की हों, चाहे मजदूरों की हों, चाहे व्यापारियों की हों और चाहे किसी भी वर्ग की समस्यायें हों, उनको जानने की कोशिश करे और यह समझने की कोशिश करे कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं और सरकार क्या कर सकती है। इस समिति की रिपोर्ट ऐसी होगी कि इसके प्रस्तुत करने के बाद हम नहीं कह सकेंगे कि योजना गलत है, सहयोग नहीं देंगे और सरकार भी कह सकती है कि यह योजना ऐसी समिति द्वारा प्रस्तुत की गई है जो सर्वदलीय समिति है और जिसमें आप लोग रहे हैं, आपने भाग लिया है और अपनी राय दी है तो हम इसको मानने के लिये विवश होंगे।

हमने दो पंचवर्षीय योजनायें देखी हैं। पहली पंचवर्षीय योजना तो बीत गई और दूसरी मध्य में पहुंच चुकी है। लेकिन हुआ क्या है? बाढ़ रोकने के लिये सरकार ने प्रयास किया है, सूखा रोकने के लिये नहरें बनाने की ओर कदम उठाये गये हैं, ट्यूबवेल्स बनाये गये, लेकिन वह असफल होते नजर आ रहे हैं। जो भी योजनाएं बाढ़ रोकने के लिये बनी हैं वह ऐसी हैं जो इन क्षेत्रों को देखते हुये अपर्याप्त हैं। केवल कुछ गांवों को ऊंचे कर देने से, नदियों के बांध बनाने से काम नहीं चलने वाला है। इन क्षेत्रों में कुछ ऐसी नदियां हैं जो तबाह कर रही हैं, उनका उद्गम से लेकर संगम तक अध्ययन किया जाय। यदि बांध बनाये जायं तो यह देख लिया जाय कि ऐसा न हो जाय कि एक जगह तो बांध बनाया जाय और दूसरी जगह उसके कारण वाटर लागिंग हो जाय जिससे दूसरे क्षेत्र तबाह हों। ऐसा हुआ है कि एक तरफ सड़क ऊंची की गई, लोगों को आने-जाने की सुविधा हुई, लेकिन दूसरी तरफ हजारों गांव बरबाद हुये और लाखों की सम्पत्ति नष्ट हुई। इस प्रकार की बातें रोज घटती हैं। सरकार की तरफ से गांव ऊंचे किये जा रहे थे। उनको रोक दिया गया है यह कहकर कि हमारे पास रुपया नहीं है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहूंगा कि जहां एक तरफ करोड़ों लोगों का जीवन संकट में हो, लाखों की सम्पत्ति नष्ट होती हो वहां सरकार रुपये का नाम लेकर ऐसी बात न कहा करे। मैं समझता हूं और मेरा विश्वास है कि यदि प्रादेशीय सरकार ठीक से केंद्रीय सरकार को वस्तु-स्थिति का ध्यान करावे तो केंद्रीय सरकार अधिक से अधिक सहयोग देगी।

श्रीमन्, दूसरी बात खाद्य समस्या की है जो सबके दिमागों पर छाई हुई है। हम देखते हैं कि १९५४–५५ में सब से अच्छी उपज हुई थी। उस समय भी इन जिलों में एक करोड़ मन गल्ले की उपज कम हुई थी। यह बड़ी विकट और गम्भीर समस्या है। यदि सिंचाई की व्यवस्था हो सके, बाढ़ का नियंत्रण हो सके, गृह उद्योगों की व्यवस्था की जा सके तथा दूसरे अन्य उद्योग-धंधे खोले जा सकें तो मेरा ऐसा विश्वास है कि यहां की समस्याएं हल होंगी और होनी भी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन उपस्थित कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मोतीलाल अवस्थी, आपने अपने संशोधन को सुधार दिया है वह ठीक है। रख सकते हैं।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प की पंक्ति १ में शब्द "प्रदेश के" और शब्द "पूर्वी" के बीच शब्द "उन"; शब्द "में" तथा शब्द "निरंतर" के बीच शब्द "जहां"; पंक्ति २ में शब्द "रहने" के स्थान पर शब्द "रहती है"; एवं शब्द "से" तथा शब्द "उत्पन्न" के बीच शब्द "उससे" बढ़ा दिये जायं।

इन सब परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रस्ताव का यह रूप होगा, "यह सदन संस्तुति करता है कि प्रदेश के उन पूर्वी, मैदानी एवं पर्वतीय तथा बुंदेलखंड अंचलों में जहां निरन्तर अभाव (scarcity) की स्थिति बनी रहती है उससे उत्पन्न महान् संकट का समुचित एवं स्थायी हल निकाले जाने हेतु गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिये राज्य सरकार एक उच्चस्तरीय (high power) समिति अथवा आयोग की स्थापना करे, जो तीन मास के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे।"

श्रीमन्, मैं अपने इस संशोधन के द्वारा जो चाहता हूं वह यह है कि पूर्वी जिलों, बुंदेलखंड अथवा पर्वतीय अंचल के अभावग्रस्त स्थानों के लिये जो कुछ विचार प्रकट किये गये हैं उनके साथ अपने उन हिस्सों को भी जोड़ दूं जो यद्यपि मैदानी हिस्से हैं तथापि अभावग्रस्त हैं। मैं आपका ध्यान उन जिलों की ओर आकर्षित करूंगा जिन्हें आमतौर से मैदानी हिस्से कहा जाता है। आजकल जो रीजन्स बटे हुए हैं, स्वाभाविक अथवा कृत्रिम, उन जिलों को न हम पश्चिमी हिस्से में सम्मिलित कर सकते हैं और पूर्वी हिस्से में तो कर ही नहीं सकते। मसलन कानपुर के जिले को ही ले लें। उसका बटवारा हम प्राकृतिक रूप से अथवा कृत्रिम रूप से पश्चिमी हिस्से में नहीं कर सकते। पूर्वी हिस्से में सम्मिलित किया ही नहीं जा सकता। मेरा पूरा ज्ञान है कि कानपुर का हिस्सा इतना अभावग्रस्त होता जा रहा है कि अगर उधर ध्यान न देंगे तो बड़ा अन्याय करेंगे। मैं अपने निजी अनुभव से और पूरी जानकारी के नाते यह जानता हूं कि आज कानपुर जिला अभावग्रस्त होता जा रहा है। इसके कई कारण हैं। वैसे तो स्टैटिस्टिक्स में कहा जाता है कि कानपुर इंडस्ट्रियल सिटी होता जा रहा है, लेकिन वह उन लोगों के लिये होता जा रहा है जो शहर में बाहर से आ कर बसते जा रहे हैं और जो पैसे वाले हैं, जो व्यापार में रुपया लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो रूरल एरिया लगा हुआ है उसको इंडस्ट्रियल होने के नाते क्या लाभ होता है? कानपुर के साथ जो रूरल हिस्सा लगा हुआ है वह बहुत पिछड़ा हुआ है, उसको किसी प्रकार का फायदा नहीं मिलता है। आप यह भी गौर करके देखें कि कानपुर के रूरल एरियाज में जो भी एक्सपैंशन हुआ है, प्लानिंग के मुताबिक बहुत सी सिंचाई और सड़कों की सुविधाएं हुई हैं। उससे जिला क्या सचमुच सम्पन्न हुआ है? मैं आप से बताऊं कि कानपुर के रूरल एरियाज में ट्रांस्पोर्ट और इर्रीगेशन फैसिलिटीज के होते हुए वहां अकाल सा पड़ा हुआ है, जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है। इसका सबसे बड़ा नमूना मैं आपके सामने आकड़ों से पेश करूंगा। कानपुर में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज है। उसमें पढ़े-लिखे लोग नौकरी की तालाश में अपने लिये आवेदन-पत्र दिया करते हैं। मैं आपसे बताऊं कि उसमें निरन्तर दिन प्रति दिन बेकार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे साबित है कि कितनी बेकारी बढ़ रही है। कानपुर के एरियाज में इतने ज्यादा क्राइम्स बढ़ रहे हैं--मेरे पास इस वक्त सिर्फ कानपुर जिले के आंकड़े नहीं हैं लेकिन मैं उन आंकड़ों के आधार पर कहता हूं कि कानपुर जिले में क्राइम्स बढ़े हैं। न केवल कानपुर जिले में बल्कि कानपुर जिले के आस-पास के जिले फतेहपुर और उन्नाव में भी क्राइम्स बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट यह कहती है कि यह स्वाभाविक चीज हो चुकी है। जो लोग इस सूबे के सम्बन्ध में पूरी जानकारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

रखते हैं उनको मालूम है कि क्राइम्स बढ़ना केवल स्वाभाविक बात नहीं हुआ करती। यह तो इकानामी की बातें होती हैं जिनके असर से क्राइम्स बढ़ते हैं। अगर इस बात को माना जाय तो मानना होगा कि कानपुर, फतेहपुर और उन्नाव में जो क्राइम्स बढ़े हैं, उसका कारण यह है कि वह सब अभाव-ग्रस्त क्षेत्र हैं। सिंचाई, ट्रान्सपोर्ट, उद्योग सम्बन्धी वहां पर कोई भी सुविधा नहीं है। इन साधनों के न होने की वजह से वहां के लोग निठल्ले हो चुके हैं। इस वजह से यह बात साफ हो चुकी है कि यह हिस्सा अभाव-ग्रस्त है। इसको यह कहकर टाला नहीं जा सकता कि यह पच्छिमी हिस्से में है। मेरी समझ में आज तक यह बात नहीं आई कि जब मौसम का फोरकास्ट होता है तो कानपुर को किस हिस्से में गिना जाता है। कानपुर को पूर्वी में गिना जाता है या पच्छिमी हिस्से में। मुझे ऐसा मालूम होता है कि फोरकास्ट के हिसाब से कानपुर पूर्वी हिस्से में है। अधिकतर उसका सम्बन्ध पूर्व के हिस्से से मिलता-जुलता है। मुझे अपने अनुभव की बात मालूम है कि जो पच्छिमी जिले हैं वहां पर सचमुच इर्रीगेशन की सुविधा है, लेकिन ठीक इसके विपरीत कानपुर को अगर पच्छिमी जिलों में माना जाय तो जो सुविधा पच्छिमी जिलों में है वह यहां पर बिलकुल नहीं है। मुझे कानपुर की इर्रीगेशन कमेटी में बैठने का मौका मिला है। हालांकि मुझे सिंचाई के सम्बन्ध में मालूम है, लेकिन कानपुर के उच्च स्तरीय अफसरों ने मुझको बताया कि कानपुर के लिये १० साल तक कोई भी ऐसी योजना उनको मालूम नहीं है जिसको सरकार वहां पर करने जा रही हो। ट्रान्सपोर्ट के अफसरों से भी जब पूछा तो यही मालूम हुआ कि कानपुर जिले को सरप्लस जिला माना गया है। क्या हम समझ सकते हैं कि कानपुर के रूरल एरिया के अभाव-ग्रास्त लोगों की तरफ ध्यान दिया जायगा जहां पर क्राइम्स की स्थिति बहुत खराब हालत में हम देखते हैं? जब हम कानपुर की तहसीलों को देखते हैं तो एक महाराजगंज तहसील है उसके परगना हाकिम की कचहरी में एक बार मुझे जाने का अवसर मिला। मैंने देखा कि एक डेफिनिट तरीके से १०८ आदमी १०७/१७ के जुर्म में वहां पर बैठे हुये हैं। परगना हाकिम हाजिर होते हुये भी किसी दूसरे काम में लगे हुये हैं। इस तरह से अनेक कामों का बहाना लेकर उन सैकड़ों आदमियों को परेशान किया जाता है। अफसर लोग यह कहकर कि हमारे पास तहसील का काम है बिना सूचना दिये हुये सैकड़ों लोगों को बिठाये रखते हैं। इससे उन लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। यह मैंने एक नमूना आपके सामने रखा।

मैं आपके सामने कानपुर शहर की बात कैसे रखूं? कानपुर शहर को अगर आप करीब से देखें तो जो इंडस्ट्री कानपुर शहर की थी उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि कम हुई है। यह बात सही है कि वहां पर मजदूरों में बेकारी बढ़ती जाती है। पहले ५ हजार मजदूर बेकार थे, लेकिन अब जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा था वहां पर ८ हजार के लगभग बेकार मजदूर हो चुके हैं। वहां पर एक प्रकार का डेडलाक सा हो गया है। वह रुका पड़ा है। जो कपड़ा वहां पर भरा पड़ा है वह बिकता नहीं है। इस वजह से इस डेडलाक के कारण वहां के मजदूरों की हालत तबाह हो चुकी है। इन सब बातों को देखते हुये क्या हम यह कहें कि कानपुर की इंडस्ट्री बढ़ती जाती है और वहां के लोगों को नौकरी मिलती जाती है? यह बात कतई ठीक नहीं है और कानपुर में तो एक प्रकार की ऐसी अवस्था पैदा हो गई है कि लोगों को सुख और सम्पन्नता की आशा ही नहीं रह गई है। मैं व्यापारियों की बात नहीं कहता। एक कहावत है कि विवाहित रोवें एक सेर तो जाने कौन--मैं भूल गया हूं, रोवे दो सेर। हमारे व्यापारी भी अपनी तकलीफों को कहते अघाते नहीं, लेकिन हालत दूसरे ही प्रकार की है। कानपुर के निरीह और बाहर से आये हुए गरीब मजदूरों की बुरी अवस्था को अगर कोई देखे तो क्या वह यह कह सकता है कि वह उन्नतिशील जिला है? न उसमें उद्योग बढ़ रहे हैं और न सम्पन्नता, बल्कि जो है वह एक डेडलाक की अवस्था में है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह कानपुर के बाहर भी निकलें।

(हंसी)

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं कानपुर के बाहर इसलिये नहीं निकलता कि मुझे बाहर के मैदानी जिलों का ज्ञान नहीं है। फतेहपुर और उन्नाव की बात मैंने कही। वहां कोई उद्योग नहीं बढ़ रहे हैं। लखनऊ की बात दूसरी है। बीच में यह एक ऐसा सर्किल हो गया है कि जैसा मानसून का सर्किल हुआ करता है। अगर आप यह समझें कि इन जिलों पर सरकार का ध्यान अधिक है तो मुझे उस से भी विवाद है। जो एक नयी पुस्तिका मुझे अभी मिली है सरकार की ओर से उसके आधार पर मैं जानता हूं कि कोई उन्नति नहीं होने जा रही है।

अब मुझे थोड़ा सा उस प्रस्ताव के अंतिम भाग के बारे में कहना है कि एक उच्च स्तरीय समिति बने जो तीन मास के भीतर अपनी रिपोर्ट दे। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस के बनने में तो मुझे कोई एतराज नहीं है अगर मैं यह समझ लूं कि यह उच्च स्तरीय समिति ऐसी होगी कि जिसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व होगा और जो अपना निरीक्षण, अन्वेषण और रिपोर्ट करने में स्वतंत्र होगी और उसकी रिपोर्ट पर सरकार विचार करेगी और उसकी सिफारिशों को प्रयोग में लायेगी। अगर सरकार के दिमाग में यह बातें हैं तो हमें इस कमेटी को मुकर्रर करने में कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे कुछ संदेह है। अभी अभावग्रस्त जिलों के बारे में एक प्रस्ताव था और उसमें एक कमेटी बनी थी, लेकिन वह किस प्रकार निष्फल हुई और उसका किया कराया, किस प्रकार विफल हुआ इसे सब जानते हैं। मुझे भय है कि इसका भी वही हाल न हो। मुझे आशा है कि तिवारी जी ने जो यह कमेटी की बात रखी है वह इस के साथ इसे भी मानेंगे कि यह कमेटी उच्च स्तरीय हो, सर्वदलीय हो और प्रभावशाली हो और सरकार को ठीक रास्ते पर लाने वाली हो। अगर ऐसा हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे संशोधनों के साथ इस संकल्प को माननीय तिवारी जी और यह आदरणीय सदन स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री राजनारायण जी के खड़े होने पर) माननीय राजनारायण जी, अभी दो बज कर १० मिनट पर आपका यह संशोधन आया है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---इसीलिये मैं निवेदन कर रहा हूं। नहीं तो निवेदन क्यों करता अगर ३६ घंटे पहले संशोधन आ गया होता।

श्री उपाध्यक्ष---रखिये।

श्री राजनारायण---तब फिर रूल्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय अवस्थी जी ने जो नारायणदत्त जी तिवारी के संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया है वह संशोधन पूर्ण होता है जब कि यह मेरा संशोधन आ जाय। मेरा संशोधन यह है।

श्री तिवारी के संकल्प में तीसरी पंक्ति में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर "सदन" रख दिया जाय।

फिर दूसरा संशोधन है कि पंक्ति ४ में शब्द "आयोग की स्थापना करें" के आगे शब्द "जिसमें विधान सभा में प्रत्येक राजनीतिक दल के ३, ३ सदस्य रहें और कांग्रेस पार्टी के ७ सदस्य" बढ़ा दिये जायं।

तीसरा संशोधन है कि पंक्ति ४ में शब्द "तीन मास" के स्थान पर "दो मास" रख दिया जाय। चौथा संशोधन यह है कि शब्द "रिपोर्ट दे दे" के आगे शब्द ' और यह सरकार रिपोर्ट पाने के एक महीने के अन्दर उसकी सिफारिशों को लागू करने का कदम उठावे।" बढ़ा दिया जाय।

श्रीमन्, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किए हैं, माननीय नारायणदत्त जी के संकल्प में, मैं समझता हूं कि यह उन्हें मान्य होंगे। मेरे संशोधन प्रस्तुत करने के कारण ये हैं। नारायणदत्त

[श्री राजनारायण]

जी अपने संकल्प में सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार एक कमेटी का निर्माण करे। वह सरकारी कमेटी होगी, चाहे वह सब दल के लोगों की बनाई जाय, या सरकार केवल कांग्रेस के विशाल बहुमत से लेकर बना दे, चाहे उसके अध्यक्ष पद पर माननीय कमलापति जी हों या चरणसिंह जी हों या माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं हों। जब-जब सरकार द्वारा कमेटियां बनी हैं, उनकी जो दुर्गति हुई है, उनकी सिफारिशों की जो छीछालेदर हुई है, उसे आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी हमसे ज्यादा जानते होंगे। एक कमेटी बनी संक्रमणकाल के सुझाव देने के लिये; माननीय दुबे जी और झारखंडे जी उसकी दुर्गति से परिचित हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि प्रदेश के उस क्षेत्र में जहां निरतन्र अभाव हो रहा है वहां कि जनता यह न समझे कि सरकार शायद कोई ऐसी कमेटी बना दे जो उनके दुख का निवारण कर दे। हाथ कंगन को आरसी क्या। जब सारी बातें प्रत्यक्ष हैं तो हमें अन्धकार में किसी को नहीं रखना चाहिये।

हम साफ-साफ सारी बातें यहां रखना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी जानते होंगे, वह संस्कृत के विद्वान हैं, हम तो कायदे से संस्कृत पढ़े भी नहीं हैं। कुछ माननीय सदस्य यहां श्लोक प्रस्तुत करते हैं ताकि सब लोग यह न समझें कि प्राचीन परम्परा ही ऐसी थी कि जिसे माननीय सम्पूर्णानन्द की सरकार चला रही है। हमारे पास भी कुछ विद्वान् कुछ भेज दिया करते हैं कि तुम भी कह देना। जिस सभा में अधर्म से धर्म का, असत्य से सत्य का वध होता है उस सभा के सभासदों को नष्ट हुआ समझना चाहिये। 'यत्र धर्मो अधर्मण सत्यं यत्र अनतेन च। हन्यते प्रेक्षमाणानां हता तत्र सभासदा।' बिलकुल स्पष्ट तरीके से इस श्लोक को मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी की सेवा में जरूर भेजूंगा। वह देखें कि सदन के सभासद का क्या कर्तव्य होता है। हम चाहते हैं कि सही वस्तु-स्थिति ठीक तरीके से रखी जावे।

हमारी परेशानी कल से बहुत बढ़ गई है। मैं समझता हूं कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी हमारे समर्थन में बोलने के लिये खड़े होंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि यह राजनीतिक दलबन्दी से ऊपर का प्रश्न है। यह मानवता और भुखमरी का सवाल है। मैं आपसे और आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि जिस क्षण हमको यह मालूम हो जाय कि हमारी राजनीति मानवता के उत्थान के लिये नहीं है, भुखमरी के मिटाने के लिये नहीं है, मनुष्य का पेट भरने के लिये और तन ढकने के लिये नहीं है, मनुष्य की शिक्षा और दवा की व्यवस्था के लिये नहीं है, मकानों की व्यवस्था के लिये नहीं है, उसी क्षण मैं राजनीति को छोड़ दूंगा। लेनिन और मार्क्स का नाम लेकर चलने वाले भी आज एक अजीब वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेनिन ने कहा है कि हर आर्थिक लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है। जिस ढंग की राजनीति होगी उसी ढंग की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था होगी। अगर इतिहास का अवलोकन किया जाय तो मालूम होगा कि धर्म के नाम पर बहुत सी बातें चलती हैं। कौन सा धर्म है जो फूलाफला नहीं है जबकि राजनीतिक शक्ति उसके पीछे आई है? हमको समझना होगा कि मानवता, भुखमरी, विश्वबन्धुत्व क्या हैं। हमारी राजनीति कहती है कि मानव की रक्षा होनी चाहिये और फिर इस सवाल को लेकर कहा जाता है कि इसको पार्टी पालिटिक्स का सवाल न बनाया जाय। ऐसे रोचक शब्दों में मेरे मित्र न पड़ा करें तो अच्छा है। माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने इसको कहा था इसलिये मुझे यह कहना पड़ा क्योंकि उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। सरकार ने कमेटी बना भी दी और वह बन भी गयी, उस कमेटी पर ५० हजार रुपया भी खर्च हो गया और उसकी रिकमेंडेशन्स भी आ गयीं, लेकिन क्या उसके सुझाव सरकार को मान्य भी होंगे या नहीं? इसकी गुंजायश कहीं भी नहीं रखी गयी है। इसीलिये हमने अपने संशोधन में रखा है कि सदन की कमेटी को सदन के मेम्बरान बनायें। उसमें हमने तमाम पार्टियों को रखा है। कांग्रेस के लिये हमने ७ रखे हैं और सब पार्टियों के ३-३ रखे हैं। अगर दूसरे लोग और कोई सुझाव देंगे

तो मैं उनके संशोधन को भी मानने के लिये तैयार हूं। हर दल अपनी-अपनी तरफ से एक्सपर्ट्स भी भेज सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के नाम पर आज सारे प्रदेश और देश में हाहाकार मची हुई है।

पूर्व के जिलों में नलकूपों की व्यवस्था की गयी। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सन् ५३–५४ के बजट में जब सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नलकूपों की व्यवस्था की गयी थी तो हमने पक्के कुओं के बनाने और उनमें रहट लगाये जाने के लिये कहा था ताकि किसान लोग अपने खेत की देखरेख भी कर सकें और नलकूपों के साथ में किसानों की जिन्दगी हमेशा के लिये न चली जाय। भ्रष्टाचार और नलकूप की व्यवस्था ये भी पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या के उत्तरदायी हैं। बनारस की प्लानिंग कमेटी ने नलकूपों की व्यवस्था की जांच के लिये एक कमेटी बनायी है। उसकी क्या रिपोर्ट होगी अभी यह नहीं मालूम। जिस समय नलकूप बने ३६ हजार गैलन पानी प्रति यूनिट का हिसाब लगाया गया था, लेकिन अब वे ६, १०, १२ हजार गैलन का औसत दे रहे हैं। कारण मालूम नहीं हो सका, लेकिन अब मालूम हुआ है कि लाखों रुपये का तार बनारस के सिंचाई विभाग में छिपा कर रखा गया है। अभी जब मैं वहां गया था तो यह चीज मालूम हुई कि वहां के इंजीनियरों ने इसको छिपाकर रखा है। अब ४ वर्ष के बाद यह मालूम हुआ कि नलकूप वहां क्यों फेल हुए। वहां तार १ सूत का लगा हुआ है जब कि २ सूत का लगना चाहिए था।

सरकार ने एक कमेटी बाढ़ रोकने की भी बनायी थी और माननीय कमलापति के नेतृत्व में वह कमेटी बनी थी, लेकिन उसके बाद से बाढ़ चौगुनी आने लगी तो सरकार कहने लगी कि यह तो दैवी प्रकोप है। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि दैवी प्रकोप से भी रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य है। मुझे आशा है कि माननीय नारायणदत्त जी मेरे सुझाव को मानेंगे।

सरकार के सामने क्या नहीं है? विरोधी दल, सोशलिस्ट पार्टी अथवा जो और दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने पिछले दिनों में जो सुझाव दिये हैं उन सुझावों को ही अगर सरकार कार्यान्वित करे तो पूर्वी प्रदेशों में ही क्या, दूसरे जो भी ऐसे क्षेत्र हैं वहां भुखमरी तो कभी हो ही नहीं सकती।

देवरिया को ही ले लीजिये। वहां पर एक-एक आदमी के पास तीन-तीन, साढ़े तीन-तीन हजार एकड़ जमीन है। डेढ़-डेढ़, दो-दो हजार एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है, लेकिन लेखपाल लिख देता है कि उसमें ज्वार हुआ, बाजरा हुआ या कुछ और हुआ। इस तरह से कुड़वा के राजा साहब की जमीन बहुत सी परती पड़ी हुई है। इसी तरह से बनारस आदि दूसरे स्थानों में भी जमीन बहुत बड़े रकबे में परती पड़ी हुई है। क्यों नहीं वहां पर मेकेनाइज्ड फार्म्स बनाये जाते हैं? क्यों नहीं नई नहरें और सड़कें इस जमीन में निकाली जाती हैं? सड़कों के लिये छोटे-छोटे किसानों को उजाड़ा जाता है और जब यह बात कही जाती है तो स्थानीय प्रेम को उभाड़ा जाता है। कहा जाता है कि क्या राजनारायण की यह मंशा है कि बनारस में कोई इंडस्ट्री न खुले, कोई उद्योग-धंधा स्थापित न हो? लेकिन बनारस ही नहीं, चाहे गोरखपुर हो, देवरिया हो, कानपुर हो, चाहे इटावा हो, जहां भी मानवता का सवाल होगा, उस की रक्षा का सवाल होग, उसके भोजन का सवाल होगा, चाहे वह इटावा हो या मिर्जापुर हो, राजनारायण वहां के लोगों की सहायता के लिये तैयार रहेगा। सरकार से मेरा कहना यह है कि आज तक ऐसे लोगों के पास इतनी जमीन पड़ी हुई है, क्यों नहीं ली गई, ऐसे लोगों के पास जो खेती नहीं करते, जमीन क्यों है, ऐसे लोग जो खेती करते हैं, उनकी जमीन उनसे क्यों निकाली जा रही है, पानी का रेट क्यों इतना ऊंचा है, नलकूपों की अव्यवस्था क्यों हुई, रहट क्यों नहीं लगाये गये? इन पिछले दो महीनों में शायद नारायणदत्त जी न जानते हों, इस प्रान्त के पूर्वी खंड का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मैं न गया होऊं। पूर्वी जिले के आजमगढ़ की यह हालत है कि वहां की ५ लाख औरतों ने सूत कातना शुरू किया ताकि वे अपनी क्रय शक्ति बढ़ा सकें और अपने पेट भरने की समस्या को हल कर सकें। उनकी सहायता के लिये सूत की बिक्री का इन्तजाम हुआ, लेकिन

[श्री राजनारायण]

आज हालत यह है कि उनके सूत की बिक्री का अब वहां कोई इन्तजाम नहीं है। क्या आप इसी तरह से कुटीर उद्योग-धंधे खोल सकते है ? मिर्जापुर के चपड़ा-उद्योग को सरकार ने खत्म कर दिया, भदोही के कालीन उद्योग को सरकार ने चौपट कर दिया, बनारस के साड़ी उद्योग को सरकार ने चौपट कर दिया। इस तरह से सारे उद्योग को तो आप ने चौपट कर दिया। फिर माननीय नारायणदत्त जी इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर नहीं डालना चाहते हैं। मैं बतला देना चाहता हूं कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर कमेटी बनाने की ही बात है तो मैं उनसे कहूंगा कि सरकार ने धन का दुरुपयोग विकास के नाम पर किस तरह से किया है, उस की जांच होनी चाहिये। एक मंत्री बनने के पूर्व और मंत्री बनने के बाद कहां से कहां पहुंच गया, डोंगरे का बालामृत पीने के पूर्व और बाद की स्थिति की जांच होनी चाहिये, तब जा कर पता लगेगा कि मंत्री लोग किस तरह से अपने भाई, भतीजे, मामा, नाना, ससुर, दामाद के लिये विकास के नाम पर धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे तमाम पोथे मेरे पास भरे पड़े हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं बतला भी सकता हूं। मैं माननीय नारायणदत्त जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारे इस संशोधन को मान लें। आंकड़े निकाल कर रख देने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप की इजाजत हो तो मैं आप के सामने अनेकों प्रकार के आंकड़े दे सकता हूं। लेकिन इस सरकारी किताब में दिये हुये जो आंकड़े हैं वे सही वस्तु स्थिति को नहीं प्रकट करते हैं। वस्तु स्थिति इससे ज्यादा खराब है, ज्यादा गम्भीर हो चुकी है। श्रीमन्, आप के द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे बराबर भ्रष्टाचार की बात से बचने की बात कहते हैं, मैं माननीय नारायणदत्त जी से कहता हूं कि इसकी जांच के लिये वे एक कमेटी बनावें; मैं बतला सकता हूं कि जितना भ्रष्टाचार इन मंत्रियों के जरिये हो रहा है, उतना भ्रष्टाचार और किसी के जरिये नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—यह विषय से असंगत हो रहा है।

श्री राजनारायण—असंगत नहीं हो रहा है, मैं यही कह रहा हूं कि वस्तु स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जब तक कि ऊपर के लोगों में से भ्रष्टाचार का निराकरण नहीं होगा। भ्रष्टाचार का निराकरण क्यों नहीं किया जाता है, जब कि सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार है, जमीन का बटवारा क्यों नहीं किया जाता जिसके लिये एग्रीकल्चर विभाग में भ्रष्टाचार है, यह भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर को नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—आपने इशारा तो कर दिया।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आप ने भी और सदन के और भी माननीय सदस्यों ने स्टालिन का नाम सुना होगा, जो अपनी बेटी को बहुत मानता था। मगर डिक्टेटर होने के बाद भी उसने किसी भी कमेटी में अपनी बेटी को नहीं रखा। हिटलर जब जर्मनी का सर्वेसर्वा था, तब उसका सगा भाई एक रेस्टरां की दूकान में काम करता था एटली जब प्रधान मंत्री था तो उस की बेटी एक साधारण स्कूल में एक शिक्षिका का काम करती थी, लेकिन आज के मंत्रियों की यह हालत है कि जब किसी चीज का ठेका देना होता है तो अपने किसी रिश्तेदार के नाम ठेका दे दिया जाता है और उसके जरिये रुपया कमाया जाता है। जब तक इस तरह के भ्रष्टाचार का निराकरण नहीं होगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। दुनिया के जो बड़े-बड़े लोग शासन के अन्दर सर्वेसर्वा रह चुके हैं, उनका उदाहरण दे कर मैंने बतलाया कि किस तरह से वे लोग इन सब चीजों से ऊपर उठ कर रहते थे। आज किस तरह से भाई भतीजावाद इन मंत्रियों के अन्दर फैला हुआ है उस की पूरी तालिका मेरे पास है। अगर आप चाहें तो मैं पढ़ सकता हूं, क्योंकि मैं तो इस पर लपक गया हूं। माननीय नारायणदत्त जी, मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप इस प्रस्ताव के भुलावे में न आवें। अगर आप का प्रस्ताव सरकार मान भी लेगी तो भी प्रदेश की समस्या नहीं सुलझेगी, गरीबी और भुखमरी नहीं मिटेगी। एक कमेटी बना कर केवल झूठा आश्वासन गरीबों के पास रहेगा कि शायद यह कमेटी उनके लिये कुछ करे। यह जो जिलों में घेरे डाले जा रहे हैं, जो कचहरियों के काम रोके जा रहे हैं वे रुकेंगे और रुकने भी चाहिये। पहले जिले

का कलक्टर वहां की मानवता की रक्षा करे, लोगों को भुखमरी से बचाये, दूसरे कामों को बन्द करे, यह मेरा निश्चित मत है। इस कार्यवाही को रोकने के लिये कहीं एक कमेटी सहारा न बन जाय।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---आज सदन का समय ५ मिनट के लिये बढ़ा दिया जाय क्योंकि कुछ सरकारी कार्य करना है।

श्री राजनारायण---मैं विरोध करता हूं। इस प्रकार अनियमितता आ जाती है। हम को भी कल २० मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया गया। जब हमारे लिये नियमों का प्रतिबन्ध लागू होता है तो सरकार के लिये भी वही प्रतिबन्ध लागू होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---यह प्रस्ताव है कि ५ बजे के बाद सदन ५ मिनट के लिये बैठे, इसमें अनियमितता क्या है?

श्री राजनारायण---यकायक यह प्रस्ताव लाया गया है। सरकार का ऐसा कौन सा काम रुक रहा है, कौन-सा गगन हिल रहा है?

श्री उपाध्यक्ष---माननीय नरेन्द्रसिंह विष्ट काम बता दें।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---दो बिल केवल पेश करने हैं, इसलिये सदन का समय ५ मिनट बढ़ा दिया जाय।

श्री राजनारायण---कौन से विधेयक हैं?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---एक कृषि मंत्री का है जो गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक के नाम से है और दूसरा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक के नाम से है, सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है।

श्री उपाध्यक्ष---अगले हफ्ते गौर करने के लिये वे विधेयक आने वाले हैं।

प्रश्न यह है कि सदन का समय ५ मिनट के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---देवकीनन्दन विभव जी, आप अपना संशोधन पेश न करें, केवल बोलें, क्योंकि वह अनियमित है।

***श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नारायण-दत्त जी के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधारभूत सिद्धान्त से मैं पूर्णतया सहमत हूं। इस प्रस्ताव के सिद्धान्तों का मेरे खयाल से सभी दलों ने समर्थन किया है और राजनारायण जी ने भी कुछ संशोधन उपस्थित कर के इसके सिद्धान्त को, यानी सब दलों को बैठाकर अन्नाभाव की समस्या के ऊपर विचार करना चाहिये, स्वीकार किया है। अन्यथा वे उसमें संशोधन उपस्थित न करते और उन्होंने इस विषय पर जो अपने विचार प्रकट किये वे उनके संशोधन के सर्वथा प्रतिकूल थे।

मुझे खुशी हुई थी कल माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को सुन कर जिसमें उन्होंने खाद्य समस्या को दलगत राजनीति से ऊंचे उठ कर सुलझाने की इस सदन से अपील की थी और आज इस प्रस्ताव के आने पर मैंने यह समझा कि सभी दलों के पक्ष उस प्रस्ताव से सहमत हैं और सभी दल एक कमेटी बना कर अन्नाभाव की समस्या पर विचार करने को तैयार हैं। परन्तु राज-नारायण जी की जो स्पीच हुई उससे मुझे खेद हुआ क्योंकि मेरा विचार यह है कि अन्नाभाव की समस्या, हमारे प्रदेश की नहीं, बल्कि हमारे देश की, मैं तो कहता हूं कि आज से कुछ वर्ष बाद यह समस्या सारे विश्व की समस्या के रूप में उपस्थित होगी; जिसको प्रदेश के लोगों को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

नहीं, देश के लोगों को नहीं बल्कि विश्व के लोगों को विश्व समस्या के रूप में हल करना पड़ेगा। मेरे मित्र कहते हैं कि यह समस्या राजनीतिक समस्या नहीं है क्योंकि राजनीति तो मानवता की समस्या है, विश्व-बंधुत्व की समस्या है। अगर यह सब पार्टियों की समस्या है तो मैं समझता हूं इन सब पार्टियों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कौन पार्टी ऐसी है जो यह नहीं कहती है कि देश से भुखमरी दूर करनी चाहिये, जो यह नहीं कहती कि विश्वबन्धुत्व होना चाहिये, जो यह नहीं कहती कि देश से गरीबी को दूर करना चाहिये। राजनीति तो वह है जो लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है सत्ता को हथियाने के लिये, और चीजों को अख्तियार करने के लिये जिसे हंगर मार्च कहते हैं, दूसरे पोलिटिकल स्टन्ट्स हैं जिन को फूड समस्या के नाम पर उभारा जाता है।

तो मैं उन माननीय मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आखिर हंगर मार्चेज से, सरकार से मांग करने से, सरकार पर आरोप करने से किसी समस्या का हल होने वाला है? मैं समझता हूं कि सरकार ने खाद्य समस्या के सम्बन्ध में बहुत सी गलतियां की हैं, इसको मैंने बार-बार स्वीकार किया है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि सरकार की जो इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में, यानी पापुलेशन को नान-ऐग्रीकल्चरल परसूटस में लगाने का जो कार्य-क्रम है और जिस तरह से उस को प्रासीक्यूट किया जा रहा है उसमें बहुत सी गलतियां हैं, सुधार होना चाहिये। लेकिन अगर खाद्य समस्या को हल करने में हमारे मित्र जो उस तरफ बैठे हैं अगर वह यह समझते हैं कि इस प्रदेश की खाद्य समस्या सिर्फ सरकार के बलबूते पर हल होने वाली है तो मैं कहता हूं वे भ्रम में हैं। मेरा तो खयाल है कि सरकार की नीति का, उसके प्रतिनिधियों का, जनता के प्रतिनिधियों का जो विभिन्न दलों से सम्बन्ध रखते हैं समन्वय होना चाहिये। उनको गम्भीरता से इस विषय पर विचार करना चाहिये। आज देश में कुछ तथ्य हैं जिन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। देश की पापुलेशन बढ़ रही है और मेरा तो अनुमान है कि विश्व की पापुलेशन ३० करोड़ प्रति वर्ष बढ़ रही है। हमारे देश की पापुलेशन ५० लाख बढ़ रही है और प्रदेश की आबादी ८ लाख प्रति वर्ष बढ़ रही है। मेरा अनुमान यह है कि सन् १९८० में इस प्रदेश की जन-संख्या १० करोड़ होनी चाहिये। तो फिर जब जन संख्या बढ़ रही है और जमीन पर भार ६७ परसेंट है ही क्योंकि हमारे पास नान-एग्रीकल्चरल परसूट्स में ज्यादा आदमी लगाने का काम नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि यहां की खाद्य समस्या का क्या हाल होगा। आज से दो वर्ष पूर्व मैंने नेशनल हैराल्ड में तथा और पत्रों में "मोबिलाइजेशन आफ मैन पावर इन इंडिया" (mobilizsation of man power in India) नाम का लेख लिखा था। मैं तो चाहता हूं कि प्रदेश में आप ५० प्रतिशत लोगों को जिनकी आबादी तीन, सवा तीन करोड़ के करीब होती है, उन को ऐग्रीकल्चर पर छोड़ दीजिये और बाकी लोगों को हटाना पड़ेगा। जब तक ऐग्रीकल्चर से कुछ लोगों को नहीं हटायें तब तक न तो देश की गरीबी दूर हो सकती है और न यहां की व्यवस्था में कुछ सुधार हो सकता है। तो आप अमुमान करें कि आप ३ करोड़ लोगों से अपनी भूमि की व्यवस्था को चलाना चाहते हैं तो आप को बाकी ३ करोड़ लोगों को दूसरे कामों में लगाना होगा और प्रति वर्ष दस लाख के हिसाब से आप को जो आबादी बढ़ रही है उस के लिये भी काम प्राप्त करना है। यह एक बड़ी समस्या है। यह नहीं है कि हंगर मार्चेज से यह हल हो सकती है या सरकार पर लांछन लगा कर पूरी हो सकती है। पूर्वी जिलों की कुछ समस्यायें हैं। वहां पर आबादी की डेनसिटी ज्यादा है और कृषि पर निर्भर होने वाले लोगों का प्रतिशत तो और ज्यादा है और इसका परिणाम यह है कि उन भागों में गरीबी और ज्यादा है और उसके कारण उनकी उत्पादन शक्ति और फिजिकल पावर निरंतर कम होती जाती है। एक बात और है। मैं मालथस के सिद्धान्त को पूरी तौर से नहीं मानता, लेकिन एक बात को तो मैं मानता ही हूं कि जनता जितनी गरीब होती है उतनी ही आबादी ज्यादा बढ़ती है, उतनी ही उस की उत्पादन शक्ति बढ़ती है। इस तरह से उत्पादन का जो क्षेत्र है वह कम पड़ जाता है और आबादी अनुपात से अधिक बढ़ती है। तो जब बात यह है तो आप गरीबी की समस्या को कैसे हल कर सकते हैं।

अब न तो अधिक समय है और न मौका है इसलिये ज्यादा न कह कर यही कहूंगा कि यह एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है, इसके सिद्धान्त बहुत अच्छे हैं। जरूरत इस बात की है कि सब दल के लोग इस फूड की समस्या को बैठ कर गम्भीरता से विचार कर के हल करें, पोलिटिकल प्रोपेगेन्डा के लिये नहीं और अगर आप इसका प्रयोग राजनीतिक स्टन्ट्स के लिये प्रयोग करना चाहते हैं, यदि आप दलगत शक्ति को इसके आधार पर बढ़ाने की आशा करते हैं तो मेरा खयाल है कि इस से देश का और प्रदेश का कोई लाभ न होगा। हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये। हम अक्सर सुना करते हैं कि कभी किसी कारण से कोई कहीं मर गया, कहा जाता है कि भूख से मर गया और इधर से, सरकारी बेंचेज की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी एक खरीता सुना देते हैं कि फलां आदमी के यहां से ५ बकरियां, ९ भेड़ें और ढाई सेर आटा निकला।

कल मुझे बड़ी खुशी हुई यह सुन कर जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह इतना बड़ा प्रदेश है, इसकी समस्यायें इतनी बड़ी हैं और उसमें फूड प्राब्लम, बहुत ही गम्भीर है,। हमारी डाइटिंग कितनी पूअर है, उस का स्तर गिरता जा रहा है। यह सब समस्यायें हैं।

एक बात मैं श्री नारायणदत्त जी से अवश्य कहूंगा और वह यह कि इस प्रस्ताव में जो उन्होंने क्षेत्र को सीमित किया है बुन्देलखंड के कुछ जिलों, पहाड़ी इलाके और पूर्वी इलाके तक यह मुनासिब नहीं है। मेरा खयाल है कि हमें पूरे प्रदेश को लेकर ही चलना चाहिये और उसमें यह इलाके विशेष कर स्वयं ही आ जाते हैं। अगर हम विस्तृत रूप से, गम्भीरता से इस प्रश्न पर बिना किसी पोलिटिकल मोटिव के विचार करें तो यह एक उपयोगी प्रस्ताव होगा इस लिये मैं इस संशोधन के साथ इसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---अब तो केवल २ मिनट हैं, इसलिये केवल श्री गोविन्दनारायण जी तिवारी का नाम ही लिया जा सकता है।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बुन्देलखंड में २८ लाख लोग रह रहे हैं और वे माननीय नारायणदत्त तिवारी के बहुत आभारी हैं कि पिछड़े हुये बुन्देलखंड के अन्न की समस्या और दूसरी समस्याओं को प्रस्ताव के रूप में उपस्थित किया। सच बात तो यह है कि इस पूर्व और पश्चिम के झगड़े में झांसी, बांदा, जालौन और हमीरपुर, इन चार जिलों में जो तबाही है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बुन्देलखंड की परिस्थिति ऐसी है जिसकी ओर उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान नहीं पहुंच पाता। आप जानते हैं कि बुन्देलखंड में कोई ऐसा आबादी का प्रश्न नहीं है जैसा कि पूर्वी जिलों में है। बुन्देलखंड में एक वर्ग मील में २५५ प्राणियों की डेन्सिटी है। ऐसी सूरत में यह नहीं कहा जा सकता कि वहां आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गयी है इसीलिये वहां भुखमरी या अन्न की स्केयरसिटी की समस्या पैदा हो गयी। मैं समझता हूं कि सारे उत्तर प्रदेश में इन चार जिलों का ही ऐसा भू-भाग है जिसमें पापुलेशन की डेन्सिटी सबसे कम है। फिर भी बुन्देलखंड के सामने बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। मैं इस सिलसिले में यह भी निवेदन कर दूं श्रीमन्, कि चूंकि मुख्य मंत्री जी ने कल पोलिटिकल ट्रूस की बात कही इसलिये उस पोलिटिकल ट्रूस के सन्दर्भ में माननीय नारायणदत्त जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उस पर इस सरकार को कोई भी एतराज इस बात के लिये नहीं होना चाहिये कि एक हाई पावर कमेटी स्थापित की जाय। पोलिटिकल ट्रूस का नारा देने से काम नहीं चलेगा, उसको कार्यान्वित भी तो करना पड़ेगा वरना अगर पोलिटिकल ट्रूस का नारा देने के बाद वह बात कार्यान्वित नहीं की जाती तो विरोधी दल और देश की जनता यह समझेगी कि पोलिटिकल ट्रूस का नारा पोलिटिकल स्टन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष---अब आप दूसरे दिन बोलियेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४१६-४१८ पर)

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४१९-४२० पर)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--यह विधेयक है कहां ?

श्री उपाध्यक्ष--यह माननीय सदस्यों के कबूतरखाने में मौजूद है ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर मंगलवार, २९ जुलाई, १९५८ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ,
२५ जुलाई, १९५८ ।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४७ पर)

क्रम-सं०	जिला का नाम	जिले में नियुक्त किये गये सोशल वर्कर्स की संख्या व नाम	नियुक्ति आदेश की तिथि	सोशल वर्कर्स पद के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या
१	२	३	४	५
१	देहरादून ..	१—श्री ओम प्रकाश ..	दिसम्बर २, १६५७	४
२	सहारनपुर	१—श्री बलजीत सिंह ..	नवम्बर २३, १६५७	११
		२—श्री प्रकाश चन्द्र वाल्मीकि	,,	
३	मुजफ्फरनगर	१—श्री नन्द राम सिंह ..	,,	४
४	मेरठ ..	१—श्री रोहतास सिंह हारी ..	,,	५
		२—श्री रामजी लाल ..	,,	
५	अलीगढ़ ..	१—श्री लक्ष्मी चन्द्र जाटव ..	,,	८
		२—श्री रामगोपाल दिलेर वाल्मीकि ..	,,	..
६	मथुरा ..	१—श्री गोकुल सिंह बाथी ..	,,	३
७	आगरा ..	१—श्री काशीराम शास्त्री ..	,,	६
		२—श्री दोजीराम मयोर ..	,,	
८	बरेली ..	१—श्री महेन्द्रनाथ पाठक, वैद्य	,,	३
६	बदायूं ..	१—श्री भोलाशंकर आर्य जाटव	,,	२
१०	मुरादाबाद	१—श्री रामस्वरूप ..	,,	५
११	शाहजहांपुर	१—श्री जैप्रकाश ..	,,	३
१२	रामपुर ..	१—श्री हरी प्रसाद लोध ..	,,	२
१३	पीलीभीत ..	१—श्री नित्यानन्द शंकधर, वैद्य	,,	१
१४	इटावा ..	१—श्री मोहन लाल शंखवार ..	दिनांक मार्च ८, १६,५८	२
१५	कानपुर ..	१—श्री रामलाल कमलवंशी ..	दिनांक नवम्बर २३ १६५७	१३
१६	इलाहाबाद ..	१—श्री राम सुमेर ..	,,	६
		२—डा० नन्दलाल जैसवार ..	,,	
१७	झांसी ..	१—श्री मधुराम चौधरी ..	,,	४
१८	जालौन ..	१—श्री नाथू राम वाल्मीकि ..	,,	४
१६	मिर्जापुर ..	१—श्री सेवालाल गुप्ता ..	,,	४
		२—श्री सीतला प्रसाद भारतीय	,,	
२०	जौनपुर ..	१—श्री रामसागर ..	,,	६
		२—श्री मोती लाल यादव ..	,,	
२१	गाजीपुर ..	१—श्री रामजस राम ..	,,	१

क्रम-सं०	जिला का नाम	जिले में नियुक्त किये गये सोशल वर्कर्स की संख्या व नाम	नियुक्ति आदेश की तिथि	सोशल वर्कर्स पद के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या
१	२	३	४	५
२२	नैनीताल ..	१—श्री महावीर प्रसाद दुशिया	नवम्बर २३, १९५७	२
२३	अल्मोड़ा ..	१—श्री हरी राम ..	,,	६
२४	गढ़वाल ..	१—श्री हरी प्रसाद आर्या ..	,,	३
२५	टेहरी-गढ़वाल	१—श्री विश्व प्रकाश थपलियाल	,,	१
२६	लखनऊ ..	१—श्री अशर्फी लाल ..	,,	७
		२—श्री होरी लाल ..	मार्च ८, १९५८	..
२७	उन्नाव ..	१—श्री बुद्धा लाल ..	नवम्बर २३, १९५७	२
		२—श्री कन्हैयालाल कुरील ..	,,	..
२८	रायबरेली ..	१—श्री रामनाथ हरिजन ..	,,	५
		२—श्री संतबक्सिंह चौहान	,,	..
२९	सीतापुर ..	१—श्री अवधेश अवस्थी (सुमन)	,,	६
		२—श्री भोग नाथ ..	मार्च ४, १९५८	
		३—श्री द्वारिका प्रसाद ..	नवम्बर २३, १९५७	
		४—श्री महावीर यादव ..	मार्च ४, १९५८	
३०	हरदोई ..	१—श्री छोटेलाल ..	नवम्बर २३, १९५७	९
		२—श्री रामभरोसे लाल ..	,,	
		३—श्री सीताराम ..	,,	
		४—श्री बच्चू लाल वाल्मीकि	,,	
३१	फैजाबाद ..	१—श्री चिरकुट राम ..	,,	२
		२—श्री दुर्गा प्रसाद ..	,,	
३२	ऐटा ..	१—श्री जसवन्त सिंह ..	,,	१
३३	फर्रुखाबाद ..	१—श्री यादराम वाल्मीकि ..	,,	२
३४	गोंडा ..	१—श्री शिवप्रसाद ..	नवम्बर २३, १९५७	१
३५	सुल्तानपुर ..	१—श्री अम्बिका प्रसाद उपाध्याय	,,	३
३६	प्रतापगढ़ ..	१—श्री दुजई राम नौरहिया ..	,,	
		२—श्री शीतल दीन ..	,,	
३७	बुलन्दशहर	१—श्री विजय पाल सिंह संपन्न	दिसम्बर २, १९५७	२
		२—श्री हरसरन सामी ..	,,	
३८	बांदा ..	१—श्री गंगा राम ..	मार्च ८, १९५८	३
३९	बस्ती ..	१—श्री गिरधारी लाल ..	दिसम्बर २, १९५७	३
		२—श्री रामसूरत गौड़ ..	,,	
		३—श्री राम प्रताप ..	,,	
४०	बहराइच ..	१—श्री रघुराज प्रसाद ..	मार्च ८, १९५७	१०
		२—श्री बाबू लाल ..	दिसम्बर २, १९५७	
४१	आजमगढ़	१—श्री भृगुनाथ ..	,,	४
		२—श्री सीताराम ..	,,	..

क्रम-सं०	जिला का नाम	जिले में नियुक्त किये गये सोशल वर्करस की संख्या व नाम	नियुक्ति आदेश की तिथि	सोशल वर्करस पद के लिये प्रार्थना-पत्रों की संख्या
१	२	३	४	५
४२	देवरिया ..	१—श्री महात्म दुबे ..	,,	२
		२—श्री मुख लाल ..	,,	
४३	गोरखपुर ..	१—श्री सदरी भगत ..	,,	६
		२—श्री हंस राज प्रसाद ..	मार्च ४, १९५८	
		३—श्री नैपाल दास महन्त ..	दिसम्बर २, १९५७	
		४—श्री राम कोमल ..	मार्च ८, १९५८	
४४	मैनपुरी ..	१—श्री उदयभान सिंह ..	मार्च ४, १९५८	२
४५	फतेहपुर ..	१—श्री मेरी लाल दूबे ..	,,	१
४६	हमीरपुर ..	१—श्री काशी प्रसाद बंसोर ..	,,	१
४७	बाराणसी ..	१—श्री रामनिहोर ..	,,	११
		२—श्री राम सखी ..	,,	
४८	बलिया ..	१—श्री राम नगीना प्रसाद धुसिया	,,	३
४९	खीरी ..	१—श्री यज्ञदत्त शर्मा ..	,,	३
		२—श्री देवीदीन ..	,,	
५०	बाराबंकी ..	१—श्री रामनारायण विद्यार्थी	,,	२
		२—श्री श्रीराम ..	,,	
५१	बिजनौर ..	१—श्री बंशी सिंह ..	मार्च ८, १९५८	२
..	..	..		
..	..	..		

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४९ पर)

नाम जिला	सहायता		
	आर्थिक	राजनीतिक	सामाजिक
१—जौनपुर	१—८०० रु० भवन निर्माण हेतु । २—३०२ रु० छात्र-वृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता हेतु	..	सामाजिक चेतना लाने के लिये दो सभायें की गईं ।
२—बनारस	१—२५० रु० औद्योगिक कारबार हेतु । २—२२२ रु० छात्र-वृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता हेतु ३—१७०९ रु० मकान मरम्मत के लिये । ४—७०० रु० कालोनी बनाने के लिये ।	..	
३—बलिया	१—२,५०० रु० मकान बनाने के लिये।		२,११४ रु० सम्मेलन तथा अछूतोद्धार हेतु व्यय हुआ । मुसहर जाति में लाभावन्त हुई ।
४—गाजीपुर	१४३ रु० छात्रवृत्ति तथा पुस्तकीय सहायता ।		
५—सुल्तानपुर	..	..	..
६—इलाहाबाद	..	..	..

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५२ पर)

क्रम-सं०	छात्र का नाम	कक्षा	स्कूल का नाम तथा पता	टिप्पणी
१—श्री जाहिद अली	..	६	राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल, गोंडा	
२—श्री अमीर अली	..	६	" " "	..
३—श्री रियाजुल हसन	..	६	" " "	
४—श्री मोहम्मद इजरैल	..	७	" " "	
५—श्री निसार अहमद	..	७	गांधी विद्या मंदिर, गोंडा	
६—श्री साहाउद्दीन	..	७	के० जी० सेकन्डरी स्कूल, गोंडा	
७—श्री मोहम्मद सुलेमान		८	राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल, गोंडा	
८—श्री नियान अहमद	..	८	एम ० पी० पी० हायर सेकेन्डरी स्कूल, बलरामपुर गोंडा ।	
९—श्री मोहम्मद इब्राहीम		८	" " "	
१०—श्री अब्दुल अजीज	..	९	के० एल० अग्रवाल हायर सेकेन्डरी स्कूल, कर्नलगंज, गोंडा ।	
११—श्री जमील अहमद	..	९	टामसन इन्टर कालेज, गोंडा ।	
१२—कुमारी नसीम बानू	..	९	गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, बलरामपुर, गोंडा ।	
१३—श्री अब्दुल नईम	..	१०	एम० पी० पी० हायर सेकेन्डरी स्कूल, बलरामपुर, गोंडा ।	
१४—श्री हामिद अली	..	१०	डी० ए० वी० हायर सेकेन्डरी स्कूल, नबाव-गंज, गोंडा ।	
१५—श्री अब्दुल कादिर	..	१०	डी० यू० म० हायर सेकेन्डरी स्कूल, बल-रामपुर, गोंडा ।	
१६—श्री अब्दुल लतीफ	..	११		
१७—श्री अब्दुल रशीद		११	एम० पी० पी० हायर सेकेन्डरी स्कूल, बलरामपुर, गोंडा ।	

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५६ पर)

नाम क्षेत्र जहां गन्ना उत्पादन व्यय की जांच की जा रही है

क्रम-सं०	नाम क्षेत्र	जिला	क्षेत्र में गांवों की संख्या
१	मोहिद्दीनपुर	मेरठ	१
२	मलिआना	,,	१
३	बागपत	,,	१
४	सिम्भौली	,,	१
५	मवाना	,,	२
६	दौराला	,,	१
७	खतौली	मुजफ्फरनगर	१
८	मन्सूरपुर	,,	१
९	मुजफ्फरनगर	,,	१
१०	शामली	,,	१
११	सहारनपुर	सहारनपुर	३
१२	सरसावा	,,	१
१३	नजीबाबाद	बिजनौर	१
१४	धामपुर	,,	१
१५	कांठ	मुरादाबाद	२
१६	अमरोहा	,,	२
१७	मुरादाबाद	,,	१
१८	काशीपुर	नैनीताल	२
१९	बहेड़ी	बरेली	१
२०	न्यौली	एटा	१
२१	बदायूं	बदायूं	१
२२	पूरनपुर	पीलीभीत	१
२३	छबिसलपुर	,,	१
२४	रौजा	शाहजहांपुर	१
२५	लखीमपुर खीरी	खीरी	१
२६	गोला	,,	३
२७	पलिया	,,	१
२८	कुकरा	,,	१
२९	सीतापुर	सीतापुर	१
३०	बिसवां	,,	२
३१	हरवोई	हरदोई	१
३२	शाहाबाद	,,	१
३३	फैजाबाद	फैजाबाद	१
३४	गोसाई गंज	,,	१

क्रम-सं०	नाम क्षेत्र	जिला	क्षेत्र में गांवों की संख्या
३५	शाहगंज	जौनपुर	२
३६	जरवलरोड	बहराइच	२
३७	तुलसीपुर	गोंडा	२
३८	नबावगंज	,,	३
३९	बस्ती	बस्ती	१
४०	वाल्टरगंज	,,	२
४१	ब्रिजमानगंज	गोरखपुर	१
४२	आनन्दनगर	,,	१
४३	घुघली	,,	१
४४	सिसवा बाजार	,,	१
४५	पिपराइच	,,	१
४६	सरदार नगर	,,	१
४७	गौरी बाजार	देवरिया	१
४८	देवरिया	,,	२
४९	कप्तानगंज	,,	३
५०	खड्डा	,,	२
५१	लक्ष्मीगंज	,,	१
५२	रामकोला (पी)	,,	१
५३	रामकोला (के)	,,	१
५४	पडरौना	,,	३
		योग ..	७५

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ पर ४०८ पर)

उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८

उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या १, १९५६।

उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण अधिनियम, १९५५ को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या १, १९५६।

उत्तरप्रदेश अध्या-देश संख्या २, १९५६।

उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण अधिनियम, १९५५ को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के निमित्त गवर्नर द्वारा १३ जून, १९५८ को उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ प्रख्यापित किया गया था;

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश विधान-मण्डल के अधिनियम द्वारा अनुस्थापित कर दिया जाय ;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) इसका प्रचार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या १, सन् १९५६ की धारा २ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण अधिनियम, १९५५ की (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) धारा २ में—

(१) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(क) 'गोमांस' का तात्पर्य गाय, सांड अथवा बैल के मांस से है किन्तु इसके अन्तर्गत न तो ऐसा मांस है जो सीलबन्द डिब्बों में हो और उसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में आयात किया गया हो न ऐसे सांड या बैल का मांस है जिसका वध इस अधिनियम के अधीन प्रतिषिद्ध नहीं है।"

(२) खंड (ख) में शब्द "अन्तर्गत" तथा "बछिया" के बीच में आये हुए शब्द तथा कामा "सांड, बैल" तथा कोष्ठक के अन्दर के शब्द तथा कामा "bull, bullock" निकाल दिये जायें ; तथा

(३) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (गग) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(गग) 'सक्षम प्राधिकारी' का तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों से है जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके सक्षम प्राधिकारी के इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अधिकारों का प्रयोग एवं कृत्यों का सम्पादन करने के लिये ऐसी अवधि के लिये तथा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये जो कि विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायें, नियुक्त किये जायें।"

३—मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, सन् १९५६ की धारा ३ का संशोधन ।

"३—(१) उन दशाओं को छोड़कर जिनके लिये कि यहां आगे व्यवस्था है, कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के किसी स्थान में—

(क) गाय का, अथवा

(ख) सांड या बैल का, जब तक कि उसने उस क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से जहां कि उस सांड या बैल का वध किया जाना है, उसके सम्बन्ध में यह लिखित प्रमाण-पत्र कि वह वध करने के योग्य है, प्राप्त न कर लिया हो, न तो वध करेगा और न वध करवायेगा न उसे वध के लिये प्रस्तुत करेगा या करवायेगा, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई बात हो अथवा कोई प्रतिकूल रूढ़ि अथवा प्रथा हो ।

(२) किसी सांड या बैल का जिसके सम्बन्ध में उपधारा (१) (ख) के अधीन प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है, प्रमाण-पत्र में व्यक्त स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर वध नहीं किया जायगा ।

(३) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (१) (ख) के अधीन, प्रमाण-पत्र केवल तब दिया जायगा जब कि वह उन कारणों के आधार पर जिनको कि लेखबद्ध किया जायगा, यह प्रमाणित कर दे कि सांड या बैल—

(क) १५ वर्ष से अधिक आयु का है, अथवा

(ख) भार-वहन या किसी भी प्रकार का कृषि कार्य करने अथवा प्रजनन के लिये स्थायी रूप से अयोग्य हो गया है ।

(४) सक्षम प्राधिकारी की इस धारा के अधीन प्रमाण-पत्र जारी करने की अस्वीकृति की आज्ञा से असन्तुष्ट कोई व्यक्ति, आज्ञा के दिनांक से १५ दिन के भीतर, राज्य सरकार के पास उसके विरुद्ध अपील कर सकता है तथा राज्य सरकार उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है, जो वह उचित समझे ।

(५) राज्य सरकार किसी भी समय इस धारा के अधीन किये गये कार्य की वैधता या उसके औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के प्रयोजन से किसी भी मामले का अभिलेख मंगा सकती है तथा उसकी जांच कर सकती है और उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है, जो वह उचित समझे ।

(६) यहां दिये हुये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन किया गया कोई भी कार्य अन्तिम होगा और उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।"

४—मूल अधिनियम की धारा ४ में, जहां कहीं भी शब्द "गाय" आया है उसके स्थान पर शब्द "गाय, सांड, अथवा बैल" रख दिये जायं ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, सन् १९५६ की धारा ४ का संशोधन ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, सन् १९५६ की धारा १० का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) में—

(१) खंड (क) में शब्द "गायों" के स्थान पर शब्द "गायों, सांडों अथवा बैलों" रख दिये जायं।

(२) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (कक) के रूप में बढ़ दिया जाये :—

"(कक) धारा ३ के अधीन प्रमाण-पत्र का प्रपत्र, तथा आवेदन-पत्रों और अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया।"

निरसन।
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९५८।
यू०पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४।

६—उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है तथा जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरसित कोई विधायन रहा हो।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण अधिनियम, १९५५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५६) की संवैधानिक वैधता को भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२ के अधीन भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि उत्तर प्रदेश का उपर्युक्त अधिनियम संवैधानिक दृष्टि से उस आयति तक वैध है जिस तक कि वह सभी उम्रों की गायों तथा गायों के बच्चों, आर्थात् बछड़ों और बछियों का वध निषिद्ध करता है किन्तु उस आयति तक जिस तक वह उनकी उम्र, प्रजनन शक्ति अथवा उपादेयता के सम्बन्ध में कोई जांच अथवा अपेक्षा नियत किये बिना प्रजनक सांडों तथा काम करने वाले बैलों के वध का पूर्ण निषेध करता है, अनुच्छेद १९, (१) (छ) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तथा उस आयति तक प्रभाव-शून्य है। उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों को संविधान के अनुच्छेद १९ (१) (छ) के उपबन्धों के अनुरूप लाने के निमित्त यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण अधिनियम, १९५५ को प्रस्तावित संशोधन विधेयक के योजनानुसार संशोधित किया जाय।

मोहनलाल गौतम,
कृषि मंत्री।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४०८ पर)

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ को संशोधित करने का

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २८, १९५६।

विधेयक

यह इष्टकर है कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ को कतिपय प्रयोजनों के लिये संशोधित किया जाय,

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २८, १९५६।

अतएव, भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २८, १९५६ की धारा १३ का संशोधन।

२—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा १३ में—

(१) उपधारा (५) तथा (६) निकाल दी जाय ; तथा

(२) उपधारा (८) में शब्द "यदि" तथा "उपधारा (७) के अधीन उपकुलपति" के बीच में आये हुए शब्द "उपधारा (५) के खंड (क) या" निकाल दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २८, १९५६ की धारा १९ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) के मद (१८) के अन्त में आया हुआ पूर्ण-विराम निकाल दिया जाय तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"और जो ऐसी संस्थिति के पंजीकृत स्नातकों द्वारा जो नियत की जाय, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार अपने में से चुने जायंगे।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २८, १९५६ की धारा ४४ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा ४४ की उपधारा (६) में शब्द "कार्यकारिणी परिषद्" तथा "की पूर्व स्वीकृति" के बीच में आये हुये शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "कुलपति" रख दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २८, १९५६ की धारा ५० का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा ५० के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "अट्ठारह" के स्थान पर शब्द "छत्तीस" रख दिया जाय।

निरसन।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९५८, यू० पी० ऐक्ट १, १९०४।

६—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरसित कोई विधायन हो।

उद्देश्य और कारण

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ के अधीन, उस अधिनियम के प्रचलन के संबंध में किसी भी कठिनाई के निवारणार्थ राज्य सरकार को केवल अट्ठारह महीने की अवधि पर्यन्त, आदेश देने के लिये प्राधिकृत किया गया था। वह अवधि १६ जुलाई, १९५८ को समाप्त होने वाली थी। इस अवधि को बढ़ाकर छत्तीस महीने करना आवश्यक समझा गया था। तदनुसार वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९५८ प्रख्यापित किया गया है। अब प्रस्ताव यह है कि इस अध्यादेश को अधिनियम द्वारा अनुस्थापित किया जाय। इस अवसर का उपयोग अधिनियम में ऐसे अन्य संशोधन करने के लिये भी किया जा रहा है जो इसे राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के समनुरूप बनाते हैं।

२—अतएव, यह विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

कमलापति त्रिपाठी,
शिक्षा मन्त्री।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—८१ एल० ए०—१९५८ ८३७।